Monday, 18 July, 1977

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
F. migated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए

Price : Four Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 32, सोमवार, 18 जुलाई, 1977/27 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 32, Monday July 18, 1977/Asadha 27, 1899 (Saka)

विषय	Subject	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions	1—23
तारांकित प्रश्न संख्या 505 से 508, 511 और 514	Starred Questions Nos. 505 to 508, 511 and 514	1—23
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 20	Short Notice Question No. 20 . .	18—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions . . .	23—141
तारांकित प्रश्न संख्या 509, 512, 513 और 515 से 524	Starred Questions Nos. 509, 512, 513 and 515 to 524	23—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 से 3794, 3796 से 3833, 3853 से 3870, 3872 से 3879 और 3881 से 3928	Unstarred Questions Nos. 3758 to 3794, 3796 to 3833, 3853, to 3870, 3872 to 3879 and 3881 to 3928	32—141
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	141-142
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	142-143
13 जुलाई, 1977 को गृह मंत्री द्वारा लगाये गये कथित आरोपों के बारे में श्रीमती गांधी का प्रेस वक्तव्य	Shrimati Indira Gandhi's press statement re. certain observations by the Minister of Home Affairs on 13-7-77 . . .	
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377—	144
थाना संयंत्र में फ़ाईज़र लिमिटेड द्वारा कथित तालाबन्दी	Reported Lock-out by Pfizer Ltd. in its Thana Plant	
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977	Finance (No. 2) Bill, 1977— . .	144—192
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider.	144
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan . .	144-145
श्री के० कुन्हम्बू	Shri K. Kunhambu	145-146

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	146-147
श्री टी० एस० नेगी	Shri T. S. Negi	147-148
श्री आर० एल० कुरील	Shri R. L. Kureel	148
श्री अमर राय प्रधान	Shri Amar Roy Pradhan	148-149
श्री रामदास सिंह	Shri Ramdas Singh	149
श्री गंगा सिंह	Shri Ganga Singh	149-150
श्री अहमद हुसैन	Shri Ahmed Hussain	150-151
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	151-152
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri Gyaneshwar Prasad Yadav	152
श्री सन्तोषराव गोडे	Shri Santoshrao Gode	152
श्री डी० जी० गवई	Shri D. G. Gawai	153
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	153—159
खंड 2 से 40 तथा 1	Clauses 2 to 40 and 1	159—190
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में--	Motion to pass, as amended—	
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty	190
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	191
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	191
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	191
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	191—192

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 18 जुलाई, 1977/27 आषाढ़, 1899 (शक)

Monday, July 18, 1977/Asadha 27, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

दिल्ली में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने का मामला

***505. श्री शंकरसिंहजी वघेला :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने के प्रसिद्ध मामले की जानकारी है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने श्री कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री डी० मुखर्जी के निर्णय को, जिन्हें इस मामले में सदस्यता की वैधता और प्लाटों के आवंटन की जांच करने का निदेश दिया गया था, स्वीकार किया था ; और

(ग) उक्त मामले से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है और सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। यदि यह प्रश्न न्यू फ्रैंडस काआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी के सदस्यों के अनियमित प्रवेश के सन्दर्भ में है।

(ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने श्री डी० मुखर्जी के निष्कर्षों को मंजूर कर लिया है और उन्होंने सदस्यों के प्रवेश आदि के बारे में कुछ निर्देश जारी किए हैं।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने उक्त सोसाइटी के खाली स्थानों में 38 व्यक्तियों की सदस्यता की घोषणा की थी। उनके नाम संलग्न सूची में दिए गए हैं।

सूची

क्रम संख्या	नाम तथा सदस्य संख्या
1.	श्रीमती शकुन्तला मसानी (1483)
2.	श्री वी० सी० त्रिवेदी (1482)
3.	श्रीमती प्रीति सहगल (1481)
4.	श्रीमती कान्ता ग्रडवानी (1486)
5.	श्री पी० के० ईदीकुला (1487)
6.	श्री रत्न सिंह (1488)
7.	श्री डब्ल्यू० ग्रार० चड्ढा (1489)
8.	श्री के० एल० थुकराल (1491)
9.	श्रीमती सुमन सातिया (1490)
10.	श्री एस० के० सोनी (1492)
11.	श्री डी० एस० खनिजाव (1493)
12.	श्रीमती सुदर्शन पुरी (1495)
13.	श्री एस० पी० ग्ररोड़ा (1494)
14.	श्री पी० एस० पनाग (1498)
15.	कर्नल डी० ग्रार० ठकुराल (1500)
16.	श्री एस० के० ग्रानन्द (1501)
17.	मेजर एम० एस० ग्रानन्द (1502)
18.	श्री मामन ईदीकुला (1503)
19.	श्री सूसन पाल सोनी (1506)
20.	श्री जी० एन० टण्डन (1508)
21.	श्रीमती सुशीला पुरुषोत्तम (1507)
22.	श्री एच० के० पंचाल (1510)
23.	श्री एस० के० खन्ना (1509)
24.	श्री डी० पी० जैन (1512)
25.	श्री सोम नाथ रेवरी (1511)
26.	श्री ग्रनिल खन्ना (1514)

क्रम संख्या	नाम तथा सदस्य संख्या
27.	श्रीमती लीला सेठ (1513)
28.	श्रीमती मोहिनी अरोड़ा (1515)
29.	कुमारी सरिता सोनी (1518)
30.	श्री जफर अहमद दार (1519)
31.	श्री एस० के० तूली (1520)
32.	श्री इन्दर बाल सिंह (1521)
33.	श्री के० डी० नारायन (1523)
34.	श्री गुरमेश चड्ढा (1522)
35.	श्रीमती वी० मोहिनी गिरि (1524)
36.	श्री एस० एन० सकलानी (1527)
37.	श्रीमती सरला सेठी (1529)
38.	श्री जे० सी० कवात्रा (1530)

Shri Shankarsinghji Vaghela: Mr. Deputy Speaker, Sir, Brahmachari Swami Dhirendra has a strong hold over the New Friends Co-operative House Building Society, Mathura Road, Delhi. The matter was raised in the House in 1974 and the Lt. Governor of Delhi was the Chairman of DDA at that time. There are certain rules under which land is allotted by DDA, but in this case land was allotted to high officers and political leaders in violation of these rules I want to know whether the Lt. Governor permitted the admission of 100 new members on 26th January, 1974. 26th January was holiday, but the Lt. Governor admitted 60 new members in the Society. The Supreme Court had passed remarks in this regard. Later on 21 members withdrew their names. I want to know the names of those 21 persons, who later withdrew their names. Is it a fact that some ex-Ministers, the members of their families and certain other V.I.Ps, were also there in those persons? I want to know their names.

Shri Sikander Bakht: It is a fact that certain complaints were received in this regard and 21 members withdrew their names. They were not included in the ambit of enquiry and as such I do not know their names.

Shri Shankersinghji Vaghela: I want to know the action taken against those who wanted illegal entry in the Society as also against those who helped them. The hon. Minister has not replied my question. I want to know the remarks passed by the Supreme Court.

Shri Sikander Bakht: I want to submit once again that action has been taken against those whose membership was found illegal. Out of 60 persons, 21 withdrew their membership themselves and out of 39, the membership of 38 was found illegal, which had been cancelled.

नर्मदा नदी न्यायाधिकरण

*506. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री नर्मदा बांध परियोजना के बारे में 13 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी न्यायाधिकरण की कार्यवाही कब तक लम्बित रहेगी ; और

(ख) क्या उक्त पंचाट सभी सम्बद्ध राज्यों पर बाध्यकारी होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की रिपोर्ट लगभग एक वर्ष में उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(ख) जी हां ।

श्री हितेन्द्र देसाई : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह अन्तर्राज्यीय विवादों से सम्बन्धित है। अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि निर्णय अन्तिम होगा तथा विवादग्रस्त पक्षों पर लागू होगा तथा उन्हें उसे क्रियान्वित करना होगा। अतः एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब कि कोई राज्य अथवा कई राज्य निर्णय को क्रियान्वित न करना चाहें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार निर्णय को क्रियान्वित करेगी और सारी रुकावटों को चाहे वे तकनीकी हों अथवा कानूनी अथवा वित्तीय दूर करेगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अधिनियम की धारा 6 में व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार पंचाट का निर्णय राजपत्र में प्रकाशित करेगी तथा निर्णय अन्तिम होगा और विवादग्रस्त पक्षों पर लागू होगा तथा उन्हें क्रियान्वित करना होगा। इस तरह से पंचाट के निर्णय को सम्बन्धित राज्य सरकारों को लागू करना होता है।

श्री हितेन्द्र देसाई : मेरा प्रश्न यह था कि यदि राज्य सरकारें निर्णय को क्रियान्वित नहीं करती तो क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निर्णय क्रियान्वित किया जाए ? नर्मदा सबसे बड़ी नदी है और यह मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती ह। इस नदी का अभी तक पूरा लाभ नहीं उठाया गया है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या पंचाट का निर्णय आने तक, क्योंकि उसमें विलम्ब हो सकता है, वह सभा को यह आश्वासन दिला सकते हैं कि वह (क) सम्बन्धित राज्यों के बीच सर्वमान्य हल तलाश करेंगे तथा (ख) गुजरात सरकार को फाऊंडेशन के निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी ताकि और अधिक समय खराब न हो ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मार्च, 1975 में एक समझौता हुआ था। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि राष्ट्रीय हितों को देखते हुए नर्मदा जल के विकास में विलम्ब न किया जाए। इसलिए सम्बन्धित पक्ष इस बात पर राजी हो गए थे कि वे पंचाट को शीघ्र निर्णय देने में सहयोग देंगे। कुछ समय से उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दे रखी थी और निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी थी। इस तरह से मामले में विलम्ब हो रहा था।

फिर यह समझौता हुआ था कि नर्मदा जल विवाद पंचाट के निर्णय तथा सम्बन्धित पक्षों अर्थात् मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के दावों के बारे में किसी पूर्वाग्रह के बिना गुजरात कानजन, लम्बीन का निर्माण कार्य कर सकेगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव : माननीय सदस्य का प्रश्न कुछ और था।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : समझौता यह हुआ था।

श्री हितेन्द्र देसाई : मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार नवगांव बांध की नींव का निर्माण कार्य आरम्भ करने की अनुमति देगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरा निवेदन यह है कि जब तक पंचाट यह निर्णय न करे कि बांध कितनी ऊंचाई तक बनाया जा सकता है, निर्माण आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री हितेन्द्र देसाई : नींव का ऊंचाई से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नहीं, नहीं, इस का गहरा सम्बन्ध है। यदि ऊंचाई 500 फुट तक हो तो नींव चौड़ी होगी और यदि ऊंचाई केवल 300 फुट हो तो चौड़ाई कम चौड़ी होगी।

श्री हितेन्द्र देसाई : यदि गुजरात सरकार अपने खर्च पर निर्माण करना चाहे तो आप को क्या आपत्ति है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : फिर यह अनावश्यक खर्च होगा, जिसे बचाया जा सकता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय शायद नये व्यक्ति होने के कारण इस विषय से अनभिज्ञ है। जब महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के बीच गोदावरी और कृष्णा के पानी के बारे में विवाद था, तो नागार्जुन सागर और पोचमपाड परियोजनाओं की नींव का कार्य हुआ था तथा निर्माण कार्य भी आरम्भ हो गया था। वास्तव में पानी भी छोड़ा गया था।

जब भूतपूर्व सरकार ने विभिन्न राज्यों के विभिन्न हितों में समझौता कराने के लिए इतना कुछ किया है, तो यह सरकार एक भी जल विवाद को हल क्यों नहीं कर पा रही है ? मैं इस का कारण जानना चाहता हूं। नींव के निर्माण कार्य की अनुमति देने में क्या कठिनाई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यद्यपि मैं नया हूं परन्तु मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए प्रश्न के विषय से परिचित हूं।

इस मामले में विशेष रूप से, मैं निवेदन करना चाहता हू कि मुख्य विवाद नवागांव बान्ध की ऊंचाई के बारे में है। जब तक यह विवाद हल नहीं हो जाता, किसी बात की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Shri Nirmal Chandra Jain: Bargi dam near Jabalpur is still incomplete, though it has no connection with the height of Navagaun dam. The result is that there are no irrigation facilities in that area and there is much shortage of drinking water. In Such a situation will he take early action for the completion of Bargi dam?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बारगी बांध का प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। मैंने उन परियोजनाओं के नाम लिए हैं, जो प्रश्न से सम्बन्धित है।

Shri Somjibhai Damor: The hon. Minister has not answered the question raised by Shri Reddy. The Tribunal may take much time in giving the award. The question is when Gujarat Government is willing to lay the foundation at their own expenditure, whether permission will be granted to them or not?

Shri Surjit Singh Barnala: I have answered the question. The main dispute is the height of the dam. Everything else *i.e.* what will be the capacity of the reservoir etc. depends upon the height of the dam. These are the main points and main features of this dam. They are to be decided. It is likely to take a year.

Shri Kacharulal Jain: The dispute was also raised in Madhya Pradesh legislative Assembly in 1969. The dispute is between Gujarat and Madhya Pradesh. The dispute is whether the height of the dam should be 500 feet or 300 feet. In case the height of the dam is allowed to go upto 500 feet, two districts of Madhya Pradesh will be submerged under water. I want to know whether this point will be taken into consideration?

Shri Surjit Singh Barnala: This is what I have said that the main dispute is about the height of the dam.

Shri M. Satyanarayan Rao: It is not a question of Narmada water. There are numerous water disputes in the country which are pending before the Tribunals since long. The proceedings of the tribunals may take 20 long years and this will result in much loss to the country. I would like to know whether the hon. Minister will call a meeting of the concerted Chief Ministers in order to settle the dispute?

Shri Surjit Singh Barnala: We will try to settle the disputes in this way which are not in the purview of the Tribunal. I have written to the Chief Minister in regard to several disputes and I will try to settle the disputes through my good offices.

Shri Sharad Yadav: Bargi dam near Jabalpur has no connection with the Narmada water dispute. But the assistance being given since four or five years is too meagre and much of the amount is spent on bureaucracy there. I want to know from the hon. Minister whether the amount of the assistance will be raised?

Shri Surjit Singh Barnala: I need separate notice for this question.

Shri Balbir Singh: I want to know from the hon. Minister the steps he proposes to take for expedition of 70 projects which are pending at present.

Mr. Deputy Speaker: The hon. Member may take his seat. I have allowed the hon. Members from Gujarat and Madhya Pradesh as the question relates to Narmada water dispute.

आवास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

*507. **श्री अनन्त दवे :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास नीति और कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय विचार के किस चरण में है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में निर्णय कब तक ले लिए जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया है :

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Anant Dave: In view of the answer given by the hon. Minister. I want to know the reasons why the proposal is not being pursued, when the housing problem is so acute?

Shri Sikander Bakht: The proposal to constitute a National Commission was first made in the Conference of the Housing Ministers held in madras in May-June. The proposal was finalised in that conference and it was recommended that a national commission be constituted, but the Ministry of Finance and the Planning Commission have held on 6th August that our financial resources are so limited that we can't bring the entire housing policy under our jurisdiction and as such there is no need to appoint a National Commission.

Shri Anant Dave: It was also recommended in the Conference that a Rural Housing and Development Corporation should be set up early in order to intensify housing activities in rural settlements. I want to know the reasons for not implementing this recommendation?

Shri Sikander Bakht: The question of constituting this Corporation does not arise, when the National Commission has not been constituted. I have already explained the reasons for not constituting the National Commission .

Dr. Karan Singh: The hon. Minister's statement that the National Commission was not constituted due to lack of resources was very surprising, particularly

in view of the fact that so many Commissions are being set up daily and such an important Commission which has direct bearing on the acute problem of housing has not been constituted. The housing problem has assumed such alarming proportion that unless a concentrated effort is made by our Scientists and Structural engineering institutes it is not possible to have a break through in regard to this problem. The problem should be examined from a national point of view.

Shri Sikander Bakht: In May-June, 1974, a Conference of Housing Ministers was held in Madras. They recommended that a National Commission of this type should be appointed. The previous Government did not take any steps in this direction upto August, 1975. In August, 1975, the Ministry of Finance and the Planning Commission turned down the proposal to this effect. Then again, a Conference of Housing Ministers was held in October, 1975 in Bhopal. At that time also the Ministry did not take any action. Then the third Conference was held in Calcutta in December, 1976. Then again, the Ministry took no steps. The present Ministry is considering whether there is any need for such a Commission or the housing shortage can be removed without forming a Commission by framing a housing policy.

Shri Vijay Kumar Malhotra: There is a shortage of 8 crore houses in the country and to remove this shortage an expenditure of Rs. 33,000 crores is involved. This apart, there are other problems of slums, jhuggi jhonpries, providing cheap houses to the poor etc. How does the present Government propose to tackle these problems?

Shri Sikander Bakht: This does not arise out of the main question. It is a separate that the housing problem will be solved only when the National Commission is formed. Steps in this regard are being taken.

Smt. Mrinal Gore: The present policy of the Government to charge rent is erroneous. The poor people are unable to pay the rent for the houses constructed for them. Will the Government review this policy?

Shri Sikander Bakht: This question does not relate to the main question. But I can reply to this question provided that no supplementaries are asked on the main question.

Dr. Karan Singh: This condition is not acceptable to us.

श्री के० लकप्पा : माननीय मंत्री ने बताया कि बृहद आवासीय कार्यक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने हेतु आवास मन्त्रियों के तीन सम्मेलन हुए। योजना आयोग ने भी उस समय स्वीकार कर लिया था। क्या आप यह आयोग बनायेंगे ताकि मकानों की कमी दूर हो सके ? क्या वह मकान बनाने का कार्यक्रम बड़े पमाने पर शुरू करेंगे ताकि देश के बेरोजगार इंजीनियरों को काम मिल सके ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रश्न केवल एक राष्ट्रीय आयोग बनाने से सम्बन्धित है ?

श्री के० लकप्पा : राष्ट्रीय आवास आयोग देश में एक बृहद आवास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए बनाये जाने का प्रस्ताव है। माननीय मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार

ने योजना आयोग के साथ तीन बार विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बृहद आवास कार्यक्रम में इन बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देंगे अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बृहद आवास कार्यक्रम में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देंगे।

श्री सिकन्दर बख्त : इसके लिए हमारी बहुत सी योजनायें हैं। लेकिन उनका राष्ट्रीय आयोग के गठन से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री बशीर अहमद : मकानों की भारी कमी का एक कारण यह है कि नगरीय भूमि सीमा अधिनियम के लागू होने के कारण भवन-निर्माण कार्य रुक गया है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री सिकन्दर बख्त : भवन-निर्माण कार्य पुनः किस प्रकार आरम्भ हो, इस बारे में हम विचार कर रहे है।

Shri Ram Awadesh Singh: There are two schemes, namely Rural Housing Scheme and Industrial Housing Scheme. Government constructs houses for workers employed in big factories in Tatanagar and Ranchi etc. Does Government have any scheme for constructing houses for agricultural labourers also?

Shri Sikander Bakht: This question does not arise from the original question. But we have a rural housing programme as well, which is being implemented.

आन्ध्र प्रदेश में बड़े और छोटे मत्स्य पत्तनों के लिए आंवटन

508. **श्री द्रोणमराजू सत्यनारायण** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बड़े अथवा छोटे मत्स्य पत्तनों के आंवटन के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और निर्णय कब लिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) "पांचवीं योजना का प्रारूप 1974—79" के अनुसार यह विचार किया गया था कि विशाखापटनम के बड़े पत्तन पर एक मत्स्यन बन्दरगाह के अलावा आन्ध्र

प्रदेश में काकीनाडा, निजामपटनम तथा नरसापुर के छोटे पत्तनों पर भी मत्स्यन बन्दरगाहों का विकास कर लिया जाएगा ।

सरकार ने विशाखापटनम (चरण 1) तथा काकीनाडा में क्रमशः 344 लाख रुपए तथा 77 लाख रूपए की लागत के मत्स्यन बन्दरगाहों की मंजूरी पहले ही दे दी है । विशाखापटनम (चरण 2) तथा निजामपटनम के बारे में प्रस्ताव एक समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना के भाग के रूप में सहायता के लिए विश्व बैंक को भेजा गया है । इस समय नरसापुर में यंत्रचालित नौकाओं की मात्रा के आधार पर वहां एक मत्स्यन बन्दरगाह के निर्माण का औचित्य नहीं ठहरता । मत्स्यन बन्दरगाहों के निवेशपूर्ण सर्वेक्षण संबंधी परियोजना ने नरसापुर के लिए निम्न प्राथमिकता दी है और सिफारिश की है कि नरसापुर में जहाज खड़ा करने और माल उतारने की सुविधाओं का निर्माण तभी किया जाए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि 9 मीटर की नौकायें वहां लाभप्रद ढंग से काम कर सकेंगी ।

श्री द्रोणमराजू सत्यनारायण : क्या सरकार का भीमलीपतनम में मत्स्य पत्तन बनाने का विचार है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री के॰ सूर्यनारायण : विवरण में कहा गया है कि सरकार ने विशाखापतनम तथा काकीनाडा में क्रमशः 344 लाख रुपए तथा 77 लाख रुपए की लागत के मत्स्य पत्तनों की मंजूरी पहले ही दे दी है । इसमें से कितनी राशि दी जा चुकी है और कौनसे कार्यक्रम कार्यान्वित कर दिए गए हैं । उन्होंने विश्व बैंक को सहायता के लिए कब लिखा और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है । नरसापुर के बारे में, क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह मामला भारत सरकार के पास भेजा था यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार की क्या राय है और केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक समेकित समुद्री मत्स्यकी परियोजना का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मई, 1977 में एक प्रस्ताव भेजा था । इसके अन्तर्गत विशाखापटनम मत्स्य पत्तन (चरण 2), निजामपटनम, यंत्रीकृत नौकाओं और बड़े समुद्री जहाजों को चालू करना; परम्परागत मछेरों को सहायता आते है । इस प्रस्ताव में लगभग 28.62 करोड़ रुपए का खर्चा है । परियोजना प्रतिवेदन विश्व बैंक के पास भेज दिये गए हैं । निजामापटनम के बारे में हम यंत्रीकृत नौकाओं के आर्थिक संचालन की सम्भाव्यता पर विचार कर रहे है । प्रस्तावित बन्दरगाह ने 60 यंत्रीकृत नौकाओं और 60 गैर-यंत्रीकृत नौकाओं के संचालन की क्षमता तैयार कर ली है ।

नरसापुर के बारे में हम सोच रहे हैं कि क्या 9 मीटर नौकायें वहां लाभप्रद ढंग से कार्य कर सकती हैं । राज्य से सम्भाव्यता प्रतिवेदन पत्र प्राप्त होने पर हम इस मामले पर विचार करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai: As these Fishing harbours, big people like Tata, Birla and Dalmia are given licences and small fishers are ignored. Do you propose to give licences to small fishers only in future and not to big people?

Shri Surjit Singh Barnala: Efforts are made to form cooperatives of small farmers and then they are encouraged. They are engaged in inland fisheries. Licences have to be given to big people as well, because for fishing, big vessels are also required. These are special-type vessels. A few of them have to be imported and a few manufactured indigenously. We do pay attraction to small fishers.

गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के भण्डार बनाना

*511. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों के भण्डारण की नई सुविधायें उपलब्ध करने में निजी और गैर-सरकारी एजेंसियों को रखने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने निजी और अन्य एजेंसियों को अपनी भूमि पर गोदामों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की है ताकि वे उन गोदामों को निगम को किराये पर दें। निजी इस योजना को कुछेक मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है :—

(क) निजी पार्टियों आदि द्वारा भारतीय खाद्य निगम की विनिर्दिष्टियों के अनुसार गोदामों का निर्माण करना होगा ताकि निगम को गोदाम 3 से 5 वर्षों तक गारण्टीबद्ध कब्जे के आधार पर दिए जा सकें।

(ख) ऐसे मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में किराये की सीमा 40 पैसे प्रति वर्ग फुट और शहरी क्षेत्रों के बारे में 50 पैसे प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थान और अन्य शर्तों को स्वीकार कर लेने के तुरन्त बाद ऐसी निजी पार्टियों को बैंकों ने 11 प्रतिशत रियायती ब्याज की दर पर ऋण देना मान लिया है।

(घ) अब तक, भारतीय खाद्य निगम ने निजी पार्टियों के साथ 7 97 लाख मीटरी टन क्षमता के लए करार किए है।

श्री के० लकप्पा : खाद्यान्नों को भण्डारण सुविधाओं के अभाव में खुले में रखने के कारण कितना नुकसान हुआ ? देश में गोदामों के निर्माण के लिए कितने धन की जरूरत है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : भारतीय खाद्य निगम विश्व बैंक की सहायता से लगभग 32 लाख टन क्षमता के लिए गोदाम बना रहा है। हम और क्षमता का निर्माण करने के लिए प्राइवेट पार्टियों को भी प्रोत्साहित करते हैं। भण्डारण में 1976-77 में 0.6 प्रतिशत की हानि हुई।

श्री के० लकप्पा : प्राइवेट पार्टियों को गोदामों के निर्माण का काम सौंपने और उन्हें बैंक सुविधाओं आदि के माध्यम से भारी धनराशि देने के बजाय सरकार अपने ही गोदाम क्यों नहीं बनाती ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वास्तव में भारत सरकार इतना धन खर्च करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल हम तीन से पांच वर्ष तक के लिए ठेके दे रहे हैं और हम विश्व बैंक जैसी अन्य एजेन्सियों की सहायता से अपने ही गोदाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

Smt. Mrinal Gore: Mr. Deputy Speaker, prior to this Government's policy was to allow private parties to construct such godowns. They used to get credit facilities from banks. Will it not be proper that F.C.I. or other government agencies should themselves take this work into their hands? I also want to know whether any private party has constructed such godowns during the last 3 or 4 years after the said decision.

Shri Surjit Singh Barnala: One lakh tonne capacity godowns have been constructed and given by May, 1977 and their possession has been obtained.

Smt. Mrinal Gore: What was the amount of rent paid?

Shri Surjit Singh Barnala: I have already given the figures of rent paid. We are trying that F.C.I. and State agencies should contruct their own godowns.

Shri Phirangi Prasad: The hon Minister has stated that there is loss of 6 per cent. I want to know whether any atternate arrangements have been made to prevent damage to foodgrains from rains at the procurement centres?

Shri Surjit Singh Barnala: Polythene caps have been utilised where the foodgrains lay in open. Arrangements are being made to store more and more foodgrains into the covered godowns.

श्री सोनू सिंह पाटिल : ये गैर-सरकारी एजेन्सियां बहुत अधिक किराया वसूल कर रही हैं। वे इसे मुनाफा कमाने का अवसर समझती हैं। क्षेत्रवार आप 59 पैसे प्रति फुट के हिसाब से किराया दे रहे हैं और यह बहुत अधिक है। क्या आपने पिछली सरकार की इस योजना की अर्थ-व्यवस्था की जांच की है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उन्हें इसके लिए भूमि तथा प्लेटफार्म की व्यवस्था करनी होगी। यह उनके लिए उचित किराया समझा गया है।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने प्रश्न संख्या 154 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका उत्तर 13 जून, 1977 को दिया गया था और उसमें मंत्री ने बताया कि $5\frac{1}{2}$ मिलियन टन अनाज $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए कच्चे गोदामों में स्टोर किया गया है और केवल 3.67 लाख टन पक्के गोदामों में रखा गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये आंकड़े वही हैं या इनमें कोई परिवर्तन हुआ है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ये तथ्य ठीक हैं। भारतीय खाद्य निगम के पास 58.57 लाख टन की ढके हुए गोदाम की क्षमता है और 32.55 लाख टन की किराये की क्षमता जिसमें सी डब्ल्यू और एस डब्ल्यू सी एस भी शामिल हैं।

Shri Om Prakash Tyagi: Whether Government feel that they do not have the required storage capacity for foodgrains and surplus will have to be kept in private storage? If so, why should not two million tonnes of wheat procured on loan basis from Russia be returned? Will the Government consider over this proposal to save expenditure?

Shri Surjit Singh Barnala: The storage capacity available with us is less than that required and it is proposed to return two million tonne wheat to Russia which was taken from her.

Dr. Shushila Nayar: The hon. Minister has stated that loss of foodgrains is .06 per cent and at this rate this loss comes to one lakh 20 thousand tonnes on a total stock of 20 million tonnes of foodgrains. I want to know the cost of this damaged foodgrains and how many godowns can be constructed with this amount. By what time you will be able to construct your own godowns in order to prevent such loss every year?

Shri Surjit Singh Barnala: It is a very good point raised by the hon. Member. We are trying to construct covered storage as early as possible so that this loss can be prevented.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The hon. Railway Minister has stated that the railway wagons available with them are not being utilised and about 20 thousand wagons will become surplus. Whether the hon. Minister will consider utilisation of wagons for storage purposes?

Shri Surjit Singh Barnala: Adequate covered wagons are not made available for transportation of wheat. Today the position is that sufficient number of wagons are not available for transporting wheat as we are transporting adequate wheat from other States. We are not getting covered space. Till now schools were closed and we had stored wheat there in large quantity. Besides, we have stored wheat in gurudwaras, Temples, Masjids and other public places. We have stored wheat wherever we got covered space.

Shri Hukam Chand Kachwai: Considerable damage is caused to foodgrains in godowns by rats. I want to know whether any instruction, suggestion or design has been given to persons, who are constructing or letting out godowns that godown should be constructed in such a way that rats cannot find entry there.

Shri Surjit Singh Barnala: F.C.I. has prepared a specification and efforts have been made that rats cannot find entry there.

Shri Ram Sewak Hazari: The houses of Commerce Chamber and Co-operative Societies remain vacant and these are used by some particular persons. Whether arrangements will be made to hire these houses?

Shri Surjit Singh Barnala: We are prepared to hire any vacant place suggested by the hon. Member.

Shri Yuvraj: Will the hon. Minister be pleased to state the quantity of foodgrains lying in government godowns, private godowns and lying in open?

Shri Surjit Singh Barnala: The quantity of foodgrains lying in F.C.I. godowns is 58.57 lakh tonnes and in private godowns it is 32.5 lakh tonnes. The balance is in Central Warehousing and State Government's godowns. Capacity is to the tune of 79 lakh tonnes.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : केन्द्रीय सरकार प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहन दे रही है और वे धन ले रहे हैं। क्या इस बारे में कोई सीमा है कि उन्हें निर्धारित किराये पर गोदाम देने होंगे? क्या प्राइवेट लोगों को धन देने की सीमा है ताकि वे किराये की किसी विशेष दर पर गोदाम किराये पर दें?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम प्राइवेट लोगों को कोई धन नहीं देते। वे बैंकों से धन लेते हैं और उन्हें डिजाइन दिया जाता है। उन्हें इस डिजाइन के अनुसार शेड बनाने होते हैं।

Shri Janeshwar Mishra: The hon. Minister has stated that there is damage to foodgrains every year due to paucity of godowns. Whether he is aware that many government buildings often remain vacant? There is Rashtrapati Bhavan. there are Raj Bhawans in States. Some portions of these remain vacant. Whether Government propose to store foodgrains in such buildings?

Shri Surjit Singh Barnala: We may store foodgrains in a very good place but some quantity will definitely get damaged. There is no proposal to store it in Rashtrapati Bhavan.

श्री के० सूर्य नारायण : मंत्री महोदय ने बताया कि अनाज की क्षति .6 प्रतिशत है। मैं विभिन्न स्टोरेज प्रणालियों अर्थात् ढके गोदामों और बिना ढके गोदामों के बारे में आंकड़े जानना चाहता हूं। पक्के गोदामों और बिना ढके गोदामों में हुई हानि का प्रतिशत क्या है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए। यह एक लम्बा प्रश्न है।

भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न के लिए राजसहायता

*514. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न के लिए कितनी राज सहायता दी जानी थी;

(ख) भारतीय खाद्य निगम का उसको चढ़ाने-उतारते पर कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार चढ़ाने-उतारने के व्यय में कमी करने तथा खाद्यान्न की बरबादी रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय कार्यचलानों पर वफर स्टाक को सम्भालने की लागत सहित देय राज-सहायता निम्नलिखित थी :—

	करोड़ रुपयों में
1974-75 .	272.48
1975-76 . .	297.72
1976-77 (संशोधित अनुमान) . .	448.71

(ख) भारतीय खाद्य निगम के वितरण कार्यों के लिए सम्भालने सम्बन्धी खर्चे निम्नलिखित थे :

	रुपए प्रति क्विंटल
1974-75 . . .	14.57
1975-76	16.54
1976-77 (संशोधित अनुमान) .	14.82

(ग) और (घ) निगम के सम्भालने सम्बन्धी खर्चों के बारे में सचिव (खाद्य) की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एक उच्च स्तरीय समिति ने जांच की थी और निगम ने प्रशासनिक ऊपरी खर्चों और अन्य लागतों को कम करने के लिए कई एक पग उठाये। इन खर्चों की बराबर समीक्षा की जाती है ताकि खर्चों में मितव्ययिता लाई जा सके और अधिकतम दक्षता लाई जा सके।

श्री कंवर लाल गुप्त : भारतीय खाद्य निगम में भारी कुप्रबन्ध है और वहां पर भ्रष्टाचार और भारी अकुशलता व्याप्त है और प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है। यह इस बात से स्पष्ट है कि वर्ष 1976-77 में कुल घाटा 448 करोड़ रुपए का है। यह गत वर्ष की तुलना में दुगना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तथाकथित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, इसकी प्रत्येक मुख्य सिफारिश पर क्या कार्यवाही की जा रही है और की गई कार्यवाही का परिणाम क्या रहा है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 1976-77 में अनाज जमा करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। इसीलिए राज सहायता में भी वृद्धि की गई है।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या यह दुगनी हो गई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह ढुलाई पर व्यय के कारण नहीं है। यह भ्रष्टाचार के कारण भी नहीं है। यह आज हमारे पास पड़े अधिक स्टाक के कारण है।

श्री कंवर लाल गुप्त : तथाकथित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इसकी प्रत्येक सिफारिश पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सिफारिशों का ब्यौरा मेरे पास नहीं है। मैं इस का उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : वे नोटिस चाहते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह वास्तव में अजीब बात है। यह उच्च शक्ति प्राप्त समिति और उस द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में बड़ा संगत प्रश्न है। उस समिति द्वारा की गई सिफारिश क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई यह वह नहीं जानते। मंत्री महोदय ने स्वयं उत्तर दिया है कि एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई गई थी, उसने कुछ सिफारिशें की हैं और उन पर कुछ कार्यवाही की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि वे सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : की गई कार्यवाही मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से स्पष्ट है। जहां तक भाग (ख) का सम्बन्ध है, 1975–76 में कुल प्रभार 16.54 रुपए प्रति क्विंटल था और 1976-77 में यह 14.82 रुपए बैठता है अर्थात् लगभग 2 रुपए कम है। यह इसी कारण है।

Shri Kanwar Lal Gupta: I want to say that the handling charges are very high. F.C.I. purchases wheat from Punjab and store it in Madras and after it supplies it in Delhi when needed. There is no coordination in it, which results in double handling expenditure and double wastage. Subsidy of Rs. 450 crores is very much on the high side. You procure wheat at Rs. 105 and supply it to ration card holders at Rs. 129. There is a difference of Rs. 24 in it. Now you look at the private trade. They sell it at a margin of Rs. 3 or 4 only. I want to know what was the quantity of foodgrains with you at the time of loss suffered previously and what it was prior to it and what are the reasons for greater loss now? Whether it is a fact that you have not adopted any scientific method to ascertain from where the goods were purchased and to which deficit States it should be despatched so that handling charges are less? Will you appoint any Parliamentary Committee for this because no useful propose was served from the Committee appointed under the chairmanship of Secretary?

Shri Surjit Singh Barna'a: My friends think that loss is being suffered. There are handling charges and transport charges also. It is being released at Rs. 125|- Previously foodgrains were imported from abroad. I again say there is no loss as such. This is the subsidy I have mentioned regarding that. Regarding the handling charges, as my hon. friend has suggested, the grains are produced in one State and taken to another State. It is always like that. There are certain consuming States. Suppose something is required in the Bengal region. If we can get it from UP, we will send it from UP. If it is not available in UP, then we will send it from Haryana or Punjab, the nearest available place. The F.C.I. will send food to the deficit areas from the nearest point.

Shri Kanwar Lal Gupta: Previously you used to purchase at Rs. 105/- and sell it at Rs. 125|-. Handling charges were Rs. 15|- and Rs. 5|- were other charges. May be it transport charges. In this difference of Rs. 20 you say Subsidy is also given. It means more expenditure. That is why you give subsidy. I want to know at what price it costs you and the amount of loss suffered by you because of which you have to give subsidy. Will you appoint any Parliamentary Committee to go into this.

Shri Surjit Singh Barnala: There are handling charges, transportation charges, storage charges and other expenditure incurred at procurement point. I can give all these details.

श्री कंवर लाल गुप्त : आप इसकी जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करें।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम मंत्री स्तर पर इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या यह सच है कि कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भारी मात्रा में ऐसा अनाज पाया गया है जो मानव की खपत के लिए उपयुक्त नहीं है और उसे सड़ा हुआ अनाज घोषित किया गया है? क्या यह भी सच है कि तथाकथित सड़ा हुआ स्टाक तथा 300 टन ताजा अनाज हैंडलिंग एजेन्टों द्वारा बिना कोई कीमत चुकाये वहां से हटा लिया है; यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मुझे कलकत्ता में स्टोर किए गए अनाज के बारे में केवल तीन दिन पहले एक शिकायत मिली है। मैं मौके पर जांच करने के लिए एक अधिकारी को भेजूंगा। मुझे आशा है कि वह एक या दो दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगा। तब मामले में उचित कार्यवाही की जायेगी।

Shri Ram Vilas Paswan: This matter relates to F.C.I. Foodgrains worth one crore of rupees is stocked in its godowns. Its present price is more than Rs. 100 crores. About 10 per cent management expenditure is incurred on it and interest @ 10 per cent is charged. Corruption is rampant in F.C.I. Wheat mixed with pabbles and stones is supplied by it.

Will Government propose to set up any committee to go into all these malpractices and set the matter right.

Shri Surjit Singh Barnala: Foodgrains are stocked because sometimes crops fail. It is to be imported from abroad and stocked. Its price abroad has gone upto Rs. 100. That is why it is to be procured and is sent to deficit areas. So far as mixing of pabbles and stones is concerned, We are keeping a constant watch on it. I am trying that whenever a complaint is received, it should be investigated immediately and action taken against persons found guilty.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

विदेशों से आने वाली धनराशि में कमी

20. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से देश में आने वाली विदेशी मुद्रा में कमी हो रही है जैसा कि 7 जुलाई, 1977 के इकानामिक टाइम्स, नई दिल्ली में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या ऐसी आशंका है कि वैध एजेन्सियों के माध्यम से आने वाली विदेशी मुद्रा में धीरे-धीरे होने वाली कमी को "प्रतिकरात्मक भुगतान सम्बन्धी धोखाधड़ी" के माध्यम से आने वाली अधिक धन राशि से पूरा किया जा रहा हो ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस सम्वन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) नीचे बताए गये कारणों से ऐसा विचार किया जाता है कि विदेशों से देश में भेजी गयी विदेशी मुद्रा के संबंध में दो महीनों अर्थात् अप्रैल और मई, 1977 के आंकड़ों के आधार पर ही, जिन के बारे में 7 जुलाई, 1977 के "इकानामिक टाइम्स" में छपे समाचार में उल्लेख किया गया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा कि देश में भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा में में कमी हो रही है:—

(1) अप्रैल और मई, 1975 के महीनों के लिए देश में भेजी गयी विदेशी मुद्रा क्रमश: 68.65 करोड़ रुपये और 96.67 करोड़ रुपये थी तथा अप्रैल और मई, 1976 के लिए क्रमश: 109.73 करोड़ रुपये और 115.33 करोड़ रुपये थी । अप्रैल और मई, 1977 के लिए तदनुरूपी आंकड़े 145.08 करोड़ रुपये और

137.94 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 1975 और 1976 में तदनुरूपी महीनों के लिए इस प्रकार भेजी गयी रकम की तुलना में यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त वृद्धि है।

(2) जनवरी से मई, 1977 तक भेजी गयी कुल रकम 708.93 करोड़ रुपये आती है। 1975 और 1976 के दौरान इसी अवधि के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमश: 376.39 करोड़ रुपये और 579.87 करोड़ रुपये थे।

(3) पूर्ववर्ती वर्षों में भी विदेशों से भेजी गयी विदेशी मुद्रा की मात्रा में अस्थायी घट-बढ़ देखने में आयी है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, किसी आशंका का कोई कारण नहीं है। तथापि प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को सावधान कर दिया गया है कि वे प्रतिकरात्मक भुगतानों के फिर से चालू किये जाने के विरुद्ध सतर्क रहें और प्रत्येक ऐसे मामले में विधिसम्मत उपर्युक्त कार्यवाही करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वित्त मंत्री जी के विवरण से स्पष्ट है कि 1975 में अप्रैल और मई के बीच देश में भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी। वर्ष 1976 के आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि 5 प्रतिशत हुई। लेकिन 1977 में अप्रैल तथा मई में यह राशि क्रमश: 145.08 करोड़ रु० और 137.94 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ है उन्हीं महीनों की अपेक्षा इस बार 5% की कमी हुई है।

क्या यह तथ्य है कि कुछ व्यक्ति प्रतिकरात्मक भुगतानों में वृद्धि करके इस प्रकार का षडयंत्र कर रहे हैं? क्या प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारियों की बहुत कमी है और वह बहुत छोटा है और पिछली सरकार ने ऐसा जान-बूझ कर किया था ताकि राजनीतिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिए इसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता रहे? मैं उदाहरण दे सकता हूं। जे० के० वालों के भरत हरि सिंघानिया को बीजकों में हेरा फेरी करते हुए पकड़ लिया गया था। उन्हें छोड़ दिया गया और 25 लाख रुपये के बारे में ही आदेश जारी किय गये। मेरे पास इसके बहुत प्रमाण हैं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रवर्तन निदेशालय का पुनर्गठन करने की क्या कोई योजना है ताकि इसे पूर्ण, व्यापक और प्रभावकारी बनाया जा सके। यदि हां, तो किस तारीख तक ऐसा किया जायेगा, यदि नहीं तो क्या कारण हैं।

श्री एच० एम० पटेल : हमारा मत है कि प्रवर्तन निदेशालय में पर्याप्त कर्मचारी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिल्कुल नहीं। मैं पिछले वित्त मंत्री के वक्तव्यों को उद्धृत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिये।

श्री एच० एम० पटेल : मैं उन्हें ग्राश्वासन देता हूं कि प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारियों की संख्या पर पुर्नविचार किया जायेगा ग्रौर यदि ग्रावश्यक हुग्रा तो पर्याप्त सतर्कता बनाये रखने के लिए उसका विस्तार भी किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रतिकरात्मक भुगतान तथा इस षड़यंत्र पर भी नजर रखनी होगी ।

श्री एच० एम० पटेल : उस पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बड़े भारतीय व्यापार गृहों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा बीजकों में भारी हेरा-फेरी की जाती है । ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 6277 के ग्रनुसार ग्रामोफोन कम्पनी लि० के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय में मामला निलम्बित पड़ा है । ब्रुक बांड इण्डिया लि० के मामले को लें । काली मिर्च के 356 बोरियों का मूल्य कम दिखाया गया था जिनका मूल्य 25,142 रु० था ग्रौर जिन्हें ग्रक्तूबर, 1972 में निर्यात किया जाना था । उन पर माल जब्त न करने के बदले केवल 2000 रु० जुर्माना किया गया तथा 10,000 रु० का दंड दिया गया । इसी प्रकार इण्डिया टोबैको क० लि० ने 303 कार्टन सूखे समुद्री के कड़े निर्यात करने थे । उन्होंने 11,630 रु० कम मूल्य दिखाया । उन पर 2000 रु० जुर्माना किया गया । यूनियन कार्बाइड इण्डिया के विरुद्ध भी गम्भीर मामले हैं ।

महोदय, कम मूल्य के बीजक बनाये जाने से देश को 1000 करोड़ रु० वार्षिक हानि होती है । इसे हम ग्रासानी से टाल नहीं सकते । क्या वित्त मंत्री जी ऐसी कम्पनियों, फर्मों या व्यक्तियों की सूची सभा पटल पर रखेंगे जिनके विरुद्ध 1–1–70 से 31–3–70 तक शिकायतें प्राप्त हुईं या मुकदमा चलाया गया ।

क्या यह तथ्य है कि श्रीमती गांधी की सरकार ने विभाग में ऐसा एक गुप्त परिपत्र जारी किया था कि कम मूल्य के बीजक बनाने वालों के विरुद्ध मामलों को दर्ज न किया जाये । क्या यह तथ्य नहीं कि 'कोफेपोसा' के ग्रधीन केवल छोटे ग्रपराधियों को ही पकड़ा गया ग्रौर बहुराष्ट्रीय निगम स्वतंत्रता पूर्वक ग्रपना कार्य करते रहे ? क्या इस परिपत्र के कारण विभाग द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से पिछले 7 वर्ष के ग्रांकड़े एकत्र करना सम्भव नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसे कितने मामले हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे जानकारी नहीं । मैं इस सूची को देखुंगा । मैं परिपत्र जारी किये जाने की भी जांच करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूं कि परिपत्र सभा पटल पर रखा जाये क्योंकि राष्ट्र विरोधी कोई व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है । यदि ग्राप नहीं उसे रखते तो मैं ग्रापको वह परिपत्र दे दूंगा । वह मेरे पास है ।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे उसका पता नहीं । जब तक मैं उसे देख न लूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि क्या यह पत्र सभा पटल पर रखा जा सकता है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सदन को विश्वास में क्यों नहीं लेते ? हमें बहुराष्ट्रीय निगम लूट रहे हैं । परिपत्र सभा पटल पर क्यों नही रखा जाता ?

श्री ए० सी० जार्ज : विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली राशि की समस्या साधारण नहीं है । यह सभी को मालूम है कि ऐसी ही राशियों से 1975 में तस्करी का धंधा किया जाता रहा है । मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जनवरी---मई, 1975 में ये आंकड़े 376 करोड़ रुपये थे, जनवरी---मई, 1976 में यह राशि 579 करोड़ रुपये थी और जनवरी---मई, 1977 में यह बढ़कर 708 करोड़ रुपये हो गई है । यह भी सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष 1976 में भेजी जाने वाली राशि 512 करोड़ रुपये थी और इससे हमारे विदेशी मुद्रा कोष में भी वृद्धि हुई ।

इससे तस्करी कार्यों में भी उसी अनुपात से वृद्धि होती है । इसलिए मंत्री जी द्वारा सहमति प्राप्त आंकड़े भी अस्थायी हो सकते हैं । चूंकि राशि नहीं आ रही है इसलिए प्रतिकारात्मक भुगतान से सीधे तस्करी कार्यों में वृद्धि होती है । क्या मंत्री जी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे ? नवम्बर, 1976 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय नें विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वैध ढंग से भारत में राशि भेजने को प्रोत्साहित किया था । क्या सरकार कुछ और उदारता बरतेगी क्योंकि यह रुपये की सुदृढ़ता पर निर्भर करता है । इसलिए विदेशों में रहने वाले जो भारतीय 150 करोड़ रुपये प्रति मास का योगदान दे रहे हैं और जिससे भारतीय रुपया सुदृढ़ हो रहा है उन्हें अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं आपकी बात नही समझा

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं उनसे नहीं लगता कि तस्करी बढ़ी है । देश में राशि कई ढंग से भेजी जाती है

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जार्ज : यह राशि 8 अप्रैल, तक बढ़ रही थी । आपके आने से घटने लगी है ।

एक माननीय सदस्य : प्रतिदिन घट रही है ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुल भेजी जाने वाली राशि बढ़ती ही रही है और बढ रही है । वर्ष 1977 के पहले पांच महीनों में वृद्धि काफी अधिक थी । यह राशि घटती बढ़ती रहती है । पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ । मैंने नहीं कहा है कि तस्करी बढ़ रही है या घट रही है या यह हो ही नहीं रही है ।

मैं कह चुका हूं कि हम सतर्क रहेंगे और तस्करी को रोकने के उपाय करेंगे ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को देश में राशि भेजने के लिए हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं। यदि कोई और अच्छा सुझाव आये तो हम उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या उन्हें जानकारी है कि पिछली सरकार के वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अनुरोध पर लन्दन में भारत और ब्रिटेन के एक ग्रुप का गठन हुआ था जिसमें भारत में कार्य कर रही कई कम्पनियां हैं और उस समय की सरकार ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में श्री स्वराज कौल को रखने का आग्रह किया था। लन्दन में प्रकाशित समाचारों के अनुसार यह व्यक्ति अवैध रूप से राशि भेजता है और इसी के माध्यम से विदेशी कम्पनियां श्री संजय गांधी को पैसा भेजती रही हैं। क्या मंत्री जी इस ग्रुप के बारे में जांच करेंगे और यह पता लगायेंगे कि क्या श्री कौल के माध्यम से श्री गांधी को पैसा दिया गया था और पैसा देने का ढंग क्या था ?

श्री एच० एम० पटेल : सदस्य महोदय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मैं जांच करूंगा।

श्री वयालार रवि : पता नहीं कौन से आंकड़े सही हैं। मंत्री जी ने अतारांकित प्रश्न सं० 3602 के शुक्रवार को दिये गये उत्तर में बताया कि 1973 में 396.11 करोड़, 1974 में 569.31 करोड़, 1975 में 1053.76 करोड़ और 1976 में 1514.86 करोड़ रुपये भेजे गये थे आप ने कहा है कि राशि भारत में भेजने के लिए चार प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं और सबसे बड़ा प्रोत्साहन स्कूटर का है। मैं कहता हूं कि सबसे अधिक राशि खाड़ी के देशों में रहने वाले गरीब भारतीय भेजते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 10,000 लोग इन देशों में गये हुए हैं। उन लोगों को बहुत कठिनाइयां आती हैं। उन्हें बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारी अपराधी मानते हैं। उनमें से कुछ लोग तो मेरे सामने रो पड़े। सीमा शुल्क अधिकारी उनसे साड़ियां और सुगन्ध आदि छोटी चीजें भी छीन लेते हैं। भ्रष्ट अधिकारी उन्हें बहुत तंग करते हैं।

वे किसी उद्योग में अपना पैसा नहीं लगा सकते। क्या मंत्री जी उन्हें कुछ सामान लाने में छूट देंगे ? इसके अतिरिक्त उन्हें तंग भी नहीं किया जाना चाहिये। इस बारे में एक स्लेब प्रणाली बनायी जानी चाहिये तथा अन्य प्रोत्साहन भी दिये जायें।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने सदस्य महोदय की बात नोट कर ली है। मैं इस बात के लिए प्रयास करूंगा कि उन्हें नाजायज ढंग से तंग न किया जाये। प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया जाएगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार ने व्यवसाय आदि के आधार पर पैसा भेजने वाले लोगों की कोई श्रेणियां बनायी हैं। दूसरे क्या अवैध ढंग से पैसा भेजे जाने को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है। यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और तीसरे हाल ही में इस राशि में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : इस राशि में वृद्धि का मुख्य कारण यही हो सकता है कि हमने विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं और ऐसे प्रबन्ध किये हैं जिनसे लोगों को पैसा भेजने के लिए प्रोत्साहन मिला है। उदाहरण के लिए हमने उन्हें स्टर्लिंग और डालर जैसी विदेशी मुद्रा की छूट दी है और उस पर ब्याज भी मिलता है। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिला है।

जहां तक प्रश्न की पहली बात का सम्बन्ध है, हम इतना विस्तृत खाता नहीं रखते लेकिन हम इसकी सम्भावना पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

जब भी हमें अवैध ढंग से राशि भेजे जाने का पता चलता है, हम कार्यवाही करते हैं। जब भी कोई राशि आती है, हम उसे ठीक-ठीक ही मानते हैं जब तक कोई अन्यथा सूचना प्राप्त न हो।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : विदेशों से भेजी जाने वाली राशि घटनी नहीं चाहिये बल्कि प्रति माह उसमें वृद्धि होनी चाहिए। पर जनता सरकार ने लोगों को निर्भय बनाते समय सबसे पहले तस्करों को निर्भय बनाया है। तस्करों को दंड दिये बिना छोड़ दिया गया और वे पुन: अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं और वे उस राशि को हड़प लेते हैं।

क्या सीमा शुल्क कार्यालय हाजी मस्तान के घर पर ले जाया गया है?

श्री एच० एम० पटेल : ये तस्कर पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़े गये थे और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि वे छूट कर क्या काम करेंगे, कहां जायेंगे?

जहां तक मस्तान इमारत का प्रश्न है, वहां सीमा-शुल्क कार्यालय नहीं है। यदि सदस्य महोदय के पास कोई जानकारी है तो वह सहर्ष उससे अवगत करा दें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

श्रेणी III के हकदार श्रेणी II के क्वार्टरों में रह रहे सरकारी कर्मचारी

*509. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं जो श्रेणी–III के क्वार्टरों के हकदार होते हुए भी श्रेणी–II के क्वार्टरों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है और वे कब से श्रेणी–II के क्वार्टरों में रह रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाये हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) 664, वे विभिन्न तारीखों से टाइप–II वास के दखल में है।

(ग) वे अधिकारी जो टाइप विशेष के पात्र हैं लेकिन निचले टाइप के क्वार्टरों के दखल में है, जब तक चाहें उनमें रह सकते हैं और अपने उपयुक्त टाइप के क्वार्टरों के लिये आवेदन नहीं कर सकते। तथापि, उन्हें अधिक किराया देना होता है चाहे उन्होंने अपने पात्र टाइप का आबंटन लेने के लिये मना कर दिया हो। वे जो टाइप III के पात्र है लेकिन टाइप III क्वार्टर के दखल में हैं उनकी अग्रता के आधार पर बारी आने पर टाइप–III की पेशकश की जायेगी।

मूंगफली की उपज के लिए चार-सूत्री प्रोद्योगिकी

*512. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अधिकारियों ने एक मई चार-सूत्री प्रौद्योगिकी का विकास किया है जिसकी सहायता से पंजाब में मूंगफली की प्रति हेक्टेयर उपज दुगुनी हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रौद्योगिकी की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या यह नई प्रौद्योगिकी गुजरात तथा अन्य राज्यों में भी प्रयोग में लाई जायेगी; और

(घ) पंजाब तथा अन्य राज्यों में यह प्रयोग किस हद तक किये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख), पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक, राज्य में मूंगफली के लिए एक चार-सूत्री प्रौद्योगिकी की सिफारिश कर रहे हैं। इस प्रौद्योगिकी की प्रमुख बातें इस प्रकार है।

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों, एम०–13 और एम०–145 की खेती करना और उपयुक्त फफूंद नाशियों से पहले ही उपचार करने के बाद ही इन किस्मों के बीजों की बुवाई करना।

(2) अधिक उपज प्राप्त करने और अनुवर्ती गेहूं की फसल के लिये समय पर खेत खाली करने के लिये भी बुवाई से पहले सिंचाई करके जून, 20 के आस-पास इन किस्मों की बुवाई करना।

(3) अपेक्षित मात्रा में वनस्पति प्राप्त करने के लिये अनुकूलतम दर पर बीजों का उपयोग करना।

(4) उर्वरकों का संतुलित रूप से उपयोग करना।

(ग) तथा (घ) मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिये गुजरात तथा अन्य राज्यों में वही प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है जिसे पंजाब में अपनाया जा रहा है, केवल उनमें स्थानीय रूप से कुछ

समायोजन किया गया है। देश में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिये अपनाई जा रही नीति के महत्वपूर्ण तत्वों में उन उन्नत किस्मों का उपयोग (जो राज्य/क्षेत्र के लिये उपयुक्त सिद्ध पाई गई है), बीजों का उपचार, उर्वरकों का उपयोग, वनस्पति को अनुकूलतम स्तर तक बनाये रखना और वनस्पति रक्षण उपाय शामिल है। मूंगफली का 92 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा सिंचित क्षेत्र है। अतः बुयाई का समय मानसून के शुरू होने पर निर्भर करता है। तथापि, जहां कहीं सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं वहां मूंगफली की उपज बढ़ाने के लिये सुरक्षात्मक सिंचाई की सिफारिश की गई है।

केरल में इरावी कुलाम्रों वन्य पशु शरणास्थल का राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकास

*513. **श्री के० ए० राजन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के इदुक्की जिले में इरावीकुलाम्रों वन्य पशु शरणस्थल के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त शरणस्थल को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). केरल सरकार ने मंत्रालय को एराविकुलम-राजामले वन्य प्राणी आश्रयस्थल के विकास के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। जांच पड़ताल के पश्चात् योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी और 15.79 लाख रु० तक की कुल लागत पर (जिसमें व्यय की अनावर्ती मदों के लिए भारत सरकार का अंश 10.63 लाख रु० तक सीमित था और शेष 5.16 लाख रु० का आवर्ती व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था) योजना को क्रियान्वित करने के लिए 20 सितम्बर, 1976 को प्रशासनिक स्वीकृति भेज दी गयी। सम्पूर्ण व्यय तीन वर्षों की अवधि, अर्थात सन 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में व्यय किया जाना था। सन 1976-77 के दौरान अनावर्ती व्यय 3.05 लाख रु० से अधिक नहीं किया जाना था। इसमें से निर्माण कार्य के लिए 1.525 लाख रु० की व्यय की स्वीकृति 15 जनवरी, 1977 को दी गयी।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खतरे में पड़ी हुई नीलगिरि ताहर के लिए एक अंतिम आश्रयस्थल है राज्य सरकार से कहा है कि इसका दर्जा बढ़ा कर इसे राष्ट्रीय पार्क में बदलने की संभावना पर विचार किया जाये। उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु राज्य सरकार परिस्थिति की, जीव जन्तु व वनस्पति सम्बन्धी, भू-आकार सम्बन्धी या प्राणिविज्ञान सम्बन्धी महत्व को ध्यान में रखते हुए वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आश्रयस्थल को स्वयं राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है।

Book on Indian Culture

*515. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) Whether Government are aware that Indian culture has influenced the culture of many countries of the world mainly Asian Countries; and

(b) if so. whether Government propose to make efforts to bring out a book containing research work thereon?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) Yes, Sir.

(b) The Indian Institute of Advanced Study, Simla, and the Indian Council of Historical Research, New Delhi, have already been entrusted with a project "A Source Book of Ancient Indian and Asian Civilisation". Under this project, the following publications have been brought out so far:

(1) Indian Civilization: The First Phase-Problems of a Source Book.

(2) Understanding Indian Civilization: A Framework of Enquiry.

(3) Brahmanical Ritual Traditions

(4) Planning Conference Report on Dissent and Protest Movements in Indian Civilization.

(5) Dissent, Protest and Reform Movements in Indian Civilization

(6) Criteria of Social Evaluation in India-Planning Conference Report.

Cattle Insurance

*516. **Shri Dharamshinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme in regard to cattle insurance, and if so, the main features thereof;

(b) the progress made in this regard during the last three years;

(c) whether there is any programme therefor for 1977-78, and if so, the facts thereof; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by the Central Goovernment to protect the interest of farmers and cattle breeders?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The four subsidiaries of the General Insurance Corporation are transacting business of cattle insurance.

The schemes operated by them are indicated below:

Description	Premium Rate (Gross) Indigenous cattle	Gross bred cattle	Exoctic (Imported cattle)
(a) Well organised dairies/societies/apex bodies having their own veterinary services and minimum 100 animals			
(i) If total number of insured animals is less than 1000	3.50%	4.00%	5.50%
(ii) If total number of insured animals is 1000 or more	3.00%	3.50%	5.00%
(b) for other dairies	3.75%	4.25%	5.75%
(c) For individuals	4.00%	4.50%	6.00%
(d) For cattle financed by banks and other financial institutions other than (e) below	3.25%	3.75%	5.25%
(e) Cattle subsidised by SFDA/MFAL/DPAP	—Rates, terms and conditions as per special arrangements.		

The sum assured varies between 80 per cent and 100 per cent of the market value or bank advance. The insurance covers death due to accident or disease subjects some specific exclusions.

(b) The progress made in this regard during the last three years is as follows:

Year	No. of animals insured	Premium amount (in rupees)	Claims No. of animals	Amount (in rupees)
1974	29,670	24,82,608	791	15,81,276
1975	62,856	48,45,388	1646	24,30,129
1076	2,10,090	1,32,93,254	3189	58,35,307

(c) and (d) : With effect from 1st April. 1977 a revised scheme of cattle insurance for milch cattle, indigenous and cross-bred,, purchased by beneficiaries under the SFDA/DPAP schemes, has been introduced. The premium is a concessional one of 2.25 per cent of the loan value. The scheme covers milch cattle of the age group of 3-8 years. The policy covers death of insured cattle due to accident or disease subject to certain exclusions. Permanent total disability is also covered on payment of extra premium. Another scheme of insurance of milch cattle under the Kaira District Milk Producers Union has been started with effect from 1st July, 1977. The premium rate is 2.34 per cent of the sum insured per annum. The sum insured is 80 per cent of the assessed value just based on milk production. The General Insurance Corporation is also considering a scheme for insuring cross-bred heifers under the calf-rearing programmes.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

*517. श्री सतीश अग्रवाल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना क्या है और उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) राजस्थान के भरतपुर जिले के बड़े भाग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल न किये जाने के क्या कारण है जबकि यह सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है; और

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को जैसी यह इस समय है, पुनः बनाने की आवश्यकता है यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना दिल्ली के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय विकास योजना है। और इसके अत्यन्त निकटतम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मेरठ और बुलन्दशहर जिले, हरियाणा के गुड़गावां, रोहतक और सोनीपत और करनाल की पानीपत तहसील और महेन्द्रगढ़ जिले के रिवाड़ी और राजस्थान के अलवर जिले की अलवर, बहरोर, किशनगढ़, मंडावर और तिजारा तहसीलें शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रफल 30,292 वर्ग मीटर है और 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 140 लाख है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में इस क्षेत्र का सम्पर्क विकास इस दृष्टि से किया जाना है ताकि संतुलित जनसंख्या सुनिश्चित हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, समाज सेवा तथा सुविधाओं में इस उद्देश्य से सुधार करना ताकि ग्रामीण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और दिल्ली की ओर प्रवसन कम हो तथा छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों का विकास हो।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का अनुमोदन उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड ने किया है जिसका गठन निर्माण और आवास मंत्री की अध्यक्षता में और सदस्यों के रूप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के समीपवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों, दिल्ली के उप-राज्यपाल और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा किया गया। इस योजना का कार्यान्वियन अब दिल्ली प्रशासन और सबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मेरठ, गुड़गावां, पानीपत और अलवर जैसे शहरी केन्द्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

4. इस क्षेत्र की रूपरेखा के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार भरतपुर जिला अथवा इसका कोई भी भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता और इसीलिए इसे शामिल नहीं किया गया।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 1981 तक की जनसख्या और अन्य प्रक्षेपण पर आधारित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि इस योजना को सन 2001 तक की अवधि पर आधारित किया जाय ताकि दिल्ली के लिए दूसरी बृहत योजना में किये जाने वाले प्रक्षेपणों और इस समय-अवधि के अन्तर्गत किये जाने वाले अन्य विकास कार्यों को ध्यान में रखा जाये।

Civic Amenities for JCPS Colonies in Delhi

518. Shri Ram Naresh Kushwaha: Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether in commemoration of the first centenary of Mahatma Gandhi the Delhi Development Authority had constructed Janata Community Personnel Service flats at four places in Delhi, viz. Pankha Road, Safdarjang, Greater Kailash and Jhilmil colony;

(b) whether at the time of allotment the residents of these quarters where assured of ocmplete facilities, such as schools, shops, Community Hall and proper sanitation, etc. but no such facility has so far been provided; and

(c) if so, the action being taken by Government to provide these facilities to the residents of these colonies?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Such facilities were indicated in the layout plan but Delhi Development Authority.Municipal Corporation, Delhi could not provide them for lack of adequate resources. They will be provided as and when resources permit.

आसाम में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

*519. **श्रीमती रेणुका देवी दड़कटकी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में कौनसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार दवारा किया गया है ; और

(ख) क्या आसाम सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिये कुछ अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार दवारा अभी मंजूरी किया जाना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजजीत सिंह बरनाला) : (क) असम में ऐसी कोई बृहद सिंचाई परियोजना नहीं है जिसके लिए वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही हो। सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था स्वयं राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सहायता समूची राज्य योजना के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा इस सहायता का किसी विशिष्ठ विकास क्षेत्र अथवा परियोजना से संबंध नहीं होता।

(ख) राज्य सरकार ने 5 बृहद सिंचाई स्कीमें प्रस्तुत की हैं जिनकी तकनीकी जांच राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है।

Supply of Drinking Water in Rural areas of Rajasthan

520. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Works and Housing and Supply** and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether the Central Government are making any efforts for solving the problem of drinking water supply in the rural areas of Rajasthan;

(b) whether any world organisatian or any foreign country is likely to extend its co-operation for solving the problem; and

(c) if so, the details of the scheme in this regard?

The Minister of Works and Housing and supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):

(a) to (c): A crash programme for water supply in rural areas in the country has been launched this year as a Centrally sponsored scheme under which 100 per cent grant assistance will be provided to the States, including Rajasthan, for providing, in the first instance, safe drinking water to problem villages, where the source of water is more than 1.6 kilometers away or where water-borne diseases like cholera, etc. are endimic or where toxic impurities like iron, chlorides and fiuorides are dissolved in water. This is in addition to the funds which had already been provided in the State Sector of the Plan under the Minimum Needs Programme for rural water supply.

To tap underground water in difficult and scarcity areas, especially in hard rock areas, 9 Drilling rigs have been made available to the Rajasthan Government under UNICEF assistance.

The possibility of getting some assistance under the Indo-Danish Bilateral Programme for a water supply scheme in Rajasthan is also being explored. The scheme envisages provision of water supply to 238 villages of Taranagar and Rajagarh tehsils of Churu District and Nohar tehsil of Ganganagar District. The project is estimated to cost about Rs 6.83 crores and is likely to benefit a population of about 1.75 lakhs.

गुजरात तट पर मत्स्य पत्तन

*521. **श्री ग्रहमद एम० पटेल** : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तट पर मत्स्य पत्तन बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थल का चयन किया गया है ; ग्रौर

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात के तट के साथ-साथ मत्स्य पत्तनों के निर्माण के लिये बेराबल ग्रौर मंगरोल का चयन किया जा चुका है । इसके ग्रतिरिक्त पोरबंदर में भी मत्स्य पत्तन निर्माण करने का प्रस्ताव है

(ग) बेराबल तथा मंगरोल मत्स्य-पत्तनों के लिये मंजूरी दी जा रही है । इन दोनों केन्द्र पर मात्स्य की विकास के लिये सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिये सफलता-पूर्वक बातचीत की है, जिसमें इसके ग्रतिरिक्त बंदरगाहों, ग्रवस्थापना प्रबन्ध, नावों जालों, रेफ्रिजरेशन संयंत्रों ग्रादि की मदें, संसाधन सर्वेक्षण तथा विपणन सम्बन्धी सर्वेक्षण शामिल है ।

जहां तक पोरबंदर का संबंध है, निवेशपूर्व सर्वेक्षण करके परियोजना संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई है ।

पश्चिम बंगाल में खुदाई

*522. **श्री सोगत राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का चन्द्रकेतुरगढ़, बेराचंपा, 24 परगना में ग्रौर पंडुराजार ढीपी बर्दवान, पश्चिम बंगाल में ग्रागे ग्रौर खुदाई कार्य करने का विचार है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, चन्द्रकेतुगढ़, बेराचंपा, जिला 24 परगना और पांडु-राजार ढीपि, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में इस समय खुदाई कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वहां पर पहले ही क्रमश: कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा बड़े पमाने पर खुदाई हो चुकी है ।

केरल की बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

*523. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल को वे कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो निर्धारित समय में पूरी नहीं हुई हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये केरल सरकार ने कोई अनुरोध किया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केरल में सात बृहदसिंचाई परियोजनाएं नामश: पेरियार घाटी, कल्लाडा, पम्बा, कुटियाडी, चिन्तुरपुली, कन्हीरपुक्षा और पक्षास्सी परियोजनाएं 1960 से शुरू होने वाले दशक के मध्य में क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली गई थीं । ये परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इन परियोजनाओं के पूरा न होने का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार इन के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं कर सकी ।

(ख) और (ग) : केरल सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष सहायता देने के लिए अनुरोध कर रही हैं। इन परियोजनाओं में से कुछ चालू परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को 1975–76 में 2.10 करोड़ रुपए और 1976–77 में 2.50 करोड़ रुपये की विशेष अग्रिम योजना सहायता दी गई ताकि इन परियोजनाओं के निर्माण-कार्यों की गति में तेजी लाई जा सके तथा इनसे सिंचाई लाभ शीघ्र प्राप्त किए जा सके ।

बिहार में गंगा नदी द्वारा भूमिकटाव से क्षति

*524. **श्री पी० वी० नरसिम्हाराव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार में गंगा नदी दवारा भूमि कटाव से अत्यधिक क्षति हुई है ;

(ख) क्या कटाव को रोकने तथा उपजाऊ कृषि भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र और समाज की सड़क पुल, भवन आदि जैसी सम्पत्ति को बचाने के लिये कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ।

कृषि और सिचाई मंत्री (श्रीसुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सभी जलोढ़ नदियों की तरह गंगा नदी अपने समूचे मार्ग में अथवा किसी न किसी पहुंच में अपने किनारों का कटाव करती है और भिन्न भिन्न वर्षों में इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र तथा कटाव की मात्रा अलग अलग होती है । 1960 में बिहार में मन्सी के निकट गंगा के वामतट पर और मोकामेह पुल के अनुप्रवाह में गंगा के दक्षिण तट पर बरहिया के निकट कटाव होना शुरु हुआ और 1969 में तो इसने गम्भीर रूप धारण कर लिया । 1975–76 से गंगा के वामतट पर नारायणपुर रेलवे स्टेशन तथा मन्सी के अनुप्रवाह में इसके दक्षिण पट पर खुटाहा ग्राम के निकट कडाव हो रहा है ।

(ख) और (ग) : रेलवे दवारा मन्सी में कटाव-रोधी उपाय आरम्भ किए गए थे परन्तु बाद में जब कटाव ने गम्भीर रूप धारण कर लिया तो इन्हें बिहार सरकार दवारा हाथ में ले लिया गया । राष्ट्रीय मार्ग, रेलवे लाइनों, कृषि भूमि तथा अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए 3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सुरक्षात्मक उपाय किए गए । इन उपायों से 1975 और 1976 के दौरान मन्सी और बरहिया में कटाव को रोका गया ।

नारायणपुर क्षेत्र में असुरक्षित पहुंचों की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार दवारा कटाव-रोधी उपाय पहले ही आरम्भ किए जा चुके है। बिहार सरकार ने गंगा दवारा कटाव से नारायणपुर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 350 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक स्कीम भी तैयार की है। इस स्कीम को विभिन्न चरणों में हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

बिजली के कनेक्शन के लिए जमानत राशि का लौटाया जाना

3758. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली क्षेत्र में उपभोक्ताओं ने अपने बिजली के कनेक्शनों के लिये नई दिल्ली नगरपालिका में पूरी अथवा आंशिक जमानत राशि जमा कर दी है ;

(ख) क्या बहुत से उपभोक्ताओं ने अपने बिजली के कनेक्शनों के लिये जमानत राशि जमा नहीं कराई है ;

(ग) यदि हां, तो कितने उपभोक्ताओं ने कनेक्शनों के लिये जमानत की राशि जमा कराई है और कितने उपभोक्ताओं ने यह राशि जमा नहीं कराई ; और

(घ) जिन उपभोक्ताओं ने अपने बिजली के कनेक्शनों के लिये जमानत राशि जमा कराई है उन्हें यह राशि लौटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । सरकारी विभागों, दूतावासों तथा सरकारी वास में रह रहे कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़ कर ।

(ख) तथा (ग) : जबकि 20,978 उपभोक्ताओं ने नकद जमानत राशि जमा कर दी है, मगर 21,825 उपभोक्ताओं ने नई दिल्ली नगरपालिका में जमानत राशि जमा नहीं की है ।

(घ) संबंधित अलाटी के आवेदनों पर जिसके साथ उनके कार्यालयों द्वारा जारी गारन्टी पत्र है नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में सरकारी रिहायशी वास के अलाटियों द्वारा पहले से ही जमा जमानत की नकद राशि लौटाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका ने विशेष प्रबन्ध किया है ।

मारमोगाओ पत्तन पर जहाज को रोके रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किया गया विलम्ब शुल्क

3759. **श्री बापूसाहेब परूलेकर:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने गोआ के मारगोगाओं पत्तन पर एस० एम० मिलन नामक जहाज को रोके रखने के लिये वर्ष 1975 में लगभग 2,37,000 रुपये का विलम्ब शुल्क अदा किया जबकि उक्त जहाज 'क्वार्टर पार्टी कांट्रेक्ट' के अन्तर्गत काम न करने की अवधि (लड अप पीरियड) के भीतर था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त क्वार्टर पार्टी कांट्रेक्ट मानक क्वाटर पार्टी कांट्रेक्ट के अनुरूप था ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा जहाज का विलम्ब शुल्क दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि क्वार्टर पार्टी कांट्रेक्ट के अन्तर्गत उक्त जहाज काम न करने की अवधि के भीतर था ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं । इस जलयान के लिए न तो कोई विलम्ब शुल्क दिया गया और न भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही इस संबंध में कोई धनराशि अदा की गई ।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

New Subjects Introduced in Rewa University

3760. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the new subjects introduced in the Rewa University (MP) during 1976-77 and 1977-78; and

(b) whether any Central grant has been provided therefor and if so, the amount thereof?

The Minister of Education Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) According to the information furnished by the University Grants Commission it has approved the setting up of Departments for post

graduate teaching and research in Economics, Environmental Biology and Physics in the Awadhesh Pratap Singh University, Rewa during the Fifth Plan. The Commission has also sanctioned an allocation of Rs. 18.70 lakhs for building and equipment for these. Departments in the Fifth Plan, of which the Commission's share would be Rs. 13.70 lakhs. In addition, 3 posts of Professors, 7 posts of Readers and 9 posts of Lecturers, have been approved, for which assistance would be available from the Commission. An on account grant of Rs. 35,000 for appointment of staff in the Department of Economics has already been given.

The Awadhesh Pratap Singh University has informed that these Departments are expected to start functioning in the current academic session.

सूरजमूखी और सोयाबीन का उत्पादन

3761. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) गत तीन वर्षों में सूरज मुखी और सोयाबीन का उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) क्या इन दो गैर–पारस्परिक तिलहनों के उत्पादन के कार्यक्रम को सफलता मिलने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार पर्याप्त अनुसंधान की व्यवस्था कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिह बरनाला) : (क) इस समय देश में सूरजमुखी तथा सोयाबीन के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान सूरजमुखी तथा सोयाबीन के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आये क्षेत्र के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	बुवाई का क्षेत्र (हजार हैक्टार में)	
	सूरजमुखी	सोयाबीन
1974–75	339	67
1975–77	316	93
1976–77 . . .	254	125

(ख) जी हां :

(ग) जी हां :

त्रिपुरा में स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता

3762. **श्री कीर्ति विक्रम देव बर्मन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के आदिवासियों में 5 से 8 वर्ष तक और 9 से 14 वर्ष तक के आयु वर्गों में, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों तथा छात्राओं की अलग-अलग प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) क्या संविधान में निर्धारित राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसरण में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए इस वर्ष के लिए कोई योजना तैयार की गई है यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी लागत आयेगी और इसके अधीन क्या लक्ष्य रखे गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) हम 6 से 11 और 11 से 14 आयु वर्गों के स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों की सूचना एकत्र करते हैं, जो साधारणत: कक्षा I से V कें (प्राथमिक स्तर) और कक्षा VI से VIII (मिडिल स्तर) तक के छात्रों तदनुरूप होती है । वर्ष 1975–76 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, कक्षा I से V तक में आदिवासी छात्रों तथा छात्राओं के नामांकन की प्रतिशतता त्रिपुरा में 6 से 11 आयु वर्ग की आबादी के क्रमश: 88.5 और 42.9 थी। 11 से 14 आयु वर्ग के लिए कक्षा VI से VIII के लिए तदनुरूपी प्रतिशतता क्रमश: 24.6 और 9.4 थीं :

(ख) जी, हां। वर्ष 1977–78 के लिए आदिवासी क्षेत्रों के शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए योजना आवंटन 19.15 करोड़ रुपए हैं। जिसमें से 31.00 लाख रुपए राज्य के लिए हैं। वास्तविक लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम

3763. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसी घोषणा की है कि नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के उपबन्धों में भवन-निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ हद तक ढील दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है और कब ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी नहीं। सरकार ने यही कहा है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 के उल्लंघन किए बिना भवन-निर्माण गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित प्रशासनिक उपायों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के मार्ग निर्देशों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) उपायों को कार्यान्वित किए जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भिखारी

3764. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भिखारियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भिखारियों में कितने बच्चे और कितने बूढ़े लोग हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में कोई ऐसी कार्यवाही शुरू की है ताकि भिखारियों को जीवन-निर्वाह के अच्छे साधन प्रदान करके देश में भिखारी समस्या दूर की जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भिखारियों के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं हुआ है, तो भी 1971 की जनगणना के आंकड़ों के, जो अदयतम उपलब्ध आंकड़े हैं, अनुसार "भिखारियों, आवारा इत्यादि" के वर्ग में व्यक्तियों की कुल संख्या नमूने के सर्वेक्षणों के आधार पर 10.11 लाख आंकी गई है ;

(ख) उक्त वर्ग में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की संख्या 1.47 लाख तथा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 2.08 लाख आंकी गई है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में भिक्षावृत्ति की समस्या से अल्प-अवधि में भिक्षा-निरोधक कानूनों के द्वारा निपटा जा रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ योग्य शरीर वाले भिखारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थागत सेवाओं की व्यवस्था है ताकि आखिरकार उनका पुनर्वास किया जा सके । आशा है कि जिन विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, उनका भिक्षावृत्ति को दूर करने पर लम्बे समय में प्रभाव पड़ेगा ।

आई० आई०टी०, दिल्ली द्वारा इंजीनियरिंग मैथेमेटिक्स पर पुस्तक तैयार करना

3765. **डा० रामजी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी०, दिल्ली में इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स पर पुस्तक लिखने के लिए दस वर्ष पूर्व एक लाख पचास हजार रुपयों की राशि निर्धारित की गई थी, यदि हां, तो क्या इसे उपयुक्त रूप से खर्च किया गया है तथा क्या पुस्तक प्रकाशित हो गई है ; और

(ख) ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आई० आई० टी० को सरकार द्वारा कितना और किन-किन पुस्तकों के लिए अनुदान दिया गया है और अब तक उनमें से कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) गणित विभाग की फैक्लटी ने 1966–67 में "इंजीनियरी गणित" पर एक पुस्तक लिखने का संयुक्त प्रयास शुरू किया। तथापि उक्त पुस्तक लेखन के लिए कोई धन राशि का आवंटन नहीं किया गया था।

फैकल्टी सदस्यों द्वारा तैयार की गई तथा छात्रों में वितरित की गई भाषण-सामग्री की पाण्डुलिपि का संकलन विभाग की सम्पादकीय समिति द्वारा किया गया था। इस पाण्डुलिपि पर, मार्च 1972 में, इंजीनियरी कालेज के शिक्षकों के लिए संस्था द्वारा गणित पाठयचर्या के विकास पर आयोजित एक संगोष्ठी में विचार-विमर्श किया गया। उक्त विचार-गोष्ठी से प्राप्त सुझावों के आधार पर तदन्तर फकल्टी ने अपने सामान्य कार्य के एक अंग के रूप में, उक्त पाण्डुलिपि के संशोधन का कार्य प्रारम्भ किया। 10+2+3 की योजना को लागू करने के साथ ही उक्त पाण्डुलिपि में फिर संशोधन की आवश्यकता है, जो कि अपने सामान्य शैक्षिक कार्यकलाप के एक अंग के रूप में फैकल्टी द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के शासी बोर्ड ने उक्त फैकल्टी के सदस्यों को पुस्तकों/मोनोग्राफी को तैयार करने/लिखने में सहायता प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 1976 में एक योजना तैयार की है। उक्त योजना के अन्तर्गत, बोर्ड ने सहायता पाने हेतु फैकल्टी से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। अब तक 9 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच / छानबीन की जा रही है।

उक्त योजना के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने से पूर्व संस्था ने फैकल्टी के दो सदस्यों के लिए "इंजीनियरिंग मकैनिक्स" तथा अन्य "इंजीनियरिंग मेजरमैंट एनेलिसिस" पर पुस्तक लिखने के लिए 5,000/—रुपए की आकस्मिक धनराशि मंजूर की थी। हाल ही में बोर्ड ने प्रायोगिक मेकैनिक्स विभाग के एक प्रोफेसर को "चार्ज डिफार्मेशन आन मेटलिक मटीरियल्स" पर एक मोनोग्राफ लिखने के लिए एक अनुसन्धान सहायक की पूर्णकालिक सेवाएं तथा 2,000/—रुपए का अनुदान भी मंजूर किया है।

Uniform Syllabus from 1st to Graduate Classes

†3766. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to prepare a uniform syllabus for education from first standard to Postgraduate classes thoughout the country and advise the state Governments to introduce it after approving the same; and

(b) if not, the hurdles therein?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) No, Sir. In a big country like India with so much diversity, it would not be desirable to have an uniform syllabus for the various courses throughout the country. However, in order to have a broad parity of standards in school education throughout the country, the National Council of Educational Research and Training has developed frame work and model curricula and syllabus. The various Boards of Secondary Education frame their own curriculum and syllabus keeping in view the NCERT's curriculum and syllabus.

Similarly at the University level, each University prescribes its own syllabi| courses of studies in consultation with its academic bodies as per provision of the Statutes|Acts of the University, keeping in view the model syllabi prepared by Subject Panels|Committees of University Grants Commission and according to local needs.

कृषि विश्व विद्यालयों के लिए प्राथमिकतायें और राष्ट्रीय परियोजनायें

3767. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् त्रुटियों तथा दोहरे प्रयासों से बचने के लिये कृषि-अनुसन्धान के लिये स्पष्ट रूप से प्राथमिकतायें निश्चित करती है और कृषि विश्वविद्यालयों की अनुसन्धान परियोजनाओं की जांच करती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रीय स्तर पर कृषि अनुसन्धान की एक समन्वयक एजेंसी है । अनुसन्धान कार्यक्रम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा विभिन्न संस्थानों और विभिन्न विषयों के बीच तालमेल रखने के लिए एक सहकारी अनुसन्धान पद्धति विकसित की गई है । इस पद्धति में केन्द्र सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के विभिन्न संस्थानों तथा विभिन्न राज्य अपने-अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से भाग लेते हैं । उक्त पद्धति से विभिन्न केन्द्रीय संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजनाओं की श्रृंखला के माध्यम से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध किया गया है । प्रतिवर्ष कार्य गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं । इन कार्य गोष्ठियों में परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत वैज्ञानिक पिछले वर्ष के परिणामों पर सविस्तार विचार करते हैं तथा अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं । इस प्रकार समन्वित परियोजनाएं सहकारी अनुसन्धान के एक राष्ट्रीय ग्रिड का रूप धारण करती है । उक्त प्रणाली का उद्देश्य अनुसन्धान प्रयासों में सभी प्रकार के दोहरेपन को समाप्त करना तथा अनुसन्धान पर होने वाले खर्चे से अधिकतम लाभ उठाना है । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के विभिन्न वैज्ञानिक पैनल भी तदर्थ अनुसन्धान योजनाएं स्वीकृत करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उस तरह की कोई दूसरी योजना तो नहीं चल रही ।

दिल्ली शिक्षा विभाग में अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाया जाना

3768. **श्री फिरंगी प्रसाद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिक्षा विभाग के स्कूलों के अध्यापकों को, जिन्होंने यह आवेदन किया था कि उनके वेतनमान बढ़ाकर उनके कनिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान के बराबर किया जाये, उन अध्यापकों की सर्विसबुकों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिनके वेतनमान के बराबर उन्होंने अपने वेतनमान करने की मांग है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में स्कूल के अधिकारियों को कोई आदेश जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली शिक्षा विभाग के सभी शिक्षा जिलों के, जिला वार ऐसे अध्यापकों का ब्यौरा क्या है जो इस संबंध में कोई विशेष आदेश न होने के कारण अपने कनिष्ठ अध्यापकों की सर्विस बुकों की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं तथा ऐसे मामले कब से लम्बित पड़े हैं ; और

(घ) सरकार का इन लम्बित मामलों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यह सूचना मिली है कि यह ठीक नहीं है ।

(ख) वेतन बढ़ाये जाने से सम्बन्धित सभी मामलों को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजने की स्कूलों के अध्यक्षों को सलाह दी गई है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीदने के लिए गृह निर्माण ऋण दिया जाना

3769. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण गाज़ियाबाद से फ्लैटों की खरीद के लिये ऋण पाने हेतु कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं और कब से ;

(ख) क्या आवंटियों को फ्लैटों के आवंटित होने की तारीख से फ्लैट के मूल्य पर ब्याज देना पड़ता है जोकि गृह-निर्माण ऋण पर ब्याज की तुलना में अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो फ्लैटों की खरीद के लिये गृह-निर्माण ऋण शीघ्र ही देने की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 14-7-77 को, निलंबित आवेदन-पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

(i)	डी० डी० ए० फ्लैटों की खरीद के लिए	56
(ii)	गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण फ्लैटों की खरीद के लिए	शून्य

नवम्बर, 1976 तथा इसके बाद से आवेदन-पत्र निलंबित पड़े हुए हैं ।

(ख) विभिन्न आवास अधिकरणों के पास अलग-अलग पद्धतियां है । यह पद्धति गाज़ियाबाद में प्रचलित है इसकी जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है । जहां तक डी० डी० ए० का संबंध है, यह नकद भुगतान के आधार पर आवंटित फ्लैट के मूल्य की पूर्ण अदायगी के लिए दो महीने और किराया खरीद के आधार पर आवंटन के मूल्य का आंशिक अदायगी के लिए एक महीने का समय देता है तथा शेष किश्तों में वसूल करता है । निर्धारित समय के भीतर पूर्ण अथवा आंशिक मूल्य की अदायगी के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाता है किन्तु इसके बाद और अधिक समय के लिए दण्ड के रूप में 12 प्र० श० की प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल किया जाता है । जैसा कि किराया खरीद पद्धति

के अन्तर्गत शेष राशि के लिए $7\frac{1}{2}$ प्र० श० प्रतिवर्ष की दर से ब्याज को मूल्य में मिला दिया जाता है और कुल राशि समान मासिक किस्तों में वसूल की जाती है। सरकार की ब्याज दरें इस प्रकार हैं :

25,000 रुपये तक ऋण पर $6\frac{1}{2}$ प्र० श०

25,000 रुपये से अधिक पर 50,000 रुपये तक 8 प्र० श०

50,000 रुपये से ऊपर 10 प्र० श०।

सरकार किराया खरीद किस्तों की अदायगी पर ऋण नहीं देती है। अतः दो ब्याज दरों की तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता ; और विलम्ब से अदायगी करने पर 12 प्र० श० प्रतिवर्ष की दर के बारे में, यह विचार वास्तविक अग्रिम पर सरकार द्वारा वसूल किये ब्याज से पूर्णतः भिन्न है।

(ग) नकद भुगतान के आधार पर खरीद के मामलों का शीघ्रता से निपटान किया जाता है। तथापि जो मामले निलम्बित पड़े हुए हैं वे वर्तमान नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

गेहूं, चावल, आदि की औसत उपज और उत्पादन लागत

3770. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेंहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मंगफली की राज्यवार प्रति हैक्टार औसत उपज तथा उत्पादन लागत कितनी है ; और

(ख) इन अनाजों की अखिल भारतीय प्रति हैक्टार औसत उपज तथा उत्पादन लागत कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) संलग्न विवरण 1 [ग्रान्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 738/77] में वर्ष 1975—76 के लिए विभिन्न राज्यों तथा समस्त देश के लिए गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा मूंगफली की प्रति हैक्टार औसत उपज (किलोग्रामों में) दी गई है। विभिन्न राज्यों में बारी बारी से प्रमुख फसलों की खेती की लागत के लिए सर्वेक्षण की व्यवस्था की गई है। नवीनतम उपलब्ध वर्ष के लिए चुनीदा राज्यों में इन फसलों के संबंध में प्रति हैक्टार खेती की लागत का विवरण 2 में उल्लेख किया गया है। चूंकि सभी राज्यों में इन फसलों के संबंध में एक साथ सर्वेक्षण नहीं किये जाते, इसलिए अखिल भारतीय-स्तर पर प्रति हैक्टार खेती की लागत का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

कृषि उत्पादन के लिए लघु सिंचाई योजना

3771. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने लघु सिंचाई के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। लघु सिंचाई कृषि विकास की राज्य योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है।

(ख) लघु सिंचाई कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 25 लाख रुपये (पर्वतीय क्षेत्रों में 30 लाख रुपए) की लागत की सतही जल योजनाओं तथा भूमिगत जल योजनाएं शामिल हैं। पांचवीं योजना में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में कुल 761.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की कमी की पूर्ति काफी हद तक संस्थागत निवेश से हो जाएगी। पांचवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान संस्थागत स्रोतों से लगभग 584 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। संस्थागत निवेश की गति को तेज़ करन के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

आशा है पांचवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम से 73 लाख हैक्टर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता सर्जित होगी।

सन्थाली भाषा को मान्यता

3772. **फादर एन्थनी मुर्मु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है कि सन्थाली भाषा को एक प्रमुख भारतीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाये ; और

(ख) क्या सन्थाली को भारत की एक प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता दे देने से सन्थाल लोगों में साक्षरता और सामाजिक एकता बढ़ जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं। तथापि, ओल चिकी लिपि की मान्यता के बारे में कुछेक तार प्राप्त हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Dam on the Yamuna River at Pachnada in Jalaun, U.P.

3773. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to construct a dam on the Yamuna river at Pachnada in Jalaun District of Uttar Pradesh; and

(b) if so, when the construction work there is likely to commence?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The Government of Uttar Pradesh have stated that a proposal to construct a dam across river Yamuna downstream of confluence with the rivers Chambal, Sind, Kunwari and Pahuj on the boundary of Jalaun and Etawah districts is being investigated.

(b) As the proposal is yet in preliminary stage of investigations, it is not possible to indicate any definite schedule of commencement of work.

भारतीय खाद्य निगम के भूतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र

3774. **श्री समर मुखर्जी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के भूतपूर्व चेयरमैन श्री इकबाल सिंह के विरुद्ध न्यायालय में दो अलग-अलग आरोप-पत्र दाखिल किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री ओ० एन० वोहरा, विशेष जज, दिल्ली के न्यायालय में 4 मई, 1977 को श्री इकबाल सिंह, भारतीय खाद्य निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और दो गैर-सरकारी पार्टियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 120–बी भा० द० सं० आर/डब्ल्यू 5(2)/5(1)(डी) के अन्तर्गत और पी० सी० अधिनियम की धारा 5(2)/5(1)(डी) के अन्तर्गत मुख्य अपराध करने के कारण दो आरोप पत्र दायर किये हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने उपर्युक्त दो पार्टियों को मक्का की बिक्री के ठेके के बारे में अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया था।

Irregularities in Allotment of Flats

3775. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the former Vice-Chairman of the D.D.A. had, at the instance of Congress leaders, committed irregularities in matters of allotment of flats and land and his actions are being probed;

(b) whether a Joint Secretary of the Ministry has been appointed as Vice-Chairman instead of the able officers of the Delhi Administration who have experience of housing problems at their credit;

(c) whether Government propose to fill this post by appointment of an officer belonging to weaker sections or minority community;

(d) the names of officers in the Delhi Administration having wide experience of housing problems and civil administration and the reasons for not appointing any of them to this post; and

(e) Government's plans to set right the working of D.D.A.?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Certain allegations have been received which are being looked into.

(b) and (c). A Senior officer who was working in the Delhi Administration has since been posted as Vice-Chairman, D.D.A.

(d) The question does not arise now.

(e) The Government are paying attention to improving matters.

जापानी मार्किंग वाला कबूतर

3776. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजापुर जिले में इल्कल की सन्त मातंगा बादरी दरगाह के आहाते में एक कबूतर पाया गया है जिसकी टांग में धातु की एक पत्ती बन्धी है;

(ख) क्या धातु की इस पत्ती पर जापानी मार्किंग है; और

(ग) क्या सरकार ने इस पक्षी के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जापानी दूतावास से सम्पर्क करने के प्रयास किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) वन्य-प्राणी संरक्षण के वनपाल, बंगलौर ने हमें सूचित किया है कि इल्कल स्थित महाविद्यालय, जहां कबूतर पाया गया था, के प्राधिकारियों ने "जापान रेसिंड पिजन एसोसिएशन" के अध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित किया था। अध्यक्ष ने कबूतर को इसके मालिक को सौंपने के उद्देश्य से इसे जापान के दूतावास के माध्यम से वापिस करने का अनुरोध किया है। आशा है कि कबूतर का मालिक इसकी टांग में बंधे फीते में पाये गये नम्बर के बारे में पहले ही किये गये व्यापक प्रचार को दृष्टिगत रखते हुए पक्षी की वापसी की मांग करेगा। इस दौरान स्थानीय वन प्राधिकारियों ने पक्षी को अपने अधिकार में ले लिया है। जापान के दूतावास को इस मामलें की सूचना दे दी गई है।

Demand for Additional Classes in Central School in Maharashtra

3777. **Shri Laxmi Rao Mankar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the children of the employees of Jawaharnagar Ordnance Factory in Maharashtra are not being admitted to 1st and 2nd standard of the Central school at Bhandara for want of sanction therefor; and

(b) the reasons for not according approval by the Central Government for starting additional Sections in 1st and 2nd standards there despite demand made therefor; and

(c) the arrangements being made by Government in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) Admissions to Central Schools including 1st and 2nd standards are made only with reference to the number of transfers that the Central Government employee has had during the preceding seven years and the children of such employees in the Jawaharnagar Ordnance Factory would also be considered on that basis; no special sanction for their admission is required.

(b) Already the school is being run in double shift for class I to VI and additional sections can only be opened only if additional accommodation becomes available.

(c) The land is to be made available by the Ministry of Defence for construction of additional buildings and this is awaited.

नेहरू युवक केन्द्र, चित्तूर में 'यूथ काम्रार्डिनेटर' की नियुक्ति

3778. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर जिले में नेहरू युवक केन्द्र, चित्तूर के लिए एक 'यूथ कोआर्डिनेटर' (युवक समन्वयकर्ता) है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसकी नियुक्ति कब तक नहीं किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) नेहरू युवक केन्द्र, चित्तूर में नियमित रूप से चुना हुआ कोई युवक समन्वयक नहीं है । इस पद के कार्य की देख-रेख राज्य सरकार का एक अधिकारी कर रहा है । यह पद शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है ।

उर्वरक का प्रति एकड़ उपयोग

3779. **श्री समरेन्द्र कुण्डू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक का प्रति एकड़ उपयोग कितना रहा;

(ख) इन उर्वरकों में से कितना छोटे किसानों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि उत्पादित उर्वरक की खपत छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों द्वारा की जाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1973–74 से 1975–76 के वर्षों के दौरान बोये गये प्रति एकड़ क्षेत्र में उर्वरक के प्रयोग की उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है :—

	किलोग्राम प्रति एकड़
1973–74	6.76
1974–75	6.36
1975–76	6.84
अनंतिम	

(ख) विभिन्न वर्गों के किसानों में उर्वरकों की खपत के स्तरों के बारे में अलग से कोई सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) लघु कृषक विकास एजेंसी, आदिवासी विकास एजेंसियां, लघु कृषकों के हित में ब्याज की विभेदक दर की योजना इत्यादि विशेष योजनाएं चालू हैं जिनके अन्तर्गत कमजोर वर्गों में, अन्य चीजों के अलावा, उर्वरक का प्रयोग बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त,

खाद्य उर्वरक सम्वर्धन अभियान, चलती-फिरती दुकानों सहित अधिक फुटकर दुकानों को, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में, खोलना ऐसे अन्य कार्यक्रम हैं जिन से अन्य किसानों के अतिरिक्त, लघु और मध्यम किसानों द्वारा उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की सम्भावना है।

चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों तथा कपास के थोक व्यापार के सरकारीकरण का प्रस्ताव

*3780. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने हेतु सरकार का विचार चावल, गेहूं, खाद्य तेलों तथा कपास के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उत्पादों के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को वित्तीय सहायता

3781. **श्री चतुर्भुज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु एवं सीमान्त किसानों को वित्तीय सहायता देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं विचाराधीन हैं उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : लघु तथा सीमान्त किसानों को वित्तीय सहायता देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य योजना लघु किसान विकास एजेंसी परि-योजनाओं की है। इस योजना में संशोधनों, जो आवश्यक समझे जाएं, के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और इनके प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के लिये उर्वरकों की आवश्यकता

3782. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये उर्वरकों की कुल आवश्यकता कितनी है और इसे कितने के लिये मंजूरी दी गई है; और

(ख) अन्दमान प्रशासन ने कितनी मांग रखी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों की अगले खरीफ मौसम की उर्वरकों की मांग का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष फसल मौसमवार जनवरी में और आगामी रबी मौसम की मांग का मूल्यांकन जुलाई में किया जाता है। खरीफ 1977 के लिये

अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की नाइट्रोजन की कुल मांग का मूल्यांकन 11 मीटरी टन, फास्फेट का 6 मीटरी टन और पोटाश का 3 मीटरी टन किया गया था। इसमें मार्गस्थ स्टाक की व्यवस्था भी शामिल थी। नाइट्रोजन तथा पोटाश की सप्लाई क्रमश: केन्द्रीय उर्वरक पूल तथा भारतीय पोटाश लिमिटेड द्वारा की जानी थी और फास्फेट की सप्लाई देशी विनिर्माताओं द्वारा की जानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अंदमान तथा निकोबार प्रशासन ने अभी तक उर्वरकों की सप्लाई के लिये प्रेषण अनुदेश नहीं भेजे हैं।

दक्षिणी चावल जोन में गोआ को शामिल करना

3783. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कर्नाटक के साथ-साथ गोआ को भी दक्षिणी चावल जोन में शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : क्योंकि गोआ की चावल की मांग अधिकांशत: केन्द्रीय पूल से पूरी की जाती है इसलिए गोआ को दक्षिणी चावल जोन में शामिल करने का कोई विचार नहीं है।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली चीनी

3784. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली चीनी की मात्रा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). हम राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए प्रति मास 2.05 लाख मीटरी टन लेवी चीनी निर्मुक्त कर रहे हैं। राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर वितरण की मात्रा के बारे में स्वयं निर्णय करती हैं बशर्ते कि सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किसी व्यक्ति को 1 किलो प्रति मास से अधिक अथवा 300 ग्राम प्रति मास से कम और किसी परिवार को 1 किलो प्रति मास से कम चीनी नहीं दी जायेगी। राज्य सरकारों को लेवी चीनी के आवंटन में वृद्धि करने के बारे में इस समय सरकार के विचाराधीन नीति विषयक निर्णयों के संदर्भ में विचार किया जायेगा।

महिलाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम

3785. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु बहुत से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समाज कल्याण बोर्ड की केन्द्रीय समिति तथा राज्य समिति महिलाओं की प्रगति में कितनी वृद्धि कर सकी है और उस दिशा में उसके क्या मुख्य कार्यक्रम है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों के सम्बंन्ध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) दिव्तीय पंचवर्षीय योजना में संक्षिप्त पाठ्यक्रमों में दाखिल महिलाओं की संख्या 4531 थी जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 8091 हो गई । यह योजना 1958 में आरम्भ हुई थी, जब से अब तक लगभग 46,000 प्रौढ़ महिलाओं को इस से लाभ पहुंचा है ।

विवरण

संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मंजूर किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	44
2	असम	13
3	बिहार	22
4	गुजरात	10
5	हरियाणा	12
6	हिमाचल प्रदेश	5
7	जम्मू और कश्मीर	2
8	कर्नाटक	26
9	केरल	30
10	मध्य प्रदेश	40
11	महाराष्ट्र	14
12	मणिपुर	6
13	मेघालय	3
14	नागालैंड	कोई नहीं
15	उड़ीसा	11
16	पंजाब	6
17	राजस्थान	22
18	सिक्किम	कोई नहीं
19	तमिलनाडु	49
20	त्रिपुरा	2
21	उत्तर प्रदेश	17
22	पश्चिम बंगाल	28

संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मंजूर किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या
संघ शासित क्षेत्र		
23	अंडमान और निकोबार द्वीप . . .	कोई नहीं
24	अरुणाचल प्रदेश . . .	कोई नहीं
25	चंडीगढ़	कोई नहीं
26	दादरा और नगर हवेली . .	कोई नहीं
27	दिल्ली	11
28	गोआ, दमन और दीव .	कोई नहीं
29	लक्ष्यद्वीप . . .	कोई नहीं
30	मिजोरम . .	2
31	पांडीचेरी . .	2
	जोड़	377

Drought-Prone Area Programme for Betul

3786. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned any scheme for Betul under Drought-Prone Area Programme; and

(b) if so, the progress made so far in regard to that scheme?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir.

(b) The progress of expenditure was Rs. 272.32 lakhs on 31st March, 1977 against the outlay of Rs. 271.25 lakhs. It being a continuing Scheme, adjustment of expenditure within approved plan outlay poses no problem.

फसल के बीमे से लाभ

3787. **श्री पी० वी० नरसिम्हाराव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा उत्पादन वृद्धि में किसानों को सहायता के लिए सरकार फसल के बीमे को अनिवार्य समझती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर सरकार ने विचार किया है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या सरकार का विचार आरम्भ में कम से कम ओला वृष्टि, तूफान तथा बाढ़ आदि जैसी विशिष्ट और जांच की जा सकने वाली दैवी आपदाओं के बारे में फसल बीमा प्रणाली आरम्भ करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) व (ग). किसानों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए फसल बीमा योजनाओं को आरम्भ करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । भारत सरकार के सुझाव पर, सामान्य बीमा निगम ने वर्ष 1973 से 1976 के दौरान स्वैच्छिक आधार पर चुने इलाकों में चुनी फसलों के लिए प्रायोगिक योजनाएं शुरु कीं । तथापि, इन योजनाओं को, व्यवहारिक रूप में, व्यापक आधार पर कार्यान्वियन के लिए अलाभकर तथा अनुपयुक्त पाया गया था । सामान्य बीमा निगम समरूप कृषि-जलवायु तथा सन्निकट खंडों के लिए क्षेत्र आधार पर फसल बीमा की एक संशोधित योजना पर विचार कर रहा है । ओलावृष्टि, बवण्डर, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक अपदाओं से राहत के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है ।

अपना घर बनाने की योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को निदेश

3788. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों में अपना घर बनाने की योजना को लोकप्रिय बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को मकानों के लिए भूमि और मकान बनाने हेतु ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क तथा (ख). सामान्य जनता के निम्न और मध्यम आय वर्गों के लोगों के लाभार्थ पहले ही आवास योजनाएं हैं जिनके अधीन अन्य लोगों के साथ-साथ कर्मचारीगण अपने मकान बनाने के लिए ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । राज्य सरकारों तथा उनके निकायों द्वारा इन योजनाओं के अन्तर्गत बने मकान पात्र व्यक्तियों को सीधे ही खरीद या किराया-खरीद के आधार पर आबंटित किए जा सकते हैं ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सरकार उन्हें गृह निर्माण अग्रिम देती है ताकि वे अपने मकान बना सकें अथवा सरकारी आवास अभिकरण व सहकारी समिति से मकान/फ्लैट खरीद सकें। इसके अलावा, भारत का जीवन बीमा निगम "अपना घर योजना" तथा "अपना फ्लैट योजना" नामक योजनाओं को चला रहा है जिसके अन्तर्गत पोलिसीधारी क्रमशः मकान बनाने के लिए तथा फ्लैट/अपार्टमेंट खरीदने के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है।

(ग) तथा (घ). ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को योजना स्कीम के अन्तर्गत निःशुल्क रूप से आवास-स्थल देने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वास-स्थलों पर मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। इन वास-स्थलों के आबंटियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने ही संसाधनों या राज्य सरकारों अथवा स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सहायता से उन पर मकान बनाएं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल, 1977 के अन्त तक 113,88,451 पात्र भूमिहीन परिवारों में से 72,30,311 परिवारों को वास-स्थल दे दिए गए हैं। भूमिहीन मजदूरों को दिए गए वास-स्थलों पर मकान बनाने के लिए उन्हें कुछ राज्य सरकारों द्वारा नकद रुपये तथा निर्माण-सामग्री दोनों ही तरह से सहायता दी जा रही है।

केरल में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाना

3789. **श्री सी० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में केरल सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) कन्नानूर में, जहां बहुत बड़ा सैनिक संगठन है तथा केन्द्रीय सरकार के बहुत से कार्यालय हैं, केन्द्रीय विद्यालय मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख). केरल सरकार ने वर्ष 1971 में केरल में कोट्टायाम, त्रिचूर तथा कन्नानूर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संभावना जानने की इच्छा प्रकट की थी। केरल सरकार को नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की शर्तें सूचित की गई थीं तथा उनसे संगठन के मानकों की पुष्टि करते हुए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। उस सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, चन्द्रनगर सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, पालघाट से पालघाट में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि पालघाट में बसे हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या रेलवे से संबंधित है, यह सुझाव दिया गया था कि यह प्रस्ताव रेलवे विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए, इस स्कूल पर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय दोनों वहन करने के लिए भी उन्हें सहमत होना चाहिए।

(ग) रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर सैनिक प्रतिष्ठानों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं। रक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने की अपनी प्राथमिकता की सूची में कन्नानूर को अभी तक शामिल नहीं किया है।

Tobacco Production

3790. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have taken steps for increasing tobacco production, and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir.

(b) In order to increase the production of exportable types of VFC tobacco in the country, a Centrally sponsored scheme for the development of VFC tobacco in the light soil areas of Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka and U.P. was taken up in the year 1966-67 and is continuing during 1977-78. Since the crop is new to the growers, incentives in the form of subsidy at the rate of 20 per cent of the cost of construction of barns subject to a ceiling of Rs. 1,500 per barn, Rs. 375 per hectare for production of nematode-free seedlings and Rs. 250 per hectare for field demonstations for a unit of 3 hectare plot are provided to the growers covered under the scheme. In addition the farmers are given the necessary technical advice in improved methods of tobacco cultivation by the staff provided under the scheme. During 1977-78 an additional area of 12,500 hectares is proposed to be covered in the above States for which a budget provision of Rs. 88.00 lakhs has been made.

State Agricultural Farms

379v. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number and the locations of State Agricultural Farms in the country;

(b) mode of their being managed at present;

(c) whether Government are satisfied with their present management; and

(d) if not, the changed proposed to be made in their management?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) A statement containing the information is enclosed.

(b) These farms are being managed by the State Farms Corporation of India Limited, which is a public Sector Undertaking under the Government of India.

(c) and (d) Considering the increasing in the average production per hectare and the increase in the overall production at the Central State Farms, it can be stated that the management of these farms is satisfactory. However, there is always scope for improvement. Government, therefore, keep a watch on its performance with a view to improving its working as may be possible.

Statement

S. No.	Name and location of the Farm.	
1.	Suratgarh	(Rajasthan)
2.	Jetsar	(Rajasthan)
3.	Ladhowal	(Punjab)
4.	Kokilabari	(Assam)
5.	Bahraich	(Uttar Pradesh)
6.	Rae Bareilly	(Uttar Pradesh)
7.	Hissar	(Haryana)
8.	Raichur	(Karnataka)
9.	Chengam	(Tamil Nadu)
10.	Aralam	(Kerala)
11.	Lokichera and Lushaiphera	(Mizoram)

नर्मदा परियोजना के बारे में गुजरात का अनुरोध

3792. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने नर्मदा परियोजना के बारे में हाल में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने 530 फुट के पूरे जलाशय स्तर वाली नर्मदा परियोजना के लिए निर्माण उपस्कर प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि नर्मदा न्यायाधिकरण के फैसले के बाद परियोजना का निर्माण-कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। इस प्रस्ताव में विभिन्न निर्माण-कार्यों के लिए आवश्यक उपस्करों, उनकी कुल लागत, अग्रिम कार्रवाई के लिए आवश्यक उपस्करों तथा आयातित उपस्करों की आवश्यकताओं का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) नवगाम बांध की ऊंचाई से सम्बन्धित मामले पर नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है और सम्भावना है कि न्यायाधिकरण अपना फैसला लगभग एक वर्ष में दे देगा । जब तक बांध की ऊंचाई अन्तिम रूप से तय नहीं हो जाती तब तक गुजरात सरकार द्वारा नवगाम परियोजना के निर्माण के लिए प्रस्तावित आवश्यक उपस्करों के बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता । तथापि, इस उद्देश्य से कि उतनी ऊंचाई तक नवगाम बांध के क्रियान्वयन में जितनी कि न्यायाधिकरण द्वार निर्धारित की जाए, समय नष्ट न हो, गुजरात सरकार के प्रस्ताव की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा यथा सम सीमा तक जांच की जा रही है ।

नलकूपों के लिए आवंटित धनराशि का उचित प्रयोग करने के बारे में समिति

3793. **श्री मीठा लाल पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में गहरे नलकूप लगाने के लिए आवंटित धनराशि का उचित व्यय सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राजस्थान में उन कार्यों में क्या प्रगति हुई है जिनके लिये धनराशि की व्यवस्था की गई थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सिंचाई राज्य का विषय है और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि, जिसमें गहरे नलकूप लगाने की धनराशि भी शामिल है, का प्रावधान राज्य की योजनाओं में किया जाता है। यह सुनिश्चित करने की प्रमुख ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है कि विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के लिए, जिसमें गहरे नलकूप भी शामिल हैं, राज्य की योजनाओं में नियत की गई धनराशि समुचित ढंग से खर्च की जाती है। संक्रातिक क्षेत्रों में लघु सिंचाई के निर्माण-कार्यों के लिए उत्तरदायी अपने मौजूदा संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत की समान सहायता के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(ख) राजस्थान में गहरे नलकूप लगाने का काम राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड करता है, जो कि एक वाणिज्यिक संगठन है। यह बोर्ड सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेय जल के लिये तथा किसानों की ओर से, जो संस्थागत स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं, सिंचाई के प्रयोजन के लिये जल संचय करने का निर्माण कार्य करता है। बोर्ड ने योजना की धनराशि से गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई के उद्देश्य से किसी नलकूप का बेधन नहीं किया है।

गेहूं की बिक्री के मूल्यों में कटौती

3794. **श्री निहार लास्कर :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भण्डारण सम्बन्धी बढ़ रही समस्या के हल के विचार से गेहूं की बिक्री के मूल्यों में कटौती करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मूल्यों में इस कटौती का लाभ जनता के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को देने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० आर० सी० मजूमदार को राष्ट्रीय प्राध्यापक पद पर नियुक्त करना

3796. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध इतिहासकार डा० आर० सी० मजूमदार को राष्ट्रीय प्राध्यापक पद पर नियुक्ति पर सम्मान देने के बारे में कार्यवाही करने सम्बन्धी मांग सदन में उठाई गई थी;

(ख) क्या उक्त मामला पुन: उठाया गया है;

(ग) क्या यह मामला विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो क्या डा० मजूमदार की आयु को ध्यान में रखते हुए, जो हाल ही 81 वर्ष के हुए हैं, इस मामले में निर्णय शीघ्र लिए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप की योजना इस समय समीक्षाधीन है । नयी नियुक्तियां करने का प्रश्न इस समीक्षा के बाद लिया जाएगा ।

हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को सहायता

3797. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हिन्दी को प्रोत्साहन देने हेतु हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति करके सभी गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) उस राशि से उक्त अवधि में कर्नाटक में कितने हिन्दी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 4.76 करोड़ रुपये ।

(ग) 650 ।

महाराष्ट्र के अपर वर्धा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दिया जाना

3798. **श्री बसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की अपर वर्धा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत, सिंचाई क्षमता और उसके परिणामस्वरूप जलमग्न होने वाले गांवों और कस्बों के नामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं हैं और इसके शीघ्र और प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है, किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) अपर वर्धा परियोजना पर 39.88 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसमें 58,000 हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता के सृजन की परिकल्पना की गई है । इस परियोजना के निर्माण से अमरावती और वर्धा जिलों के 23 गांवों और कस्बों के, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, जलमग्न हो जाने की संभावना है ।

जिला अमरावती, तालुका सोर्डी

थाना, धुनी, मेधवाडी, सुरवाडी-बी के, सुरवाडी-के एच, सिंगोरी, इत्तमगांव, पलसवाडा (आंशिक) जमालपुर (आंशिक), हतूर्ना (आंशिक), करजगांव और सिरूर ।

जिला वर्धा, तालुका आरवी

पिपला, सवांगा, वडाला (आंशिक), दुर्गवाडा (आंशिक), पतुर्दा (कोपरा), सिररी, नंदोरा, सुब्दा, पीलापुर, राजपुर और गाग्रोला ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन में कोई रुकावट आने की संभावना नहीं है । परियोजना का निर्माण चल रहा है और 1977–78 के लिए 19 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है ।

मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कालेज, भोपाल के बारे में ज्ञापन

3799. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कालेज, भोपाल के बारे में कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं—एक मौलाना आजाद टेक्नालाजी कालेज, भोपाल के कर्मचारी संघ से और दूसरा

कालेज के सात प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा एक मैकेनिक से। कर्मचारी संघ ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के विकास के लिए 1974 की जय कृष्ण पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है। पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें निम्न लिखित हैं :

(1) संसद के एक अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की एक परिषद स्थापित की जानी चाहिए और उसको डिग्रियां प्रदान करने तथा अनुदान देने के अधिकार दिए जाने चाहिएं;

(2) अलग-अलग कालेजों में स्वायत्तशासी निकाय होने चाहियें ; और

(3) कालेजों को धन दो स्रोतों से देना अधिक संतोषजनक नहीं है तथा भविष्य में कालेजों की वित्तीय जिम्मेदारी पूर्णत: केन्द्रीय स्रोत की होनी चाहिए।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने 17 मई, 1974 को हुई अपनी बैठक में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार किया था। समिति की सिफारिशों से सामान्यत: सहमत होते हुए परिषद् ने यह सिफारिश की कि (क) इन इंजीनियरी कालेजों के लिए सांविधिक परिषद् के स्थान पर, सभी नीति सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने तथा इन कालेजों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की जाए, (ख) केन्द्रीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए शासी निकाय के गठन में संशोधन किया जाए, और (ग) दाखिला तथा भर्ती नीतियों, दोनों के सम्बन्ध में इन कालेजों के वर्तमान स्वरूप को कायम रखा जाए।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में सभी नीति सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने तथा इन कालेजों के भावी विकास के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करने के हेतु इन क्षेत्रीय इंजिनयिरी कालेजों के लिए सलाहकार समिति स्थापित की जा चुकी है। इन कालेजों के शासी निकायों के गठन में भी उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है। जहां तक पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट में की गई शैक्षिक सिफारिशों का सम्बन्ध है, कालेजों के भावी विकास के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना इन कालेजों के शासी निकायों का काम है।

केन्द्रीय सरकार ने भी यह निर्णय किया है कि इन कालेजों को धन देने की वर्तमान पद्धति को वर्ष 1974–75 से पांच वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

भोपाल कालेज के सात प्रवर श्रेणी लिपिकों और एक मैकेनिक द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कालेज के कुछ प्रशासकीय मामलों का उल्लेख है। कालेज के प्राधिकारियों द्वारा इनकी जांच. की गई है तथा एक स्थायी प्रिंसिपल नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

दुग्ध पाउडर का आयात

3800. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान दुग्ध पाउडर का बड़े पैमाने पर आयात किया गया था ;

(ख) क्या आयातित दुग्ध पाउडर की लागत स्थानीय दुग्ध पाउडर से अधिक थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सौदे में कितनी हानि हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आपात काल के दौरान स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यिक आधार पर कोई आयात नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

मेधावी छात्रों को केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने के अवसर

3801. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मेधावी गरीब छात्रों को केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्कूलों में दाखिला मुख्यत: केन्द्र के स्थानान्तरणीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाता है मेधावी छात्रों तथा अन्यों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। I से VIII तक की कक्षाओं में कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है तथा IX से X तक की कक्षाओं में केवल मामूली शुल्क अर्थात् क्रमश: 6 रुपये, 7 रु० तथा 8 रु० लिया जाता है।

पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता

3802. **श्री के० प्रधानी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य ने 10+2 शिक्षा पद्धति के बारे में पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो स्कूल अध्यापकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा की गई सहायता के बारे में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि दिसम्बर, 1976 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा के सचिव ने बोर्ड द्वारा उड़िया में अनुवाद एवं उनको प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से निम्नलिखित 9 पुस्तकों की पाण्डुलिपियां ली थीं क्योंकि 1978–79 के शैक्षिक सत्र से इन पाठ्य पुस्तकों को अपनाने का उनका विचार है। :

(1) पर्यावरण द्वारा विज्ञान सीखना . . .	कक्षा III
(2) विज्ञान सीखना	कक्षा VI
(3) अंग्रेजी रीडर (एन०आई०ई० सीरीज) . .	कक्षा VI
(4) ऊपर लिखित तीन पुस्तकों की कार्य पुस्तक	
(5) इतिहास	कक्षा VI
(6) नागरिक शास्त्र . . .	कक्षा VI
(7) भौतिकि	कक्षा IX—X
(8) रसायन विज्ञान	कक्षा IX—X
(9) जीवन विज्ञान	कक्षा IX—X

समयबद्ध सिंचाई कार्यक्रम

3803. **श्री आर० पी० स्वामीनाथन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार चालू वित्तीय वर्ष में कौन सी सिंचाई योजनाएँ आरम्भ करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी समयबद्ध कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या भूतपूर्व सरकार द्वारा आरम्भ की गई सभी सिंचाई योजनायें पूरी हो जायेंगी अथवा पूरी होने वाली हैं; और

(घ) इस वर्ष किन राज्यों में ये योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। बहुत सी लघु स्कीमों के अतिरिक्त चालू वर्ष में 465 बृहद् और मध्यम स्कीमें, जिनमें से 235 स्कीमें पांचवीं योजना में नई आरम्भ की गई थीं, क्रियान्वित की जायेंगी।

(ख) जी, हां। इस वर्ष के दौरान इन स्कीमों (बृहद्, मध्यम तथा उनके साथ-साथ लघु स्कीमों) से 3 मिलियन हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त शक्यता के सृजन का लक्ष्य है। अधिकांश बृहद् एवं मध्यम स्कीमों को अगले सात वर्षों में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(ग) बृहद् एवं बहुद्देश्यीय परियोजनाओं को पूर्ण करने में अधिक समय लगता है परन्तु चतुर्थ योजना के अन्त तक हाथ में ली गई अधिकांश स्कीमों को पांचवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान काफी हद तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

(घ) जबकि लघु स्कीमों का कार्यान्वियन लगभग सारे देश में किया जा रहा है, लेकिन बृहद् एवं मध्यम स्कीमें इस समय 17 राज्यों एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

सरकारी कर्मचारियों को बिना पारी के आबंटन हेतु रक्षित फ्लैट

3804. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न भागों में सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्माणाधीन फ्लैटों की कुल संख्या कितनी है, वे कहां-कहां पर हैं और किस-किस टाईप के हैं;

(ख) वे कब तक बन जायेंगे और आवंटन हेतु तैयार हो जायेंगे;

(ग) क्या कुछ फ्लैट बिना पारी के आबंटन हेतु तथा पृथक् पूल वाले कार्यालयों के लिए रक्षित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में निर्माणाधीन सामान्य पूल वास के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

स्थान	टाईप				
	I	II	III	IV	जोड़
बदरपुर, महरौली रोड . . .	210	651	414	60	1335
मस्जिद मोठ . . .	—	—	360	—	360
रामकृष्णपुरम . .	—	—	—	24	24
डी०आई०जेड० क्षेत्र . . .	272	680	140	—	1092
मिन्टो रोड	495	—	330	—	825
तिमारपुर	128	—	—	—	128
जोड़ . .	1105	1331	1244	84	3764

(ख) 128 क्वार्टर पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। 1739 क्वार्टरों के 1977–78 के दौरान पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

शेष क्वार्टरों के 1978–79 में पूरे हो जाने की आशा है।

(ग) तथा (घ). बिना बारी के आबंटन के लिये कोई फ्लैट आरक्षित नहीं किया गया है। तथापि, अधिकारियों को चिकित्सा के आधार पर बिना बारी का आबंटन स्पष्ट रिक्तियों के 5 प्र० श० की सीमा तक किया जाता है। इस तरह, उन कार्यालयों को जिनका अपना पृथक् पूल है, सामान्य पूल से कोई फ्लैट आरक्षित नहीं किया जाता। यदि सामान्य पूल के मुकाबले में उनकी परितुष्टि बहुत कम हो तो सामान्य पूल से अन्य पूलों को क्वार्टर हस्तान्तरित कर उनके क्वार्टरों को बढ़ाने के अनुरोधों पर विचार कतिपय मामलों में गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

शाहपुर रक्षित बन क्षेत्र में बसाये गये आदिवासियों को केन्द्रीय सहायता

3805. **श्री पूर्ण सिन्हा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में मैदानी क्षेत्र के लगभग 3000 क्षेत्रीय आदिवासी किसानों को बाढ़ तथा कटाव से पीड़ित तथा अन्यथा भूमिहीन निर्धन लोग होने के नाते शाहपुर रक्षित वन क्षेत्र में भूमि देने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) क्या आसाम सरकार ने पूर्वज्योति फार्मिंग कारपोरेशन बनाई थी, परन्तु पीड़ित आदिवासी लोगों को इसका सदस्य नहीं बनाया गया और दूसरी ओर उनको 1975 में आपातकाल के दौरान वहां से निकाल दिया गया;

(ग) क्या ऐसे लगभग 2000 निष्कासित परिवार पुनर्वास की प्रतीक्षा में पेड़ों के नीचे तथा नदी की रेत पर 18 महीनों से रह रहे थे और उसके बाद वे पुनः अपने पुराने स्थानों पर चले गये जहां से उन्हें गत 28 और 29 मई को बिना नोटिस तथा चेतावनी दिये निकाल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इन दुखी आदिवासी लोगों को क्या सहायता देगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय

3806. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने 1975 से 1977 के वर्षों में कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वे अपना कार्य किन तिथियों को शुरू कर देंगे; और

(घ) क्या 1977 और 1978 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ). वर्ष 1974 के पश्चात् कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है और न ही वर्ष 1977 तथा 1978 में ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव है।

New Irrigation Scheme

3807. Shri Hargovind Verma: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government are preparing any new irrigation scheme; and

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon and the time by which the scheme would be implemented?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) and (b). Irrigation is a State subject and irrigation schemes are being planned and implemented by the State Governments. The ultimate irrigation potential through major, medium and minor schemes is at present assessed at 107 million hectares, against which a potential of about 54 m.ha. is likely to be created by the end of the Fifth Plan.

It is estimated that creation of balance irrigation potential would cost over Rs. 30,000 crores on present day cost and could be achieved in about 25 to 30 years.

केरल फार्म के लिए बृहत् योजना

3808. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल फार्म फसल के लिए एक बृहत् योजना तैयार की है और यदि हां, तो क्या इस योजना के लिए कम से कम 282 लाख रुपये की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना की क्रियान्विति के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है;

(ग) क्या सरकार ने योजना की जांच की है और इस बारे में राज्य सरकार को कितना ऋण दिया जायेगा; और

(घ) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केरल सरकार की केरल फार्म फसलों से सम्बन्धित 282 लाख रुपये की लागत की किसी बृहत् योजना की भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं होते।

भारतीय खाद्य निगम के लिए निजी पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण

3809. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय अन्तर समन्वय के अभाव में उन पार्टियों को जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदाम बनाने की पेशकश की है निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विलम्ब, बाधाओं और कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निजी पार्टियों द्वारा गोदामों के निर्माण की योजना की क्रियान्विति के ढंग की निष्पक्ष 'टाइम एण्ड मोशन स्टडी' और दक्षता की जांच कराने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की आवश्यकता

3810. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्य उद्योग के लिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की आगामी पांच वर्षों की आवश्यकता के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) मछली पकड़ने वाली ऐसी नौकाओं के निर्माण के लिये लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र इस समय विचाराधीन हैं और आवेदनपत्रों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार ने पांचवीं योजना अवधि अर्थात् 1974–79 के लिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के सम्बन्ध में लगाए गए अनुमान के अनुसार मत्स्यन उद्योग को 200 ट्रालरों की आवश्यकता होगी । 1978–79 के बाद की आवश्यकताओं का मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) इस समय 36 ट्रालर चल रहे हैं । आयात द्वारा तथा देश में विनिर्माण करके 124 और ट्रालर उपलब्ध किए जा रहे हैं ।

(ग) चूंकि ये मामले इस मंत्रालय में निपटाये नहीं जाते, अतः यहां कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है ।

घटिया किस्म के माँल की सप्लाई के बारे में शिकायतें

3811. **श्री लखनलाल कपूर : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के एन० आई० सर्किल में निदेशक तथा उप निदेशकों आदि द्वारा 50 लाख रुपये के मूल्य के घटिया किस्म के और निर्धारित स्तर से नीचे के माल को जानबूझकर सप्लाई किये जाने के बारे में शिकायतें विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1976–77 में इस माल से अधिकांश अर्विन अस्पताल, दिल्ली, गन एंड शैल फैक्टरी, कलकत्ता और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई जैसे महत्वपूर्ण ग्राहकों को सप्लाई किया गया था;

(ग) क्या इनमें से कुछ माल की जांच की गई थी और वह ऐसे माल से असम्बद्ध लोगों यथा निदेशक और उपनिदेशकों द्वारा सामान्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके पास कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सप्लाई किये गये माल के बारे में परेषितियों द्वारा 30–6–77 तक 67 शिकायतें की गई हैं, जो कि निरीक्षण निदेशक, उत्तरी निरीक्षण मंडल में जांच के लिये विचाराधीन हैं। उन बकाया शिकायतों का कुल मूल्य 26.35 लाख रुपये है, लेकिन उनमें से कोई भी शिकायत अधिकारियों की किसी भी कथित कार्यवाही के कारण विचाराधीन नहीं है ।

(ख) स्टील शैलविंग रैक की सप्लाई के एक मामले में अर्विन हस्पताल से कोई शिकायत नहीं आयी है, लेकिन उन्होंने केवल यही इच्छा व्यक्त की थी कि निरीक्षण निदेशक के कार्यालय का एक निरीक्षक इस बात को स्पष्ट करने के लिये नियुक्त किया जाये कि क्या सप्लाई किये गये रैक विशिष्टियों के अनुरूप हैं। निरीक्षक ने चालू ठेके में दी गई रैकों की विशिष्टि की अनुरूपता की पुष्टि कर दी थी और माल स्वीकार कर लिया गया था ।

स्टील रैकों की सप्लाई के एक अन्य मामले में अर्विन हस्पताल ने कुछ तकनीकी बातों पर इसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध किया था । सप्लाई किये गये 40 स्टील रैकों का निरीक्षण फर्म के प्रतिनिधि और सहायक मैडिकल अधीक्षक की उपस्थिति में किया गया था और माल विशिष्ट और ठेके के अनुरूप पाया गया था । गन और शैल फैक्टरी से वर्ष 1976–77 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। गन और शैल फैक्टरी कोसीपुर के लिये अतिरिक्त कच्चे सैगमेंट्स की सप्लाई के मामले में परेषिती जुलाई 1975 में कुछ माप संबंधी विसगंतियों के बारे में रिपोर्ट की थी। अस्वीकृत सेगमेंटों की जगह दूसरा माल बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देने में फर्म को कोई आपत्ति नहीं। अप्रैल, 77 में, सप्लाई की तारीख से करीब 9 महीने के बाद अर्थात् इस प्रकार की शिकायतों के लिये निर्धारित सामान्य समय के बाद, निरीक्षण निदेशालय, उत्तरी निरीक्षण मंडल नई दिल्ली में मैसर्स अमेरिकन

यूनीवर्सल, फरीदाबाद की पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दर ठेके पर सप्लाई किये गये बिजली के 96 छत के पंखों की सप्लाई के बारे में बम्बई पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत किये गये माल का कुल मूल्य 26,722 रु० है। इस शिकायत की जांच की जा रही है।

(ग) सारे सामान का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत निरीक्षकों द्वारा किया गया और माल स्वीकार किया गया, सिवाय, कानपुर के उप-कार्यालय के दो मामलों के, जहां सम्बद्ध निरीक्षकों के अतिरिक्त अन्य निरीक्षकों द्वारा माल का निरीक्षण किया गया था, क्योंकि सम्बद्ध निरीक्षक दौरे पर था अथवा छुट्टी पर गये हुये थे, और यह निरीक्षण कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया था।

(घ) श्री ज्ञान प्रकाश और श्री ओम प्रकाश ने कुछ आरोप लगाये हैं जो कि प्रसंगाधीन मामलों के बारे में प्रतीत होते हैं। वे आरोप क्रमश: 26 जून, 1977 और 29 जून, 1977 को इस विभाग में प्राप्त हुये हैं। इनकी जांच की जा रही है और जांच के परिणाम प्राप्त होने पर सरकार द्वारा उनपर उचित कार्यवाही की जायेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी संगठनों को दी गई धनराशि

3812. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों में विभिन्न सहकारी संगठनों को 1976 तक कितनी धनराशि दी गई और उसमें से प्रत्येक राज्य से कितनी वसूल की गई तथा कितनी बकाया है; और

(ख) शेष राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सहकारी वर्ष 1975–76/पंचांग वर्ष 1976 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों में विभिन्न सहकारी संगठनों को कृषि प्रयोजनों के लिए दी गई धनराशि तथा उनसे प्राप्त वापसी अदायगी और उनकी ओर बकाया के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 739/77]

(ख) जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक को वापसी अदायगी में कोई दोष नहीं था।

महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित क्षेत्र में उठाऊ सिंचाई समितियों के लिए केन्द्रीय सहायता

3813. **श्री शंकर राव माने** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र में सूखा पीड़ित तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में उठाऊ सिंचाई समितियों के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहकारी समितियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उक्त सहकारी समितियों के लिए कोई योजना बनायेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी सोसायटियों, जिनके अधिकांश सदस्य लघु तथा सीमान्त किसान हैं, द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक सिंचाई कार्य लागत के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपदान पाने के पात्र हैं । अतः योजना पहले से ही विद्यमान है ।

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्डों पर चीनी दिया जाना

3814. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्डों पर कितनी मात्रा में चीनी दी जाती है; और

(ख) उक्त दिशा में असमानता दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के राशन कार्डों पर दी गई चीनी की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—740/77]

(ख) राज्य के अन्दर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को लेवी चीनी के वितरण की मात्रा संबन्धी मामला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है । आमतौर पर जिन तथ्यों के आधार पर मात्रा तय की जाती है वे खाने की आदत, लोगों के खपत सम्बन्धी प्रतिमान और वैकल्पिक मीठे पदार्थों की उपलब्धता जैसे तथ्य हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मुख्य मार्ग दर्शी सिद्धान्तों में शर्त है कि किसी भी व्यक्ति को प्रत्येक माह में 300 ग्राम से कम और 1 किलो से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए । किसी भी परिवार को प्रत्येक माह में 1 किलो से कम नहीं मिलना चाहिए । राज्य सरकारें जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को आवंटित की जाने वाली मात्रा का बेहतर निर्णय कर सकती हैं इसलिए यह मामला उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है लेकिन उन्हें उपर्युक्त मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों का परिपालन करना होता है ।

वकीलों के कमरे गिराया जाना

3815. **श्री बशीर अहमद :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात् स्थिति के दौरान दिल्ली के जिला न्यायालय क्षेत्र में गिराये गये वकीलों के कमरों को पुनः बनवाने की उन्हें अनुमति देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या सरकार पीड़ित व्यक्तियों के कमरों का पुनर्निर्माण करने में सहायता देने के लिए मुआवजा देगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

2040 LS—15

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली के जिला न्यायालय क्षेत्र में स्वयं वकीलों द्वारा वकीलों के लिए कमरे बनाने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन एक योजना बना रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

फसल बीमा पुनः आरम्भ करना

3816. **श्री कुमरी अनन्तन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में किसानों को सहायता देने के लिए पुनः फसल बीमा आरम्भ करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों और संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) व (ख) भारत सरकार को किसानों की सहायता हेतु फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । भारत सरकार के सुझाव पर, सामान्य बीमा निगम ने 1973—76 के दौरान स्वैच्छिक आधार पर चुने इलाकों में चुनी फसलों के लिए प्रायोगिक फसल बीमा योजनाएं कार्यान्वित की थीं । इन योजनाओं को व्यापक आधार पर कार्यान्वयन के लिए अलाभकर तथा अनुपयुक्त पाया गया था ।

Report of National Commission for Agriculture

3817. **Shri Jagdambi Prasad Yadav**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the date on which National Agricultural Commission submitted its report; and

(b) the action proposed to be taken by Government thereon?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The National Commission on Agriculture submitted its Final Report on the 31st January, 1976.

(b) The recommendations of the Commission are being analysed and processed by the concerned Ministries. An Implementation Cell has been set up in the Department of Agriculture to assist in the processing of recommendations, to coordinate follow up action on them and to review progress in implementation from time to time.

States and Union Territories have been requested to process the recommendations concerning them and to implement them. Several recommendations on which action has to be taken by the States and on which the Centre is in broad agreement, have been commended to them for necessary action. As a result of the efforts made, considerable progress has been achieved in progressing and implementation of the recommendations. So far more than one-fourth of the total number of recommendations have been accepted by the Government and

have either been commended to the States for implementation or action to implement them initiated/completed. The other recommendations are being processed. A token provision of about Rs. 29 lakhs has been made in the budget of the Department of Agriculture for 1977-78 for programmes based on the recommendations of the NCA. State Governments have also been advised to draw up suitable schemes/programmes and to include them in the State Plans.

जनजाति विकास एजेंसी परियोजना

3818. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजाति विकास परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) देश में जनजाति विकास एजेंसी क्षेत्रों में कुल कितनी लघु सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की गई, कितने कुएं और नलकूपों का निर्माण किया गया; उनमें से कितने अभी भी कार्य कर रहे हैं;

(ग) उनसे कुल कितनी भूमि पर सिंचाई की जा रही है ; और

(घ) जिला कृषि अधिकारियों को जनजाति विकास एजेंसी क्षेत्रों में आदिवासियों को रबी की फसल के स्थान पर अन्य फसलें उगाने के विचार से सहायता देने के लिए क्या निदेश दिए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में 8 जनजाति विकास एजेंसी परियोजनाएं हैं ।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1977 को पूरे किए गए तथा कार्य करने की अवस्था में खुदे कुओं तथा अन्य लघु सिंचाई कार्यों की संख्या 4108 थी ।

(ग) उनके द्वारा लगभग 52796 एकड़ कुल भूमि पर सिंचाई की जा रही है ।

(घ) केन्द्र से जिला कृषि अधिकारियों को कोई विशेष निदेश जारी नहीं किए गए हैं । परन्तु जिला कृषि अधिकारी जनजाति विकास एजेंसी परियोजनाओं के कार्य के साथ निकट सम्पर्क रखते हैं तथा वे आदिवासियों को एजेंसी क्षेत्रों में फसल प्रतिमानों के बारे में फसलवार मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ।

Technical Education Centres

37v9. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether in view of the fact that the present education system cannot provide employment to all the educated persons, Government propose to open atleast one Technical Education Centre in every district in each State, so as to enable the persons to take any technical trade of their choice; and

(b) whether the Central Government propose to bring about radical changes in education policy in this regard; and if so, the outlines thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) This is a matter which falls within the scope of the State Governments.

(b) Under the National Policy on Education of 1968 provision has been made for the introduction of vocational education at the plus 2 stage of school education and this is being implemented with the object of improving the employment prospects. As contemplated in the National Policy Resolution a review is being undertaken in consultation with the State Governments and all others concerned and will be placed before the Parliament.

भीम कुंड सिंचाई परियोजना

3820. **श्री जना बैरागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की भीम कुंड सिंचाई परियोजना को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) भीम कुंड परियोजना चरण एक की केवल बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन संबंधी रिपोर्ट उड़ीसा सरकार से प्राप्त हो गई है और इस समय केन्द्रीय जल आयोग में इसकी जांच की जा रही है । भीम कुंड परियोजना के सिंचाई पहलुओं से संबंधित चरण दो की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जब परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और इसे तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कर दिया जाएगा तब इस स्कीम को उड़ीसा की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाएगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये पर्यवेक्षण-शुल्क

3821. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजोरी गार्डन (मायापुरी) में जनवरी, 1977 में आवंटित किये गये प्रत्येक मध्यम आय वर्ग के फ्लैट के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने पर्यवेक्षण-शुल्क (सुपरविजन चार्जिज) निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने आवंटन के बाद इन फ्लैटों का कभी दौरा किया है और कब्जा लेते समय वहां के निवासियों से वे मिलें हैं और दोष दूर करने के उद्देश्य से उनके सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में उनसे पूछ-ताछ की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पर्यवेक्षण-शुल्क (सुपरविजन चार्जिज) विभागीय प्रभारों के भाग के रूप में हैं । निर्माण की लागत का 15 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभार लिया जाता है ।

(ख) जी, हां। यह पता चला है कि अधीक्षक इंजीनियर तथा कार्यपालक इंजीनियर दोनों ने क्वार्टरों का दौरा किया है और वहां के निवासियों की शिकायतों के बारे में जांच-पड़ताल की है। उस जगह पर एक पूछताछ कार्यालय भी स्थापित कर दिया गया है। इन शिकायतों पर ध्यान देने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

चीनी उद्योग के मामले

3822. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पत समिति की सिफारिशों द्वारा घोषित प्रोत्साहनों के अनुसार सरकार द्वारा चीनी उद्योग के कितने मामलों को अन्तिम रूप दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : किसी भी मामले को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, चार चीनी फैक्ट्रियों के प्रोत्साहन सम्बन्धी दावों को अन्तिम रूप देने तक उन्हें खुली बिक्री की अतिरिक्त चीनी की अस्थायी निर्मुक्ति के रूप में प्रोत्साहन दिए गए हैं और अन्य तीन चीनी फैक्ट्रियों के मामले में खुली बिक्री की अतिरिक्त चीनी की अस्थायी निर्मुक्ति की जा रही है।

उन सरकारी कर्मचारियों को मकान का आवंटन जिनके पास अपने मकान हैं

3823. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कितने सरकारी मकान अलाट किये हैं जिनके पास अपने मकान हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : निजी मकान वाले 1523 अधिकारी दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास में रह रहे हैं।

Bengali Families Rehabilitated in Sarguja District of M.P.

3824. **Shri L. Sai:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of Bengali families rehabilitated in Sarguja district of Madhya Pradesh;

(b) whether none of the above families have so far been given landlease deeds; and if so, the reasons therefor and increase, lease deeds have been executed, the number of families in respect of which lease deeds have been executed; and

(c) whether these families are facing great difficulty in the absence of lease deeds?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) 1685 migrant families.

(b) Survey and settlement work is nearing completion and the form of patta has been finalised. The pattas are therefore, expected to be issued soon.

(c) No, Sir.

"जंतर मंतर लैंड ग्रैब रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3825. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1977 के "पैट्रिएट" समाचार पत्र में "जंतर मंतर लैंड ग्रैब रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भूतपूर्व "चौकड़ी" (कॉकस) के सदस्य दिल्ली के एक थाना इन्चार्ज और अन्य सरकारी अधिकारी अर्न्तग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए और गिरोह के सदस्यों को दंडित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) स्थिति यह है कि 1955 में श्री आर० एल० मलहोत्रा जो पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति हैं, को कार्यशाला चलाने के लिए 304 वर्ग गज भूमि का एक प्लाट अस्थायी मासिक पट्टे पर आवंटित किया गया था । 1969 में सिनेमा और होटल को छोड़कर किसी भी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उन्हें इसे चिरस्थायी पट्टे पर दे दिया गया था । क्योंकि तीन मंजिले भवन के निर्माण पर कोई रोक नहीं है, नई दिल्ली नगर पालिका ने 18-9-76 को पट्टेधारी के भवन के नक्शे को स्वीकृत कर दिया था । नक्शे में एक तहखाने और 3 मंजिले भवन की व्यवस्था है । ऐसा करने से पूर्व नगरपालिका के मुख्य वास्तुक ने अनौपचारिक तौर पर दिल्ली नगर कला आयोग के नगर डिजाइनर और नई दिल्ली पुर्नविकास सलाहकार समिति के सदस्य सचिव से परामर्श कर लिया था । पट्टेधारी ने पट्टे की शर्तों के अनुसार भूमि तथा विकास कार्यालय से पूर्व अनुमति नहीं ली थी । तथापि उन्होंने अब भूमि तथा विकास कार्यालय की स्वीकृति मांगी है और पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी । जहां तक स्टेशन हाउस आफिसर के कथित मिली भगत का सवाल है इस बारे में दिल्ली प्रशासन के पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

रासायनिक उर्वरकों का मूल्य

3826. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का रासायनिक उर्वरकों का मूल्य कम करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका कम किया गया नया मूल्य कितना होगा ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख). : इस समय रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उर्वरकों के मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर कमी कर दी जाती है।

माचिस उद्योग के लिए "साफ्ट वुड"

3827. **श्री कुमरी अनन्तन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार माचिस के हस्त उद्योग के लिए नरम लकड़ी (साफ्ट वुड) सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु से अधिक 'साफ्ट वुड' प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). संबंधित संगठनों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय से अपेक्षित सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्यों को निर्देश

3828. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं और पंचायतों के जहां-जहां चुनाव कराये जाने हैं, चुनाव के लिए राज्यों को कोई निर्देश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस आशय का निर्देश देने का है ताकि सभी स्तरों पर लोकतान्त्रिक कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। स्थानीय स्वायत्त शासन राज्य का विषय है और स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के चुनाव जहां-जहां होने हैं, वहां राज्यों को इसका प्रबन्ध करना पड़ता है।

राजस्थान के नागौर तथा जोधपुर जिलों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम

3829. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के नागौर तथा जोधपुर जिलों में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) में कितनी सफलता मिली है, तत्संबंधी योजनाओं में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितना धन लगाया गया और इन कार्यों के लिये विश्व बैंक से किस तरह की सहायता प्राप्त हुई : और

(ख) क्या सरकार राजस्थान के अन्य जिलों में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम की योजनाओं में हुई प्रगति से संतुष्ट है और इस योजना के अधीन लोगों को राज सहायता, ऋण आदि देने पर कितनी राशि खर्च हुई और इससे प्रत्यक्ष रूप में क्या-क्या लाभ हुए और उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम की योजनाएं चल रही हैं तथा वहां उनमें कितनी सफलता मिली ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में नागौर तथा जोधपुर जिलों में प्रत्येक के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम हेतु 6 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं । प्रत्येक ज़िले के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अंशदान क्रमशः 4.00 करोड़ रुपये तथा 2.00 करोड़ रुपये होगा । 1974–77 के दौरान जोधपुर जिले में 235.23 लाख रुपये तथा नागौर जिले में 187.31 लाख रुपये व्यय किए गए हैं ।

विश्व बैंक ने इन दोनों जिलों में कार्यक्रम हेतु 4.3 मिलियन डालर की ऋण सहायता का वचन दिया है । इसके अलावा, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत लाए गए सभी छः जिलों, जिनमें ये दोनों भी शामिल हैं, के लिए 14.5 मिलियन डालर का एकमुश्त प्रावधान उपलब्ध कराया गया है जिससे कि मूल्य वृद्धि तथा अप्रत्याशित व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके ।

(ख) सरकार राजस्थान के अन्य जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की प्रगति से संतुष्ट है । 1974–77 के दौरान राजस्थान के अन्य जिलों में पूंजी लागत तथा उपदान आदि पर किया गया व्यय 15.83 करोड़ रुपये है ।

1974–77 के दौरान देश में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया व्यय 121.52 करोड़ रुपये है । इस अवधि के दौरान लगभग 4 लाख हैक्टेयर में भूमि तथा नमी संरक्षण किया गया था और किसानों के खेतों में लगभग 50,000 संयुक्त प्रदर्शन किए गए थे । सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत लगभग 1 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई संभाव्यता सृजित की गई है । अन्य 50,000 हैक्टेयर में सिंचाई के सृजन के लिए कार्य चल रहा है । लगभग 1.68 लाख हैक्टेयर में वनरोपण किया गया था । 9000 से अधिक दुधारू पशु वितरित किए गए थे । लगभग 1000 दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियां तथा 100 भेड़ उत्पादक सहकारी सोसायटियां गठित की गई थीं ।

डी० आई० जेड० एरिया के निवासियों से पानी का शुल्क वसूल किया जाना

3830. श्री अनन्त दवे : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में सेक्टर 'डी' में रहने वाले सरकारी कर्मचारी पांच महीनों से अधिक समय से यह कह रहे हैं कि उनसे वसूल किया जाने वाला पानी का शुल्क मीटर रीडिंग के अनुसार लिया जाना चाहिए जो वहां लगाये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो पानी का शुल्क समान दरों पर, जो अधिक होती है लेने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार वहां मीटर रीडिंग से पानी की खपत का रिकार्ड रखकर वास्तविक खपत के अनुसार शुल्क वसूल करने की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकी है ; और

(घ) यदि मीटर रीडिंग के अनुसार पानी का शुल्क वसूल करना सम्भव नहीं है तो क्या पहले ही लगाए गए पानी के मीटरों को वहां से हटा कर उन्हें अन्यत्र लगाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). पानी के मीटर इस आशा से लगा दिये गये थे कि पानी की सीधी सप्लाई, मीटर रीडिंग तथा प्रत्येक दखलकार के लिए बिल बनाने का कार्य नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा ले लिया जायेगा । लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वह केवल एक स्थान पर इकट्ठे पानी की सप्लाई कर रही है जहां से फिर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पानी का आन्तरिक वितरण किया जाता है । क्योंकि पानी की सप्लाई एक मुश्त की जाती है और उसी के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका को भुगतान किया जाता है, इसलिए मीटर रीडिंग के आधार पर खर्च होने, बिल बनाने आदि के स्थान पर प्रत्येक दखलकार को फ्लैट रेट के आधार पर पानी की लागत बांट दी जाती है । क्योंकि वास्तविक लागत वसूल की जानी है इसलिए शुल्क अधिक नहीं हो सकता हालांकि यह व्यक्ति के द्वारा वास्तविक खपत को जाहिर नहीं करता फिर भी एक व्यक्ति के पानी के खर्च में और दूसरे व्यक्ति के पानी के खर्च में बहुत अधिक अन्तर होने की सम्भावना नहीं ।

(घ) इस प्रश्न पर नई दिल्ली नगरपालिका से फिर नये सिरे से विचार विमर्श करना होगा ।

स्कूलों/कालेजों में कुटीर उद्योग

3831. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल अथवा कालेज से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कुटीर उद्योग सम्बद्ध करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि अनुसन्धान वैज्ञानिकों की परीक्षा

3832. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसन्धान वैज्ञानिकों की एक परीक्षा फरवरी, 1977 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कृषि अनुसन्धान वैज्ञानिकों तथा कृषि अर्थ शास्त्रियों की श्रेणियों में रिक्त पदों के समक्ष विगत वर्ष के उम्मीदवारों की तुलना में, कितने पद भरे गये ; और

(ग) उपरोक्त (ख) भाग में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार लिये गये?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त स्थानों का आरक्षण कृषि अनुसन्धान सेवा के पूरे ग्रेड एस-1 (रु० 700—1300) के लिए किया जाता है। इसके लिए सीधी भर्ती कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है । विज्ञान के प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग आरक्षण नहीं किया जाता । सन् 1976 में हुई परीक्षा के आधार पर चुने गये कुल 516 वैज्ञानिकों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के वैज्ञानिकों की संख्या क्रमशः 50 और 8 थी । इस वर्ष हुई परीक्षा में 381 उम्मीदवार सफल हुए जिनमें से 37 अनुसूचित जाति के हैं और 2 अनुसूचित जनजाति के हैं । सेवा की दो परीक्षाओं के माध्यम से, ग्रेड एस—1 में चुने गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या "कृषि साँख्यिकी" तथा "कृषि अर्थशास्त्र" के विषयों में इस प्रकार है :—

विषय	सन् 1976 में कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने गए वैज्ञानिकों की संख्या			सन् 1977 में कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने गये वैज्ञानिकों की संख्या		
	चुने गए वैज्ञानिकों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के वैज्ञानिकों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के वैज्ञानिकों की संख्या	चुने गये वैज्ञानिकों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीद-वार
कृषि सांख्यिकी	26	—	—	5	1	—
कृषि अर्थशास्त्र	13	1	—	27	8	—

दिल्ली विश्वविद्यालय में कालेजों के डीन और प्रो०-वाइस चांसलर के पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव

3833. **श्री दुर्गा चन्द : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में कालेजों के डीन और प्रो०-वाइस चांसलर के पदों को समाप्त करने के बारे में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) डीन आफ कालेजेज का पद किस वर्ष तथा किन कारणों से बनाया गया था ;

(घ) क्या डीन आफ कालेजेज और प्रो०-वाइस चांसलर के कार्यकरण के विरुद्ध विद्यार्थियों और अध्यापकों में भारी असंतोष है; और

(ङ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में मौलिक परिवर्तन करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जब कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई तो कालेजों के डीन के पद की आवश्यकता महसूस की की गई तथा मामलों को समन्वित करना पड़ा और वर्ष 1971 में पद बनाया गया ।

(घ) तथा (ङ). दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने विश्वविद्यालय के प्रशासन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विजिटर को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । यह विचराधीन है ।

Engineering Graduates

3135. Shri Raghavji: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the total number of Engineering Degree Colleges in the country, separately, state-wise and the number of Graduates that come out of these colleges every year;

(b) whether an effort is being made to link the number of these Graduates with the need therefor so that technical Graduates may get employment soon in the country; and

(c) if so, efforts made and the extent to which progress has been achieved in this direction?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) The total number of Engineering and Technological Institutions in the country is 143. A statement showing the State-wise position is enclosed.

The number of graduates that come out of these colleges is of the order of 14,900 per year.

(b) & (c). Since independence engineering/technological education has been, to a great extent, influenced by the assessment of the requirement of engineering personnel and prevailing employment situation.

The recommendations of the various *ad hoc* Committees during the period from 1947 to 1957-58 provided the basis for policy decisions with regard to engineering education. Later, the special studies made by the Institute of Applied Manpower Research and the Working Groups set up in connection with

the formulation of the Five Year Plans significantly influenced the admission policies in engineering education. The relevant issues are reflected in the Plan documents.

The unemployment of engineers towards the end of the Third Plan and anticipation of surpluses in later years prompted the Government in the year 1968 to reduce admission of engineering students by one-third of the sanctioned capacity. The cut-back in admission still operates but the All-India Council for Technical Education reviews the position from time to time with a view to considering the restoration of *status quo* ante at the appropriate time.

Statement

Statement showing the Number of Degree Institutions State-wise.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Number of Engineering Degree Colleges
1	2	3
1.	Chandigarh	4
2.	Delhi	5
3.	Haryana	2
4.	Jammu & Kashmir	1
5.	Punjab	3
6.	Rajasthan	5
7.	Uttar Pradesh	14
8.	Assam	2
9.	Bihar	7
10.	Orissa	2
11.	Tripura	1
12.	West Bengal	12
13.	Gujarat	8
14.	Madhya Pradesh	10
15.	Maharashtra	16
16.	Goa	2
17.	Andhra Pradesh	11
18.	Kerala	6
19.	Tamil Nadu	14
20.	Karnataka	18
	TOTAL	143

'हाउ दी डी० डी० ए० ट्रिक्ड दी पुअरर' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

3836. श्री अनंत दवे : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 10 मई, 1977 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हाउ दी डी० डी० ए० ट्रिक्ड दी पूअरर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां :

(ख) तथा (ग). प्रश्न में उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट के निम्नांकित प्रमुख मुद्दे हैं :—

(i) अनेक पुनर्वास बस्तियों में नसबन्दी के प्रमाणपत्र के आधार पर आवास स्थलों का "बहुविधि आवंटन" किया गया है ।

(ii) स्थलों का पुनः आवंटन किया जा रहा है हालांकि पहिले आवंटी को उसी स्थल पर अभी जाना था ।

(ii) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से बाहर के लोगों को जोकि आवंटन के पात्र नहीं थे स्थल आवंटित कर दिए गए थे ।

(iv) परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए सामुदायिक आधार पर इमारतों को तोड़ने की धमकी का उपयोग किया गया था ।

(v) निर्माण के थोड़े समय बाद ही अनेक नए मकानों की नींव "खिसकनी" शुरू हो गई थी :

(vi) कुछ बस्तियां निचले क्षेत्र में थी जहां अक्सर पानी इकट्ठा हो जाता है और बाढ़ आ जाती है ।

यह आशा की जाती है कि गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित तथ्य अन्वेषण समिति अन्य बातों के साथ-साथ इन समस्याओं को भी देख रही होगी ।

डी० डी० ए० ने बताया है कि बहुविधि आवंटन की समस्या को सुलझाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा आवंटन के लिए सभी व्यक्तियों के दावों की जांच की जा रही है । डी० डी० ए० ने यह भी बताया है कि पानी इकट्ठा होने तथा बाढ़ को रोकने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन

3837. श्री के० ए० राजन :

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान मंत्रिमण्डल स्तर के एक अन्य मंत्री द्वारा अभिव्यक्त इस विचार की ओर दिलाया गया है कि नक्सलवादी समस्या का कारण पिछली सरकार द्वारा देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन न करना था ; और

(ख) यदि हां, तो नई सरकार द्वारा एक निश्चित समयावधि में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) सभी व्यावहारिक उद्देश्यों से जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गई है तथा बिचौलिया प्रणाली की समाप्ति के परिणामस्वरूप 2 करोड़ से भी अधिक किसानों को राज्य के साथ सीधे सम्पर्क में लाया गया है । बिचौलिया प्रणाली के बचे हुए घटकों में से जागीर तथा इनाम जैसे कुछ गैर-महत्वपूर्ण घटक जारी हैं । उनकी समाप्ति के उपाय किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय कीट नाशी बोर्ड

3838. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड में कुप्रबन्ध और पक्षपात के बारे में हाल ही की शिकायतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उक्त बोर्ड ने "पैस्टीसाइड" के कुछ बड़े-बड़े व्यापारियों को कुछ ऐसे कीट-नाशी पदार्थों का निर्माण पुनः आरम्भ करने की अनुमति दी जिन पर सरकार ने दो वर्ष पूर्व रोक लगा दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड का कार्य पूर्णतः सलाह देना है और वह कीटनाशी औषधियां बनाने की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान नहीं करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में अनियमितताएं

3839. **श्री शंकर सिंह जी वघेला** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की विभिन्न अनियमितताओं की जांच की है ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारियों को उस अवधि के दौरान उनकी मूल-चूक के लिए मुअत्तिल किया गया, सेवा से हटाया गया अथवा आरोप-पत्र दिया गया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधीकरण के तत्कालीन वाइस-चैयरमैन तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिए और गरीब लोगों को न्याय दलाने के लिए जांच आयोग नियुक्त करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) इस सम्बन्ध में कई शिकायतें तथा आरोपों की जांच की जा रही है ।

(ख) (i) 40 अधिकारी/कर्मचारी निलंबित किए गए ।

(ii) 6 अधिकारी या तो नौकरी से हटाए गए या पदच्युत किए गए ।

(iii) 70 कर्मचारियों/अधिकारियों को छोटी या बड़ी सजा देने के लिए उन पर आरोप लगाये गए ।

(iv) 15 अस्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों के मामलों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पहले ही कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आपातकाल के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक तथ्य अन्वेषण समिति बनाई है । न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में बनाए गए जांच आयोग के विचारार्थ विषय इतने व्यापक हैं कि विभिन्न प्रकार की ज्यादतियां, शक्तियों के दुरुपयोग, अनियमितताओं आदि को उनमें शामिल किया जा सकता है । इन परिस्थितियों में कोई प्रथक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए सरकार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पर्यावरण संबंधी दूषण

3840. **श्री शंकर सिहजी वाघेला :**

श्री अनन्त दवे :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2000 तक हो जाने वाले पर्यावरण सम्बन्धी दूषण के गम्भीर खतरे की जानकारी है ; और

(ख) दूषण पर नियन्त्रण करने और मानव जीवन बचाने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) पर्यावरणीय प्रदूषण के खतरों के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है। पर्यावरणीय कोटि आयोजना

तथा समन्वय के लिए पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय की राष्ट्रीय समिति नामक एक उच्चस्तरीय समिति सन् 1972 से कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर अधिकांशत: सभी राज्यों में पर्यावरणीय समितियों/बोर्डों का गठन किया गया है।

जल प्रदूषण की रोकथाम के लिये केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण व नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 पारित कर दिया गया है। औद्योगिक निस्रावों, म्युनिसिपल सीवरेज आदि से जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिए इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय व राज्य स्तर पर बोर्ड बनाए गए हैं। नए उद्योगों के लाइसेंस जारी करने से पहले औद्योगिक निस्रावों के शोधन के लिए, उपयुक्त उपायों पर जोर दिया जाता है।

सरकार यह भी आशा करती है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संसद् में शीघ्र ही एक विधेयक पेश किया जायेगा।

नगरों को साफ रखने तथा शहरी कूड़े-कचरे को कूड़ा-खाद बनाने के लिए उपयोग करने की दृष्टि से मल निपटान की एक केन्द्रीय योजना आरम्भ कर दी गई है।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिये बिहार को वित्तीय सहायता

3841. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिये वर्ष 1976–77 के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता की मांग की और उस वर्ष के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): 1976–77 के दौरान सूखे के हालात का सामना करने के लिए बिहार सरकार ने अग्रिम भोजन सहायता नहीं मांगी है। फिर भी, राज्य सरकार ने बाढ़ों से उत्पन्न की स्थिति का सामना करने के लिए 72.40 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी है। केन्द्रीय सरकार ने उस वर्ष के दौरान कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए 10-95 करोड़ रुपए अग्रिम योजना सहायता के रुप में और 26 करोड़ रुपए अल्प कालीन ऋण के रुप में मंजूर किए हैं।

शिमला में भारत सरकार मुद्रणालय में आग लगना

3842. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1977 में शिमला स्थित भारत सरकार मुद्रणालय के कार्यालय ब्लाक में आग लग गई थी;

(ख) इस से कितनी क्षति हुई,

(ग) क्या कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी जल गए; और यदि हां, तो वे कागजात क्या थे; और

(घ) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करने का आदेश दिया गया था और यदि हां, तो जांच से क्या निष्कर्ष निकले तथा आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या अहतियाती उपाय किये गये हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। 20 जनवरी, 1977 को कार्यालय के एक खण्ड में आग लग गई थी।

(ख) लगभग 5 लाख रुपये।

(ग) जी, हां। स्टोर कैश, एकान्ट्स तथा कम्प्यूटिंग सैक्शन से संबंधित रिकार्ड आग से नष्ट हो गया था।

(घ) जी हां, मुद्रण निदेशालय, नई दल्ली के एक अधिकारी द्वारा मौके पर जांच करने के अलावा इस मामले की पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी गई थी। पुलिस ने जांच परिणाम ये बताये हैं कि आग अचानक लग गई थी। इसमें न तो कोई शरारत है और न ही किसी की लापरवाही ही हैं। इस प्रकार की घटना दोबारा न हो इसके बचाव के लिए आग बुझाने हेतु स्टोर में पानी की एक और अतिरिक्त टंकी की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही शुरु कर दी गई है। आग बुझाने वाले अधिकारियों की सलाह के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आग बुझाने के अतिरिक्त उपस्कर भी लगाये जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम के पास बासमती चावल का स्टाक

3843. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास स्टाक में कितना बासमती चावल है;

(ख) क्या चावल उत्पादकों को उनसे वसूल किए गए चावल का पूरा मूल्य दे दिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वसूल किए गए चावल को रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डारण की पर्याप्त क्षमता है; और यदि नहीं, तो वसूल किए गए चावल को कहां रखा गया है; और

(घ) क्या राशन में उपभोक्ताओं को उचित दर दुकानों से बासमती चावल वितरित करने का विचार है; और यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 2300 मीटरी टन बासमती चावल का स्टाक है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम सीधे उत्पादकों से बासमती धान की अथवा सीधे मिल मालिकों से चावल की खरीदारी नहीं करता है। यदि व्यापारी/मिल मालिक लेवी के अधीन बासमती चावल पेश करते हैं, तब राज्य सरकारें उसको खरीद लेती हैं और उसे केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जाता है। अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को सीधा भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सार्वजनकि वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए अपेक्षित चावल के कुल स्टाक की तुलना में, उपलब्ध बासमती चावल की मात्रा बहुत ही कम है। अत : सार्वजनकि वितरण प्रणाली के माध्यम से अलग से बासमती चावल वितरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय पूल में बासमती चावल की जो भी मात्रा उपलब्ध है, उसे चावल

की अन्य लांग स्लैंडर किस्मों में मिलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी कर दिया जाता है।

महिलाओं में साक्षरता

3844. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय के वयस्क साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 1973–74, 1974–75 और 1975–76 में भारत में राज्यवार कितनी महिलाओं को लिखना-पढ़ना सिखाया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि में इस कार्यक्रम पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की तथा महिलाओं में वयस्क साक्षरता अभियान चलाने के लिए यह धनराशि किन स्वयंसेवी संगठनों को दी गई;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि साक्षरता कक्षाओं में शिक्षा पूरी करने के पश्चात् इन साक्षरों को पढ़ाई-लिखाई कहां तक याद रहती है; और

(घ) क्या नए साक्षरों की अध्ययन में रुचि बनाये रखने के लिए सरकार का विचार नई पद्धति लागू करने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी खेती

3845. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन वर्ग के किसानों के लिए सहकारी खेती का विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) व (ख) भारत सरकार के पास सहकारी खेती के विकास के लिए कोई योजना नहीं है।

गोल मार्केट क्षेत्र में पानी की भारी कमी

3846. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट स्थित एस्टेट आफिस के सात मंजिला रिहायशी मकानों में पानी की बहुत कमी है और मकानों के निकट गन्दगी भी बहुत रहती है;

(ख) क्या संसद सदस्यों द्वारा इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे जाने के बावजूद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में कुछ नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मई और जून में जब नगरपालिका के पानी के मुख्य नलों में जल की सप्लाई अपर्याप्त होती थी तो पानी की कमी हो जाती थी। तथापि, अब पानी की कमी नहीं है और न ही मकानों के समीप की स्थिति अस्वच्छ है।

(ख) तथा (ग) नई दिल्ली नगरपालिका से बात की गई थी और अब इस क्षेत्र में जल की कमी नहीं है।

गोल मार्केट क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से दरवाजों को नियमानुसार बनाने की व्यवस्था

3847. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट क्षेत्र में सात मंजिली इमारत के ग्राउण्ड फ्लोर के मकानों के दरवाजे शीशे के बने हुए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में उपर्युक्त कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वहां दरवाजों को कब तक ऐसा बना दिया जाएगा जो सुरक्षा की दृष्टि से नियमानुसार उचित हो ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इन मकानों के ग्राऊंड फ्लोर के दरवाजे, बरामदे के दरवाजे को छोड़कर लकड़ी के बने हुए हैं। बरामदे के भोजन कक्ष में प्रकाश जाने के लिए उसके दरवाजे शीशे के हैं।

(ख) जी हां। लोहे की जालियां लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) दरवाजों में जालियां लगाने के काम में शीघ्रता की जा रही है।

Construction of Quarters on Land Lying Vacant on Mandir Marg, New Delhi

3848. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to construct residential houses for middle category Government employees on land near Gole Post Office so that accommodation problem may some-what be solved;

(b) whether residential houses are also proposed to be constructed on the land lying vacant on Mandir Marg near Birla Mandir (Temple) on which a hotel building was proposed to be constructed earlier; and

(c) if so, the details of the scheme for construction of multi-storeyed residentitl buildings in D.I.Z. area and the action being taken to provide all civic amenities in this area?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) There is no such proposal.

(c) The entire DIZ area will be redeveloped in due course. The flats will be generally four storeyed; but one or two multi-storeyed blocks will also be constructed. One such block with 62 type IV quarters has been sanctioned and the work is likely to be taken up shortly. Civic amenities will be provided.

सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना

3849. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कार्यवाही से कृषि उत्पादिता में सुधार होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। चालू वित्त वर्ष के लिए बृहत एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए 863 करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित है तथा लघु स्कीमों पर परिव्यय, जिसमें संस्थागत निवेश भी शामिल है, 457 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कुछ निर्माणाधीन बृहत एवं मध्यम स्कीमों को पूरा करने के काम में तेजी लाने, वर्तमान प्रणालियों के आधुनिकीकरण, भू-तल और भूगत जल का समेकित प्रयोग करने के लिए 100 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता देने का भी प्रस्ताव है।

सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर गहन एवं लगातार निगरानी रखने के लिए एवं कठिनाइयों को तेजी के साथ दूर करने के लिए केन्द्र में प्रबोधन एकक स्थापित किए गए हैं तथा राज्य सरकारों से परियोजना एवं राज्य स्तरों पर ऐसे ही एकक स्थापित करने, एवं सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धनराशि एवं काम में आने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान 3 मिलियन हैक्टेयर से अधीक की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता को सृजित करने का लक्ष्य है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए जल सप्लाई को सुनिश्चित व्यवस्थां की जा सकेगी।

Wheat Stocks lying in Moga Grain Market

38. **Shri K. Lakkappa:**
Dr. Henry Austin:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether wheat stocks worth several lakhs of rupees are lying nullified in the Moga Grain Market, the biggest grain market in North India;

(b) whether it is also a fact that stocks lying in the godown since 1975 and 1976 have not so far been cleared; and

(c) if so, the reason for the same and steps being taken to clear the stock soon?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir.

(b) Wheat stocks procured from the 1975-76 crop in Moga have already been cleared. Only about 19,807 tonnes of wheat procured from the 1976-77 crop which is in good condition, is yet to be cleared from the Moga godowns of the Punjab State Government (2562 tonnes) Marfed (8,434 tonnes) Punsup (289 tonnes) and FCI (8513 tonnes). At present, for operational reasons, preference is being given to the inter-State movement of wheat slightly affected by rain and procured this year, with a view to expediting its disposal.

(c) All possible efforts will be made to clear the old stocks of wheat from Moga after August 1977.

बाढ़ नियंत्रण के लिये राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत

3851. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी मानसून में बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्यवाही करने हेतु राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देगी; और

(घ) क्या इस कार्य के लिए कोई धन राशि रखी गई है; और यदि हां, तो कितनी?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मई, 1976 में प्राकृतिक आपदाओं, जिसमें बाढ़ें भी शामिल हैं, जैसी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए स्कीमें तैयार करने के लिए राज्यों को मार्ग-दर्शक सिद्धांत जारी किए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में बाढ़ों, चक्रवातों, भूकम्पों आदि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए विस्तृत योजनायें तैयार करने हेतु राज्यों की राजधानियों में मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में अन्य सम्बद्ध सचिवों तथा स्थानीय उप-क्षेत्र कमाण्डर को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक उच्च शक्ति-प्राप्त स्थायी समिति स्थापित करना शामिल है। इंजीनियरी प्राधिकारियों का यह काम है कि वे सभी बाढ़ नियंत्रण कार्यों का सर्वेक्षण करें तथा यदि वर्तमान निर्माण कार्यों में से किसी के असफल होने की संभावना हो तो उच्च शक्ति प्राप्त स्थायी समिति एवं जिला-स्तर की सम्बद्ध समितियों को चेतावनी दें। इन मार्ग-दर्शी सिद्धांतों में बचाव एवं राहत कार्य के लिए ड्युटियों और जिम्मेदारियों के अग्रिम रूप से बटवारे के वास्ते परामर्श देना, अनिवार्य वस्तुओं तथा उपस्करों, जिनमें नावें, सूखा राशन, ईंधन अनिवार्य संचार उपस्कर, प्रथमोपचार बक्से, दवाइयां एवं रेत के बोरे आदि शामिल हैं, के अग्रिम रूप से जमा करना शामिल हैं। इन मार्ग-दर्शी सिद्धांतों में सरकारी तथा गैर-सरकारी ट्रकों का अधिग्रहण करना जब वास्तविक रूप से विध्वंसकारी स्थिति उत्पन्न हो जाए तब नियंत्रण कक्षों की स्थापना करना, उच्च शक्ति-प्राप्त स्थायी समिति की प्रत्येक दिन बैठकें करना, बाढ़-पूर्व-सूचना एवं बाढ़-चेतावनी प्रणाली तथा स्टाफ का प्रशिक्षण भी शामिल है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग ने अक्तूबर, 1976 में राज्य

सरकारों को बाढ़ कार्यों का सैम्पल मैनुएल (सैम्पल मैनुअल आफ फ्लड आपरेशन्स) परिचालित किया था, जिसमें बाढ़ प्रचालन केन्द्रों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख है। इस मैनुएल में बाढ़ नियंत्रण के तरीकों तथा बाढ़ सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत सूचना दी गई है ।

(ग) और (घ) केन्द्र स्थानीय प्राधिकारियों के विशिष्ट अनुरोध पर वायुसेना स्थल सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल आदि जैसी केन्द्रीय एजेंसियों की मार्फत स्थिति की अपेक्षाओं के आधार पर आवश्यक सहायता देने के लिए सदैव तैयार रहता है। बहरहाल, जैसाकि छठे वित्त आयोग ने सिफारिश की है, बाढ़ राहत एवं प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अन्य कार्यों की वित्त-व्यवस्था तथा उनका क्रियान्वयन प्रथम अप्रैल, 1974 से राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने साधनों तथा उनके पास वर्ष के अन्त में उपलब्ध मार्जिन धनराशि से करना होता है । परन्तु यदि राज्य सरकार अनुरोध करती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी योजना स्कीमों के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिए राज्य को अग्रिम योजना सहायता देने पर विचार करती है । जिनसे ऐसी आपदाओं को रोकने अथवा कम करने में अथवा प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में सहायता मिलती हो ।

पश्चिमी घाटों पर "सिंगलाम" के परिरक्षण के लिये पार्क

3852. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार पश्चिमी घाटों की घाटियों में पाई जाने वाली बंदरों की दुर्लभ नस्ल 'सिंगलाम' के परिरक्षण के लिए पार्क का विकास करने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । केरल सरकार ने दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले 'लायन टेल्ड मंकी' के परिरक्षण के लिए 100 प्रतिशत सहायता मांगी है ।

(ख) राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय स्थलों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता केवल अनावर्ती मदों के खर्च के लिए दी जाती है तथा आवर्ती खर्च सम्बन्धित राज्य द्वारा वहन करना होता है । तदनुसार इस योजना को राज्य सरकार द्वारा फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है ।

खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए लगाया गया धन

3853. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री अहमद एम० पटेल :
श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत 4 महीनों के दौरान राज्यवार कितना खाद्यान्न वसूल किया गया है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम तथा सरकार ने खाद्यान्न के भण्डारण पर कितना धन लगाया है; और

(ग) वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1977–78 के दौरान कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले चार महीनों के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की राज्यवार वसूली का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास 30 जून, 1977 को लगभग 2214 अरोड़ रुपयों के मूल्य का लगभग 162 लाख मीटरी टन स्टाक था ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए स्टाक में से बर्बाद हुए खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा
1974–75 . . .	1650 मीटरी टन
1975–76	1696 मीटरी टन
1977–78	इस संबंध में मात्रा वर्ष के अन्त तक मालूम होगी ।

विवरण

पिछले चार महीनों (मार्च,जून, 1977) . दौरान सरकारी एजेन्सियों द्वारा वसूल की गई खाद्यान्नों की राज्यवार मात्रा

आंकड़े हजार मीटर टन में

	वसूल की गई मात्रा
आंध्र प्रदेश .	161
असम	7
बिहार	10
गुजरात . . .	Neg. नग०
हरियाणा .	997
जम्मू व कश्मीर . .	10
कर्नाटक	6
केरल	11
मध्य प्रदेश	37
महाराष्ट्र	34
उड़ीसा	37

पंजाब	3127
राजस्थान	99
तमिलनाडु	49
उत्तर प्रदेश	931
पश्चिमी बंगाल	44
दिल्ली	11
अन्य	1
जोड़	5572

Export of Fish

3854. SHRI DHARAMSINGHBHAI PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Central Government have formulated a scheme, in coordination with Gujarat State, to export fish to foreign countries and if so, the main features of the scheme;

(b) the value and quantity of fish exported to foreign countries from Gujarat during the last three years;

(c) the steps taken so far by Government for development of fish industry; and

(d) the procedure followed for the export of fishes to foreign countries?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No, Sir.

(b) Gujarat fish are generally exported from Veraval and Bombay. State-wise statistics are not maintained. Only Portwise data are available. The exports from Veraval Port during the years 1973, 1974 and 1975 was as under:—

	Quantity (tonnes)	*Value* (Rs. in '000)
1973	532	4928
1974	426	10273
1975	527	9470

(c) On the marine side the steps includes a crash programme for introduction of trawlers, exploratory surveys to provide prospective fishing grounds for a commercially viable fishing activity, introduction of more mechanised boats/ modernisation of the traditional fishing crafts through assistance to fishermen co-operatives and individuals etc. On the inland side steps have been taken to spread an advanced technology for higher yield levels, providing the fish farmers with training and necessary inputs and services through the extension of Fish Farmers Development agencies etc.

(d) There is a Marine Products Export Development Authority at Cochin with the sole objective of providing the necessary facilities ond promoting exports. This is done through providing guidance on technical know-how, market

intelligence in the countries abroad and promoting the marketability of Indian marine products through organising international fairs in India and participation in such fairs abroad. Indian Standards Institution and the Export Inspection Council ensure quality standards for the marketing of fish.

Development of Sugarcane Cultivation

3855. **Shri Dharaminhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have any plans for th development of sugarcane cultivation and if so, the details thereof; and

(b) the price per tonne now paid to farmers, State-wise, of sugarcane sold to sugar factories by them?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala):

(a) Yes, Sir. The main sugarcane growing States have their own schemes for development of sugarcane cultivation in their respective areas. These schemes aim at—

(i) raising of seed nurseries and distribution of healthy seedcane of approved varieties,

(ii) assisting the farmers in procurement and application of various essential inputs,

(iii) providing plant protection assistance, when needed,

(iv) training of sugarcane development workers and growers,

(v) laying out demonstrations on various improved practices of sugarcane cultivation,

(vi) organising State level Sugarcane Crop Competitions,

(vii) augmenting irrigation potential and

(viii) constructing important link roads, culverts, etc. in sugarcane growing areas.

To supplement the above mentioned normal cane development programmes of the different States, the Central Government has also launched a Centrally Sponsored Scheme for sugarcane development in the important sugarcane growing States during the Fifth Five Year Plan. The schemes envisage covering 2000-hectares area around each sugar factory in sub-tropical sugarcane belt and 1000-hectares area around each factory in tropical belt with the following programmes:

(i) Saturation of the entire sugarcane area, covered by the scheme, with healthy seedcane,

(ii) demostratons on improved technology of cane production to overcome the constraints retarding the production of plant and ratoon cane,

(iii) adoption of timely plant protection measures,

(iv) training of cane development workers at the State level, and

(iv) construction of important link roads around sugar factory areas.

Technical staff for executing the above programmee has also been provided for in the scheme.

Range of sugarcane price actually paid|being paid by factories at gate during 1976-77, as per information furnished by them.

State	Range of sugarcane price in Rs. per qtl.
Uttar Pradesh	12·25 to 13·25
Bihar.	12·25@
West Bengal	12·50 to 14·50
Haryana.	13·00
Punjab	13·25 to 15·25
Assam	11·00 plus transport subsidy.
Rajasthan	12·25 to 14·25
Madhya Pradesh	12·00@@
Orissa.	8·50 to 10·50 (ex-field)
Maharashtra	9·50* to 16·60*
Gujarat.	9·00* to 13·60*
Karnataka.	10·00* to 15·00*
Kerala	13·00
Andhra Pradesh.	10·00 to 12·50
Tamil Nadu.	8·50* to 11·90*
Pondicherry.	9·50 (Provisional)
Nagaland.	11·00
Goa.	12·00

@ One factory Harinagar is paying Rs. 12.50 per qtl.
@@ One Cooperative factory Morena is paying Rs. 13.50 per qtl.
* These are provisional Ex-field prices being paid mostly by Cooperative Sugar Factories.

सफेद कागज के आवंटित कोटे का दुरुपयोग

3856. **श्री पी० के० कोडियान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि दिल्ली कापी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन को आवंटित किया गया सफेद कागज बही खाते, लेजर तथा अन्य मदों के बनाने के काम में ले लिया जाता है चूंकि इन मदों के मूल्य अधिक मिलते हैं और इसके परिणामस्वरूप छात्रों के लिए अपेक्षित कापियां की कमी हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सफेद कागज के आवंटित कोटे का दुरुपयोग करने के लिए कापी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इसके अलावा कागज के तथाकथित दुरुपयोग के बारे में जो समाचारपत्रों में खबर छपी थी, दिल्ली प्रशासन ने उसे आधार रहित कहा है । दिल्ली प्रशासन ने यह भी रिपोर्ट दी है कि कापियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।

Milk Tokens of D.M.S. for Vivek Vihar, New Delhi.

3857. Shri Ram Naresh Kushwaha: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) Whether about 200 evening milk tokens have not been transferred so far by Delhi Milk Scheme in Vivek Vihar, Jhilmil Colony, Delhi; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala):

(a) Evening shift of DMS milk booth serving Vivek Vihar and Jhil Mil colony has been started from 15-6-1977. Some milk token holders who were issued fresh tokens for the evening shift in April|May, 1977 had to temporarily draw milk in the morning shift till start of the evening shift on 15th June, 1977.

(b) In view of position explained in regard to (a) above the question does not arise.

सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण

3858. **श्री लालजी भाई :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व अध्ययन दल के तीन सदस्यों ने जोधपुर जिले (राजस्थान) में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किये गये भू-संरक्षण कार्य का निरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उक्त दल ने क्या रिपोर्ट दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, 1977 में विश्व बैंक पुनरीक्षण मिशन ने जोधपुर जिले का दौरा किया और इसने मेंडबन्दी को भूमि कटाव कम करने का अति कुशल उपाय नहीं समझा। इसने छोटी श्रेणी के बन्दों के प्रयोग तथा किसानों को मेंड के साथ-साथ अपनी भूमि तैयार करने के प्रशिक्षण की सिफारिश की थी।

गुजरात में सिंचाई परियोजना के विकास के लिये निर्धारित धनराशि

3859. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 के दौरान गुजरात राज्य में जिलावार सिंचाई परियोजना के विकास के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई ;

(ख) मंजूर धनराशि में से कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) वर्ष 1977–78 के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(घ) आरम्भ की जाने वाली परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि 1976–77 में राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए 54.13 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। इस निर्धारित परिव्यय का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उक्त वर्ष के दौरान 61.00 करोड़ रुपया व्यय किया गया।

(ग) और (घ) 1977-78 के लिए 73.03 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है। राज्य सरकार का विचार इसी राशि को निम्नलिखित परियोजनाओं पर व्यय करने का है :—

निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाएं . . .	9
निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं . . .	27
नई वृहद सिंचाई परियोजनाएं . . .	3
नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	35

विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	(लाख रूपयों में)
1.	अहमदाबाद . . .	175.00
2.	बड़ौदा . .	11.37
3.	भड़ौंच	295.69
4.	सूरत .	284.85
5.	बुलसर . .	259.80
6.	साबरकान्था	126.29
7.	बानसकांथा	0.30
8.	मेहसाना	701.10
9.	पंचमहल	1875.20
10.	भाननगर	42.80
11.	सुरेन्द्रनगर	0.55
12.	राजकोट	96 75
13.	अमरेली . .	3.91
14.	कच्छ	50.50
15.	जूनागढ़	326.02
16.	जामनगर	3.30
17.	कैरा	180.00
18.	राजस्थान राज्य	583.00
	(माह बजाज सागर परियोजना की लागत के प्रति) .	5016.40
	अन्य विविध स्कीम सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, अनुसंधान, बाढ़ नियंत्रण तथा जल-निकास	396.57
		5413.00

दामोदर जल-निस्सारण योजना को पूरा करने के लिये सहायता देने का प्रस्ताव

3860. **श्री सौगत राय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को निचली दामोदर जल-निस्सारण योजना को पूरा करने के लिये सहायता देने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय स्वयं अपनी ओर से इस बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ?

कृषि और सिंचाई (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बाढ़ नियंत्रण राज्य-योजना का भाग होता है और इसलिए इन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अपनी योजनाओं में धनराशि की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने 1971 के दौरान आई भीषण बाढ़ों के बाद कुछ प्राथमिकता-प्राप्त बाढ़ नियंत्रण कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य-योजना में की गई व्यवस्था की अनुपूर्ति करने के लिए चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास बस्तियां बनाने के लिए सहायता

3861. **श्री सौगत राय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास बस्तियां बनाने हेतु उनके मंत्रालय का विचार राज्य सरकारों को सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सिवाये बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के, इस मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अप्रैल, 1969 से सभी राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए, जिसमें आवास शामिल है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है, जो किसी योजना विशेष या आवास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए जिसमें आवास शामिल है, उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियां निर्धारित करने

में स्वतन्त्र है । औद्योगिक कर्मचारियों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की योजनाओं में सहायता प्राप्त किराये पर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण की व्यवस्था है । जनता के अन्य लोगों की भांति औद्योगिक कर्मचारी भी निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं का लाभ उठा सकते है । प्लान योजनाओं के अतिरिक्त आवास तथा नगर विकास निगम सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों के निगमों के कर्मचारियों को, जिनमें औद्योगिक कर्मचारी शामिल है, उनके कर्मचारियों के लिए किराये पर आवास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देता है ।

माना शिविर के शरणार्थियों में असंतोष

3862. **श्री सौगत राय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में माना शिविर के शरणार्थियों में असंतोष है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तथा उनका उचित पुनर्वास सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जहां तक सरकार की जानकारी है, मध्य प्रदेश के माना शिविर में रह रहे प्रवासियों में असंतोष नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में सात बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना

3863. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर चावल के मामले में केरल आत्मनिर्भर हो जायेगा ;

(ख) परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केरल को 1975 और 1976 में क्रमशः 5.10 लाख टन और 8.98 लाख टन चावल की सप्लाई की गई थी तथा जनवरी से मई, 1977 तक की अवधि में 5.82 लाख टन चावल की सप्लाई की गई । यह अनुमान लगाया गया है कि सात बृहद् परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर राज्य में चावल के उत्पादन में 4.0 लाख टन की वार्षिक वृद्धि हो जाएगी । इसलिए इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यह राज्य चावल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा ।

(ख) इन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने में विलम्ब का मुख्य कारण पर्याप्त धनराशि का न होना है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना-लागत में वृद्धि हो गई है। जहां तक परिवार परियोजना का सम्बन्ध है, उसके कार्यक्षेत्र में काफी परिवर्तन हो गया था।

(ग) राज्य सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही सिंचाई क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अधिक परिव्यय की व्यवस्था कर रही है। चौथी योजना के 27 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में पांचवीं योजना में अन्तिम रूप से लगभग 81 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। इन में से कुछ निर्माणाधीन बृहद् परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए केन्द्र द्वारा 1975–76 और 1976–77 में क्रमशः 2.10 करोड़ रुपये और 2.50 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी।

कोसी नहर सिंचाई प्रणाली

3864. **श्री पी० वी० नरसिंह राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संपूर्ण कोसी नहर सिंचाई प्रणाली में बड़ी मात्रा में गाद जमा हो गई है तथा इसे बिहार के पूर्णिया जिले में जमीन अनुपजाऊ तथा खेती के अयोग्य हो गई है ;

(ख) क्या नहरों के डिजाइन बनाने और उसके निर्माण के समय इस समस्या का पुर्वानुमान लगाया गया था तथा उसकी तकनीकी जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो यदि कोई पूर्वोपाय किये गये थे तो वे क्या हैं और अन्ततः वे इस समस्या के निराकरण में क्यों अपर्याप्त पाये गये ;

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार इन नहरों को निकट के जिलों में ले जाने से पूर्व समस्या का निराकरण करने हेतु उच्च प्राथमिकता स्तर पर प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कोसी नदी के जल में गाद की भारी मात्रा होने के कारण पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि इसके कारण नहर प्रणाली काम के लायक नहीं रही है और इसके कारण पूर्णिया जिले में जमीन ऊसर हो गई है तथा खेती के योग्य नहीं रही है। बल्कि इस जिले में खरीफ के मौसम में सिंचाई के लिए जल की भारी मांग है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस परियोजना में पूर्वी कोसी नहर में विभेदक दीवारों (डीवाइड वाल्स), अंडर स्लूइस सिल्ट एक्स्क्लूडर सुरंगें और सिल्ट इंजेक्टर के निर्माण की व्यवस्था की गई थी ताकि

अन्ततः नहर में से नीचे की ओर बहने वाले पानी से गाद को दूर किया जा सके। इसके बाद, गाद को कारगर ढंग से दूर करने के माडल प्रयोगों के आधार पर, बराज के प्रति प्रवाह में बाएं बंध का भी नवीनीकरण किया गया है। गादीकरण की समस्या को कम करने के लिए बराज और नहरों के संशोधित प्रचालन कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं।

हाल के वर्षों में, गाद को ले जाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए मुख्य नहर के किनारों की ढालों की बोर्डरों से भराई की गई है और उसके ठोस लाभदायक परिणाम निकले हैं। सुधार के जो उपाय किये गये हैं उनके परिणामस्वरूप नहरों में जमा गाद हाल के वर्षों में कम हो गई है।

(ङ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से किसी अन्य जिले को सिंचाई सुविधाएं दिए जाने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है।

पिछले राज्यों में कृषि का विकास

3865. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों के लिये पिछड़े राज्यों में कृषि के विकास के लिए सरकार की कई योजनायें है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उड़ीसा, आसाम, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों के लिए ऐसी कितनी योजनाओं को मजूरी दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार ने लघु किसान विकास एजेंसी तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें शुरू की है जो चुने क्षेत्रों में छोटे / सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों जैसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचा रही है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में समन्वित शुष्क भूमि कृषि विकास के लिए प्रायोजित परियोजनाओं भी शुरू की गई है। केवल मध्यम दर्जे के किसानों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है।

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा कृषि और ग्राम विकास विभागों की 1976–77 की रिपोर्टों में उपलब्ध है जो सभा-पटल पर रख दी गई थीं।

(ग) पांच राज्यों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :

राज्य	परियोजनाओं की संख्या		
	लघु किसान विकास एजेंसी	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	शुष्क भूमि प्रायोगिक परियोजनायें
1. उड़ीसा	7	2	1
2. असम	4	—	—
3. पंजाब	4	—	—
4. महाराष्ट्र	13	6	2
5. बिहार	22	4	1

कच्चे पटसन की कमी

3866. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में कच्चे पटसन की अत्यधिक कमी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह कमी देश में कच्चे पटसन के कम उत्पादन के कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला):(क). जी हां।

(ख) और (ग). पिछले 2 वर्षों के दौरान कच्चे पटसन का उत्पादन कम होने तथा इन्हीं वर्षों के दौरान मिल में खपत बढ़ जाने के कारण कच्चे पटसन की उपलब्धि में कमी हुई है जिसके परिणाम-स्वरूप कच्ची पटसन के कम स्टाक बचे है।

(घ) कपास/मेस्ता का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में 1977–78 में 143 लाख रुपये की लागत से सघन कपास जिला कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के बावजूद भारत सरकार ने चालू मौसम के दौरान पश्चिम बगाल, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में 1,00,500 हैक्टर क्षेत्र को आवरित करने के लिए 45.00 लाख रुपये की कुल लागत यूरिया का छिड़काव करके व नाइट्रोजन-युक्त खाद डाल कर कच्ची पटसन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया है। कच्ची पटसन की कमी की समस्या को हल करनें तथा उपलब्ध सप्लाई का भली भांति वितरण करने के लिए मिलों द्वारा ज्यादा से ज्यादा 4 सप्ताह की खपत के लिए स्टाक रखने के अलावा स्टाक पर प्रतिबन्ध लगाते हुए नियन्त्रण सम्बन्धी नियम लागू किए गए है। कच्ची पटसन की विभिन्न श्रेणियों के लिए उनके मूल्य को (जो पिछले मौसम के दौरान बहुत अधिक बढ़ गए थे) नियन्त्रण में रखनें के लिए अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किए गए है।

समुद्री सीमा में मत्स्य उत्पादन

3867. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम अपनी समुद्री सीमा से परे जाकर भी मछली पकड़ने का कार्य कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976–77 के दौरान ऐसे समुद्री क्षेत्र में कितना मत्स्य उत्पादन हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला : क) जी हां, एक सीमा तक।

(ख) समुद्री सीमा से परे मछली पकड़ने के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते है।

2040 LS—7

शिक्षा माध्यम के प्रयोग के लिए सहायता

3868. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता दे रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापसिंह चन्द्र चन्द्र) : शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं दिए जा रहे है ।

जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें और सन्दर्भ साहित्य प्रकाशित करने के लिए राज्यों को सहायक अनुदान देने की एक योजना है, ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर माध्यम बदलने को सुकर बनाया जा सके । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य को एक करोड़ रुपए तक अनुदान दिए जाने हैं । प्रारम्भ में यह योजना चौथी योजना अवधि के लिए थी किन्तु इसे पांचवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जा रहा है । जहां तक बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषी राज्यों का सम्बन्ध है, उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए 1976-77 तक कुल 249.50 लाख रुपए तक के अनुदान दिए गए है । दिए गए अनुदानों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

	(रुपए लाखों में)
बिहार	53.00
हरियाणा . . .	27.50
मध्य प्रदेश	71.00
राजस्थान	40.00
उत्तर प्रदेश	58.00
	249.50

विदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिए वित्तीय सहायता

3869. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 के दौरान किन-किन देशों को यह सहायता दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय ने विदेशों में हिन्दी के प्रसार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है :—

(1) विदेशी राष्ट्रिकों को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था ।

(2) विदेशों में भारतीय मिशनों को हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना के लिए पुस्तकें सप्लाई करना ।

(3) प्राग, सूवा (फिजी), पोर्ट आफ स्पेन (ट्रिनीडाड) रंगून, कोलम्बो, जार्जटाउन (गुआना) नैरोबी, बैंकाक, क्वालालमपुर, पोर्टलुइस मौरिश्यस, काठमाण्डू और सूरीनाम स्थित अपने विदेशी मिशनों को हिन्दी के टाइपराइटर, मैगनेटिक टेप, रिकार्ड की हुई सामग्री इत्यादि सप्लाई करना ।

(4) श्रीलंका में दो अंशकालिक हिन्दी शिक्षकों को मानदेय की अदायगी ।

(5) तीन कैरिबियन देशों अर्थात सूरीनाम, ट्रिनीडाड और गुआना में हिन्दी लेक्चररों की प्रतिनियुक्ति के लिए धन की व्यवस्था करना ।

द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत, भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद ने भी बुखारेस्ट विश्वविद्यालय (रूमानिया), जागरेब विश्वविद्यालय (युगोस्लाविया), सोफिया विश्व विद्यालय (बलगारिया) और हम्बोल्ट विश्वविद्यालय (बर्लिन, ज० ज० गं०) में (प्रत्येक में एक) हिन्दी के प्रोफेसर प्रतिनियुक्त किए हैं ।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1976-77 में निम्नलिखित देशों को सहायता प्रदान की गई :—

1. थाईलैण्ड
2. केनिया
3. नेपाल
4. मौरिश्यस
5. गुआना
6. फिजी
7. युगोस्लाविया
8. संयुक्त राज्य अमेरिका
9. जर्मन संघीय गणराज्य
10. कनाडा
11. इग्लैण्ड
12. जाम्बिया
13. बर्मा
14. बल्गारिया
15. दक्षिणी कोरिया
16. श्रीलंका
17. अफगानिस्तान

18. जापान
19. मलयेशिया
20. सूरीनाम
21. ट्रिनीडाड
22. रूमानिया
23. जर्मन जनवादी गणराज्य
24. चेकोस्लोवाकिया

राष्ट्रीय परीक्षण गृह

3870. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई राष्ट्रीय परीक्षण गृह है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री **(श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) जी हां, कलकत्ता में एक राष्ट्रीय परीक्षणशाला है, जिसकी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय शाखायें क्रमशः बम्बई और मद्रास में हैं ।

(ख) यह राष्ट्रीय परीक्षणशाला निम्नलिखित कार्य करती है :--

1. सामान का परीक्षण जैसे कि :--

(क) तैयार सामान की किस्म पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से, इंजीनियरी सामान, जिसमें अर्ध तैयार सामान भी शामिल है, परिष्कृत रसायनों, धातुओं, कच्ची धातुओं, उर्वरकों आदि का परीक्षण करना ।

(ख) रेलों और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालयों आदि सहित केन्द्रीय सरकार और विविध राज्य सरकारों द्वारा खरीदे गये सामान की बाबत किस्म--प्रमाणपत्र जारी करना ।

(ग) निर्माण के तरीके और उत्पादों में सुधार लाने के उद्देश्य से उद्योगों की सहायता करने के लिये परीक्षण करना । आमतौर पर, नये उत्पादों का थोक उत्पादन शुरू होने से पहले उनके प्रोटोटाइपों को राष्ट्रीय परीक्षणशाला भेजा जाता है ।

(घ) आयात की जाने वाली वस्तुओं के विकल्प के लिये, विदेशी उत्पादनों के मुकाबले में स्वदेशी उत्पादों की तुलनात्मक विशेषताओं का निर्धारण करना ।

(ङ) भारतीय खान अधिनियम, भारतीय बायलर विनियम फैक्टरी अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम आदि के अधीन सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण करना।

2. परीक्षण और विश्लेषण की प्रणालियों के विषय में विकास-कार्य कार्य करना।

3. भारतीय मानक संस्था की प्रमाणन विपणन योजना के अन्तर्गत उसके लिये सामान का परीक्षण करना तथा राष्ट्रीय मानक तैयार करने में उनकी मदद करना।

4. सरकारी विभागों, सार्वजनिक निकायों, योजना परियोजनाओं और उद्योगों को ऐसे तकनीकी मामलों में विशेषज्ञ-सलाह देना, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षणशाला के पास विशेष जानकारी है।

5. उत्पादन और इंजीनियरी उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाना, उदाहरण के तौर पर,

(1) इंजीनियरी की वस्तुओं को काम में लेने की पहली अवस्था में ही असफल हो जाने के विशेष सन्दर्भ में, उपयोग करते समय उनके कार्य-व्यवहार का अध्ययन।

(2) पुल और क्रेन गार्डरों, बाइलरों, तेलशोधक कारखानों, तापीय बिजली-घरों आदि जैसी संरचनाओं के लिये सही निर्माण तकनीकों का मूल्यांकन।

(3) विशेषतया इंजीनियरी सामानों, विद्युत मशीनों पर इर्द-गिर्द की अवस्थाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

(4) वस्तु-परक मूल्यांकन के विशेष सन्दर्भ में रोगनों और एनेमलों का मूल्यांकन करना।

6. सरकारी विभागों, सार्वजनिक निकायों और उद्योग द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों की विशेषज्ञता--सम्बन्धी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना।

7. वैल्डरों का प्रमाणन करना।

8. निम्नलिखित कार्यों के लिये चल परीक्षण दलों द्वारा बिजलीघरों, रसायन-सन्यन्त्रों, पत्तन और हवाई अड्डों आदि का ढांचा तैयार करने निर्माण के स्थल पर जांच-पड़ताल और परीक्षण करना :--

(1) संरचनाओं के निर्माण की मजबूती का निर्धारण करना;

(2) कुछ वायुयानों के महत्वपूर्ण अवयवों की उड़न-योग्यता का निश्चय करना; और

(iii) परीक्षण-यन्त्र का आवधिक अनुसंशोधन ।

9. सामानों के परीक्षण और मूल्यांकन से सम्बन्धित मामलों और सम्बद्ध विषयों में पैदा हुए विवादों में मध्यस्थ का काम करना ।

नकदी वाली फसलों का उत्पादन

3872. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1975, 1976 और 1977 में मई तक नकदी वाली फसलों का कुल कित उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में प्रत्येक नकदी वाली फसल के उत्पादन में कुछ कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) उक्त नकदी वाली फसलों को वापिस किस मूल्य पर बेचा गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1974–75 और 1975–76 के दौरान महत्वपूर्ण तिलहनों, कपास, पटसन, मेस्ता, गन्ना, आलू और तम्बाकू के उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान एक संलग्न विवरण—1 में दिए गए हैं । वर्षा 1976–77 के लिए पटसन और मेस्ता के अनुमान उपलब्ध हैं तथा वे भी संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग). इन जिंसों की फालतू अथवा कमी की प्रकृति, विशेषकर फालतू अथवा कमी की मात्रा की स्थिति हर वर्ष उत्पादन के स्तर आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है । सामान्यत: गन्ना, तम्बाकू, आलू और अरंडी के मामले में फालतू होने की प्रवृत्ति है । खाद्य तेलों के मामले में, चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी व्यापार द्वारा कुछ आयातों के अलावा राज्य व्यापार निगम द्वारा 6 लाख मीटरी टन तेल का आयात करके इस कमी को पूरा करने का विचार है। कपास के मामले में चालू वर्ष में, 10-12 लाख गांठों की कमी का अनुमान लगाया गया है। पटसन के मामले में, 1972–73 से 1975–76 तक की अवधि के दौरान हर साल 1 से 4 लाख गांठों तक का आयात किया गया है ।

(घ) 1974 से जून 1977 तक की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण तिलहनों, कपास और पटसन के मासिक मूल्य संलग्न विवरण 2 में दिए गए हैं । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—741/77)

विवरण

महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान

फसल	यूनिट	1974–75	1975–76	1976–77
मूंगफली	लाख मीटरी टन	51.1	69.9	
अरण्डी के बीज .	––तदेव––	2.1	1.5	
तिल . .	––तदेव––	3.9	4.7	
तोरिया तथा सरसों	––तदेव––	22.5	19.4	
अलसी .	––तदेव––	5.7	6.2	
कुल पांचों प्रमुख तिलहन .	––तदेव––	85.3	101.7	
कपास	170 किलोग्राम की लाख गांठें	71.6	61.0	
पटसन .	180 किलोग्राम की लाख गांठें	44.7	44.4	53.5
मेस्ता .	––तदेव––	13.6	14.7	17.4
गन्ना (गुड़)	लाख मीटरी टन	147.2	147.1	
आलू	––तदेव––	62.3	74.3	
तम्बाकू	––तदेव––	3.6	3.5	

वन अग्नि संरक्षण एकक, केरल

3873. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्नि नियन्त्रण कार्यक्रम अधिकारी, न्यूजीलैण्ड ने 1976 में केरल का दौरा किया था और वनों के महानिदेशक से नई दिल्ली में मिले थे तथा सिफारिश की थी कि केरल में एक आदर्श वन अग्नि संरक्षण एकक स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। न्यूजीलैंड के वन सेवा के मुख्य अग्नि नियंत्रण अधिकारी जून, 1976 में अपने मिशन के दौरान वन महानिरीक्षक से मिले थे । इसके बाद उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ।

(ख) भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में अग्नि शमन प्रशिक्षण अनुसंधान तथा प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड वन अग्नि नियंत्रण मूल्यांकन मिशन की रिपोर्ट मई 1976 में आई थी जिसमें केरल के पीरमेड में एक अग्नि डिपो--एवं--अग्नि नियंत्रण प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। पम्पिगसैट, आग बुझाने वाले इंजनों और रेडियों आदि अग्नि शमन उपस्कर भी दिये जाने हैं। इस समय न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

औद्योगिक नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाना

3874. श्री अहसान जाफरी : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के औदयोगिक नगरों से गन्दी बस्तियां को हटाने के लिए क्या परियोजनाए आरम्भ की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) भारत के औदयोगिक नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार का उक्त समस्याओं को कब तक हल करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र में है तथा अपनी समस्त प्राथमिकताओं के आधार पर इस योजना के अन्तर्गत परियोजनायें बनाने तथा क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं। यह योजना किसी विशेष श्रेणी अथवा श्रेणियों के शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह सभी शहरों पर लागू है।

(ख) देश में गन्दी बस्ती में रहने वालों की कितनी संख्या है इसका ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने 1972 में कुछ महानगरों और प्रमुख नगरों में गन्दी बस्तियों की वृद्धि के आधार पर यह अनुमान लगाया था कि शायद 20 से लेकर 25 प्रतिशत तक शहरों की जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रहती है।

(ग) कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

असाधारण कलाकारों एवं लेखकों को शिक्षावृत्ति

3875. श्री समरेन्द्र कुण्डु : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की असाधारण कलाकारों एवं लेखकों को शिक्षावृत्ति देने की कोई योजना है

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने कलाकारों तथा लेखकों को शिक्षावृत्ति दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस योजना में विभिन्न सर्जनात्मक क्षेत्र अर्थात साहित्य, कला, नृत्य, थियेटर, संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला इत्यादि शामिल हैं। प्रति मास 1,000/-रुपये और 500/- रुपए की राशि की दो किस्म की अधिछात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और दोनों पांच वर्षों की अवधि तक की होती हैं।

यह योजना 1975-76 में शुरु की गई थी, जब ग्यारह अधिछात्रवृत्तियां 1000/-रुपए की श्रेणी में 4 और 500/-रुपए की श्रेणी में 7 अधिछात्रवृत्तियां प्रदान की गई। उसके बाद कोई अधिछात्रवृत्ति नहीं दी गई हैं क्योंकि योजना में संशोधन किया जा रहा है।

छोटे फ्लटों का निर्माण करने की योजना

3876. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य स्थानों में मध्यम श्रेणी के लोगों तथा नौकरी करने वाले परिवारों तथा नौकरी करने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए छोटे फ्लैटों का निर्माण करने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी डिजाइन का अनुमोदन किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) राज्य क्षेत्र योजना की दो स्कीमें हैं जिन्हें निम्न आय वर्ग आवास स्कीम और मध्यम आय वर्ग आवास स्कीम कहते हैं ये स्कीम निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों के लिए है। इन स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां पात्र व्यक्तियों को सीधे ही बेचकर/किराया खरीद आधार पर मकान देने के लिए मकानों का निर्माण कर सकती हैं। औदयोगिक कर्मचारियों, खान मजदूरों, बागान कर्मचारियों आदि के लिए विशिष्ट आवास योजनायें है। आवास तथा नगर विकास निगम भी इन आय वर्गों के लोगों के लिए मकान/फ्लैट बलाने के लिए आवास बोर्डों स्थानीय निकायों आदि को वित्तिय व्यवस्था करती है। भिन्न तथा मध्यम आय वर्गों के परिवारों के मकान की व्यवस्था करने में सहकारी आवास समितियों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग) की एक योजना है जिसे "वर्किंग वीमेन्स होस्टल स्कीम" कहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देती है जो कार्यरत महिलाओं के लिए जिनकी आय 800 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, के लिए होस्टल भवनों के निर्माण व

विस्तार जैसे महिला कल्याण क्षेत्र में व्यस्त हैं। यह केन्द्रीय सहायता निर्माण।विस्तार की कुल अनुमानित लागत के 75% से अधिक नहीं है। शेष लागत की राशि को राज्य सरकार तथा अथवा संबंधित स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वहन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कार्यरत पुरुषों तथा महिलाओं के लिए सामान्य पूल वास में फिलहाल 9 होस्टल हैं 6 दिल्ली में एक बम्बई में, एक शिमला में और एक कलकत्ता में। कलकत्ता में 84 सूट का एक होस्टल निर्माणाधीन है। चालू वर्ष में, बम्बई में 72 सूटों का एक होस्टल और नई दिल्ली में करीब 176 सूटों का एक होस्टल बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी अभी स्वीकृति नहीं मिली है।

(ग) जी, नहीं।

3877. Shri S. Kundu: Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to abolish various refugee camps throughout the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether some refugees were brought from Mana Camp to Pilivit Camp and if so, their number and steps taken to permanently settle them?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) & (b) The policy of the Government is to progressively close the refugee camps as and when all the families of a camp are dispersed to resettlement sites. Presently there is only one camp at Mana and two worksite camps, *viz.* at Tawa and Dolariya in Madhya Pradesh, which will be closed when the families will be dispersed to the respective sites for settlement.

(c) Yes, Sir. 177 migrant families were brought from Mana Camp to Karmishibir in Pilibhit District (U.P.) and are in the process of permanent resettlement as below:

(i)	In agriculture	: 137 families
(ii)	In small trade	: 40 families
	Total :	177 families;

विश्व खाद्य सम्मेलन

3878. श्री निहार लास्कर :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1977 में मनीला में आयोजित हुए विश्व खाद्य सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था :

(ख) यदि हां, तो इस में कितने देशों ने भाग लिया और उस में क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) क्या धनी देशों की ओर से निर्धन देशों को खाद्य सहायता में वृद्धि करने के लिये कोई करार हुआ है :

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्व खाद्य परिषद की बैठक लगभग जून, 1977 में मनीला में हुई थी। यद्यपि भारत इस समय विश्व खाद्य परिषद का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत ने एक प्रेक्षक की हैसीयत से बैठक में भाग लिया था।

(ख) और (ग) इस बैठक में 33 सदस्य देशों ने भाग लिया। विश्व में भूखों और पर्याप्त भोजन की समस्या का सामना करने के लिए 22-सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मनीला विज्ञप्ति (प्रति संलग्न है में परिषद की बैठक की सिफारिश दी गई है)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 742/77]

मनीला विज्ञप्ति में खाद्य सहायता को बढ़ाने तथा उसमें सुधार करने के बारे में विश्व खाद्य परिषद की निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिश दी गई है :—

पारम्परिक प्रदाता देशों तथा अन्य सक्षम प्रदाता यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करें, जिससे कि 1977—78 में खाद्य सहायता के रूप में धान्यों का न्यूनतम वार्षिक स्तर एक करोड़ मीटरी टन तक जा पहुंचे और जिन प्रदाता देशों ने ऐसा नहीं किया है उन्हें खाद्य सहायता की सप्लाई करने की योजना, यथा सम्भव शीघ्र ही भेजने के लिए हर संभव प्रयत्न करने चाहिए।

प्रदाता देशों को, जो ऋण के आधार पर खादय सहायता प्रदान करते हैं, अपनी सहायता में और अधिक रियायतें देनी चाहिए तथा अनुदान के आधार पर विकट आर्थिक कठिनाईयों में विशेषकर विकासशील देशों को दी जाने वाली खादय सहायता के अनुपात को काफी अधिक बढ़ाना चाहिए। कम विकसित देशों को खाद्य सहायता अनिवार्यत: अनुदान के आधार पर दी जानी चाहिए।

सभी सक्षम प्रदाता देशों ने खाद्य सहायता नीतियों और कार्यक्रमों की बैठक में तय की गई विधियों के आधार पर 1977 के अंत तक 500,000 टन धान्यों के अन्तर्राष्ट्रीय आपात आरक्षण का समर्थन करने तथा यथा सम्भव शीघ्र ही अपने अंशदान के बारे में विश्व खाद्य कार्यक्रम को जानकारी देने का वचन दिया है।

समूह आवास समितियों को दक्षिण दिल्ली में जमीन का आवंटन

3879. **श्री निहार लास्कर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली में इस समय ऐसी कितनी भूमि है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है ;

(ख) आपात स्थिति में दक्षिण दिल्ली में कितनी भूमि अभिगृहित की गई और आपात स्थिति से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितनी उपलब्ध भूमि थी ;

(ग) इसमें से कितनी भूमि समूह आवास समितियों को आवंटित की गई और इसमें से कितनो भूमि का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता फ्लैटों के निर्माण के लिए उपयोग किया गया ;

(घ) कितनी भूमि गैर-सरकारी व्यक्तियों को और जनता को बेची गई ; और

(ङ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को फिर से भूमि का आवंटन किया है जिनको पहले भूमि छोड़ने को बाध्य किया गया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

चेयरमैन, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

3881. **डा० वसंत कुमार पंडित :**
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का चेयरमैन कौन है तथा कब से है ;

(ख) डा० एस० गोपाल कितनी अवधि के लिये चेयरमैन के पद पर रहे, और

(ग) उन्हें किन कारणों से पदमुक्त होना पड़ा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के संयुक्त शिक्षा सलाहकार डा० डी० एन० मिश्र, मंत्रालय में अपने कार्यों के अलावा 15 फरवरी, 1977 के अपराह्न से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) डा० एस० गोपाल की अध्यक्षता की अवधि 1 जनवरी, 1973 से 24 दिसम्बर 1976 तक थी ।

(ग) तीन वर्ष की अपनी पहली अवधि पूरी करने के बाद (जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1975 तक) डा० एस० गोपाल ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताये दूसरी अवधि के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी, किन्तु सरकार के अनुरोध पर, वैकल्पिक प्रबन्ध किये जाने तक, कार्य करते रहे ।

सिंचाई की वास्तविक क्षमता और सिंचाई परियोजनाओं में उसके वास्तविक प्रयोग में अन्तर

3882. **श्री अण्णासाहिब शिन्दे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई की वास्तविक क्षमता तथा उसके प्रयोग में अन्तर है ; और

(ख) इसे दूर करने तथा क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है तथा कब तक ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) किसी एक वर्ष में पैदा की गई सिंचाई की क्षमता के उपयोग की तुलना उससे पहले के वर्ष में पैदा की गई क्षमता से की जाती है। इस आधार पर, पैदा की गई क्षमता के उपयोग में मौजूदा कमी लगभग 13 लाख हैक्टर है।

मार्च, 1976 तक पैदा की गई क्षमता 225 लाख हैक्टार है। मार्च, 1977 तक अनुमानित उपयोग 212 लाख हैक्टार का है। बड़ी परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षमता और उपयोग का ब्यौरा, जिसके कारण मुख्य रूप से यह कमी आई है, नीचे दिया गया है :—

(हज़ार हैक्टार)

	मार्च, 1976 तक पैदा की गई क्षमता	मार्च, 1977 तक संभावित उपयोग	कमी
1. कोसी (बिहार)	416	198	218
2. चम्बल (मध्य प्रदेश और राजस्थान)	449	356	93
3. गण्डक (बिहार और उत्तर प्रदेश)	731	400	331
4. काकापार (गुजरात) . . .	214	149	65
5. तुंगभद्रा हाई लेवल कनाल (आन्ध्र और कर्नाटक)	128	43	85
6. राजस्थान नहर चरण–1 (राजस्थान)	393	310	83
7. मही चरण–1 (गुजरात)	139	95	44
8. उकई (गुजरात)	91	34	57
9. रामगंगा (उत्तर प्रदेश)	390	330	60
			1036

(ख) पैदा की गई क्षमता के अपूर्ण उपयोग के लिये उत्तरदायी कारणों की जांच करने के लिये भारत सरकार ने मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने जून, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सिंचाई की क्षमता के अधिकतम उपयोग के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा गठित सिंचाई आयोग और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी विचार किया है। इन निकायों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने एक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया है और

राज्यों से इस कार्यक्रम को चलाने के लिये, अन्तर-अनुशासिक कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का अनुरोध किया है जिसमें निम्नलिखित मुख्य मदें हों :--

(1) खेती विकास--

(क) प्रत्येक निर्गम-द्वार के कमान के अन्तर्गत खेत नालियों और खेत जल निकास नालियों का विकास करना ।

(ख) निर्गम-द्वार कमान के आधार पर भूमि को समतल बनाना ।

(ग) जहां भी आवश्यक हो खेतों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण करना (जहां सम्भव हो जोतों की चकबन्दी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए) ।

(घ) "बाड़ाबन्दी' की सही विधि को लागू करना और अलग-अलग खेतों को जल का उचित वितरण करना ।

(ङ) ऋण आदि सभी आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना, और

(च) विस्तार सेवाओं को पुष्ट करना ।

(2) उपयुक्त फसल प्रतिमानों का चयन और उन्हें प्रयोग में लाना ।

(3) सतही सिंचाई को अनुपूरित करने के लिये भूमिगत जल का विकास करना (लघु सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत इसका संयोजनशील उपयोग है) ।

(4) मुख्य और मध्यम जल-निकास प्रणाली का विकास और रख-रखाव (सिंचाई क्षेत्र)

(5) एक क्यूसेक तक जल निर्गम कर सकने वाली सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण, अनुरक्षण और उसे कारगर ढंग से चलाना (सिंचाई क्षेत्र) ।

भारत सरकार के कृषि विभाग की पहल के परिणामस्वरूप 12 राज्यों के 36 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किये गये हैं। इनके अन्तर्गत खण्ड (क) में उल्लिखित परियोजनाओं सहित मिला कर 46 सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। यह कार्यक्रम न केवल उन परियोजनाओं में शुरू किया गया है जहां पैदा की गई क्षमता और उसके उपयोग के बीच का अन्तर अधिक है, अपितु उन परियोजनाओं में भी शुरू किया गया है जहां जल की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाया जा सकता है ।

सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई की क्षमता के पूर्ण उपयोग में कुछ समय का अन्तराल तो हमेशा रहेगा। कई परियोजनाओं में यह अन्तराल बहुत अधिक रहा है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत से, किसानों को जल और दूसरे आदानों का उचित संभरण सुनिश्चित होने से, समय के अन्तराल के कम होने की आशा है ।

वर्षा से क्षतिग्रस्त गेहूं की वसूली

3883. **श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष रबी खाद्यान्नों की कुल कितनी वसूली हुई; और

(ख) इसमें से कितना गेहूं वर्षा से क्षतिग्रस्त है और सरकार का वर्षा से क्षतिग्रस्त गेहूं को कब तक जमा रखने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). 16 जुलाई, 1977 को उपलब्ध सूचनानुसार चालू रबी विपणन मौसम के दौरान कुल 50.36 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है, जिसमें से लगभग 20.04 लाख मीटरी टन वर्षा से प्रभावित हुआ है। सरकार किस्म संबंधी जांच करने के बाद रोलर फ्लोर मिलों को सप्लाई कर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई कर इस गेहूं का यथा सम्भव शीघ्र निपटान करने के सभी प्रयत्न कर रही है।

बाड़ाचांका जल निकासी योजना का क्रियान्वयन

3884. **श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टाई सब-डिवीजन, पश्चिम बंगाल की बाड़ाचौका जल-निकासी योजना, जिसे सम्बद्ध योजना निकाय द्वारा स्वीकृत किया गया था, के शीघ्र क्रियान्वयन का मसला पहले भी सदन में उठाया गया था;

(ख) क्या भूतपूर्व सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव ने इस स्वीकृत योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा था और सदन में अनेक सम्बद्ध प्रश्नों का उत्तर दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन का सां. तिक दिखावा किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से तथ्यों का पता लगा कर सभा को जानकारी देगी; और

(ङ) उक्त जल निकासी योजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि धन की तंगी के कारण इस स्कीम को चतुर्थ योजना में शामिल नहीं किया जा सका था। हालांकि 20 अप्रैल, 1973 को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा इस स्कीम का उद्घाटन किया गया था परन्तु इस स्कीम के लिए धन-राशि का प्रावधान केवल पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया जा सका था। इस स्कीम के लिए 58.8 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया था। यह सूचित किया गया है कि 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान क्रमश: 4.00 लाख रुपये, 7.00 लाख रुपये और 21.5 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। 1977–78 के लिए 18 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। यह समझा जाता है कि सामग्री की लागत तथा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि एवं इस स्कीम में अधिक पुलों तथा क्रास जल-निकास कार्यों के प्रावधान से इस स्कीम की संशोधित लागत लगभग 93.8 लाख रुपये हो जायेगी।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

3885. **श्री समर गुह : क्या निर्माण तथा आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भूतपूर्व पाकिस्तान के कितने शरणार्थियों को बसाया गया;

(ख) शरणार्थियों को किन-किन स्थानों पर बसाया गया और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(एक) प्रत्येक स्थान पर कितने शरणार्थी बसाये गये,

(दो) उनके पुनर्वास के लिए कभी व्यवस्था की गई,

(तीन) उनको आर्थिक दृष्टि से बसाने तक उनको कितनी नकदी सहायता दी गई;

(ग) क्या उनसे कोई शिकायतें मिली हैं और क्या कुछ शरणार्थी पुनर्वास स्थल छोड़कर चले गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या बालापुर जिला कोटा, राजस्थान में बसाये गये शरणार्थियों को खेती के अयोग्य भूमि पथरीली भूमि दी गई है;

(ङ) कभी उन्होंने नहर के दोनों ओर खेती योग्य भूमि की मांग की थी; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी अपील पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख). लगभग 12,000 परिवारों को पुनर्वास दिया जा चुका है। पुनर्वास का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कृषि तथा लघु व्यवसाय में पुनर्वास के लिए प्रवासियों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) को 1976–77 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 126 से 130 पर परिशिष्ट VI से VIII में दिया गया है।

(ग) कुछ छुट-पुट शिकायतें मिली थीं जिन पर ध्यान दिया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 950 परिवार पुनर्वास स्थलों को छोड़ कर चले गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संख्या	राज्य	गत तीन वर्षों के दौरान–अर्थात् 1974–75 से 1976–77 तक कृषि और लघु व्यवसाय में बसाए गए परिवारों की संख्या
		(परिवार)
1	आसाम	1,565
2	आंध्र प्रदेश	520
3	बिहार	345
4	कर्नाटक	82
5	महाराष्ट्र	1,291
6	मध्य प्रदेश	2,339
7	मेघालय	174
8	राजस्थान	417
9	त्रिपुरा	628
10	उत्तर प्रदेश	1,102
11	दण्डाकारण्य परियोजना	3,276
12	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	89
13	उद्योगों में रोजगार प्रदान करके बसाए गए प्रवासी	204
	योग	12,032

बड़े नगरों में "बेघर लोगों के लिए गृह"

3886. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पटना, लखनऊ आदि बड़े नगरों में हजारों भिखारी घूमते हुए पाए जाते हैं जो फुटपाथों पर अपना काम चलाऊ निवास स्थान समझकर रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक बड़े नगर में 'बेघर लोगों के लिए गृह" की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करेगी ;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के सहयोग से बेघर लोगों, भिखारियों, इधर उधर घूमने वाले लोगों तथा ग्रामों से शहरों की ओर आने वाले भूमिहीन कृषकों के लिए अनिवार्य रूप से गृह की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या भिखारियों की समस्या से निबटने के लिए बेघर भिखारियों और अवारा लोगों के लिए अविनार्य रूप से गृह तथा रोजगार की व्यवस्था करने हेतु समेकित योजनाएं बनाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा करना वांछनीय होगा ।

(ग) तथा (घ) शहरों में बेघर लोगों को अनिवार्यतः गृह देने की ऐसी कोई योजना इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

बड़े शहरों में भवनों की ऊंचाई संबंधी नियम

3887. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े बड़े शहरों में बनाये जा रहे भवनों की ऊंचाई के बारे में कोई नियम या विनियम अपनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संहिता के भाग V के अध्याय III में "भवन की सामान्य अपेक्षितताएं" में अन्य बातों के साथ साथ भवनों की ऊंचाई के संबंध में कुछ सिफारिशें दी गई हैं । शहरों में बनाये जा रहे भवनों की ऊंचाई के बारे में बनाये गए नियम व विनियम स्थानींय उपनियमों के द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं । दिल्ली के सभी क्षेत्रों में संस्थागत और रिहायशी भवनों की ऊंचाई के बारे में प्रतिबंध को बृहत योजना के विनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है ?

(ख) दिल्ली को छोड़कर भारत के बड़े-बड़े शहरों में भवनों की ऊंचाई पर प्रतिबन्ध के ब्यौरे, यदि कोई हों तो, तत्काल उपलब्ध नहीं है । दिल्ली में संस्थागत भवनों के लिए जहां लिफ्टें और अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान की गई हैं उनकी ऊंचाई 24.4 मीटर (80 फुट) और जहां ये सुविधायें नहीं हैं उनकी ऊंचाई 13.72 मी० (45 फुट) तक सीमित की गई हैं । जहां तक रिहायशी भवनों का सम्बन्ध है सरकारी पाइंट ब्लाक भवनों के लिए अनुमेय अधिकतम ऊंचाई 36.58 मीटर (120 फुट) है, जहां ऊपरी टंकी के साथ साथ लिफ्ट और अन्य सेवाएं उपवलब्ध हैं । अन्य मामलों में जहां ये सेवाएं उपलब्ध हैं वहां ये ऊंचाई 24.4 मीटर (80 फुट) और जहां ये सुविधायें नहीं हैं वहां भवनों की अनुमेय ऊंचाई 13.72 मीटर (45 फुट) है ।

सहकारिता ऋण सोसाइटी

3888. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय कितनी सहकारी ऋण सोसाइटियां (प्राथमिक) कार्य कर रही है;

(ख) ऐसी सोसाइटियां कितनी हैं जो विगत तीन वर्षों से घाटे में चल रही हैं ; और

(ग) इसी अवधि में कितनी सोसाइटियां बन्द कर दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—743/77]

Repatriation of Persons of Indian Origin

3889. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons of Indian origin repatriated to India from each country during the last three years and the number of persons, out of them, rehabilitated so far;

(b) whether some of them are yet to be rehabilitated; and

(c) if so, the number thereof and time by which they are likely to be rehabilitated?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):

(a) (i) From 1-1-1974 to 31-12-1976, the number of repatriated country-wise is as under:—

Shri lanka:	1,16,059 persons ..(28,109 families)
Burma:	10,149 persons (2,500 families)
Vietnam:	..1,529 persons (330 families)

(ii) During the same period, 20,217 families of Shri Lanka repatriates 5,232 families of Burma repatriates and 99 families of Vietnam repatriates were granted rehabilitation assistance. As the rehabilitation programme for the repatriates is a continuous process, these figures include the spill-over repatriate families who arrived prior to 1-1-1974.

(b) and (c) : Yes, Sir. About 4,700 Shri Lanka repatriate families, 490 Burma repatriate families and 231 Vietnam repatriate families are awaiting rehabilitation. No rigid time-limit has been prescribed but the instructions are to rehabilitate them as early as possible.

डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में टाईप—III के फलैटों का निर्माण

3890. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के डी० आई० जैड० क्षेत्र में वर्ष 1977 में टाइप तीन के कितने फ्लैटों का निर्माण किया जाना है ;

(ख) सामान्य पूल में तथा अन्य पूल में, यदि कोई हो तो, कितने फ्लैट हैं; और

(ग) उक्त फ्लैट आवंटन के लिए राजसम्पत्ति निदेशालय को कब हस्तान्तरित किये जाएंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) फिलहाल नई दिल्ली के डी० आई० जैड० क्षेत्र में टाइप III के 140 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ।

(ख) उपर्युक्त निर्माणाधीन टाइप तीन के 140 क्वार्टरों में से 98 सामान्य पूल तथा 42 लोक सभा/राज्यसभा सचिवालय पूल के हैं ।

(ग) निर्माणाधीन ये 140 क्वार्टर आवंटन के लिए फरवरी, 1978 तक सौंप दिये जायेंगे ।

चारे की कमी

3891. **श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन बंजर और अर्ध बंजर जिलों के नाम क्या हैं, जहां पशुओं की सबसे अधिक आबादी है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या इन जिलों में चारे की कमी निरन्तर बनी रहती है, जिस से जानवरों को अन्य राज्यों और क्षेत्रों में बार-बार ले जाना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सद्गुरु सेवा संघ जैसी स्वैच्छिक एजेन्सियों ने चारे की कमी दूर करने के लिए एक विशिष्ट किस्म की घास सफलतापूर्वक उगाई है; यदि हां, तो नये किस्म की घास के विस्तार के लिए सरकार का उन्हें किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) देश के शुष्क और अर्द्ध शुष्क जिलों में जोधपुर और महबूबनगर ऐसे जिले हैं जहां पशुओं की सबसे अधिक आबादी है । इन दोनों जिलों में पशुओं की संख्या क्रमशः 4.74 लाख और 11.56 लाख है ।

(ख) शुष्क और अर्द्ध शुष्क प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी अत्याधिक महसूस की जाती है । सूखे से प्रभावित वर्षों में पशुओं को उन पड़ोसी जिलों अथवा राज्यों में भेज दिया जाता है, जहां चारा उपलब्ध होता है ।

(ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में चारा तथा चरागाह विकास पर अधिक जोर दिया गया है। चराई की वर्तमान भूमि की उत्पादता को बढ़ाने के अलावा कार्यक्रम में शुष्क चरागहों का विकास किया जा रहा है । विश्व बैंक की सहायता के अन्तर्गत आने वाले 6 जिलों में फसल के रूप में उगने वाली घास के लाभों का प्रदर्शन करने के लिए लगभग 80,000 हेक्टार सरकारी भूमि को घेरने तथा विकसित करने का प्रस्ताव है। उन जिलों में जहां निजी स्वामित्व की स्थायी परती भूमि उपलब्ध है, वहां इस प्रकार की लगभग 10,000 हैक्टार भूमि को चरागाह हेतु उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। चरागाह हेतु अपनी भूमि का सुधार करने के लिए इच्छुक भू-सामियों को निशुल्क बीज और तकनीकी सहायता दी जाती है। चारे के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बारानी इलाकों में उगने वाली घास की किस्मों के लिए उत्पादन फार्मों में धन लगाया जा रहा है । पशु पालकों की जमीन पर चारा संबंधी प्रदर्शन भी किए जाते हैं।

(घ) गुजरात में खेतिहरों को चारा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सद्गुरु सेवा ट्रस्ट लिमिटेड का सहयोग प्राप्त किया गया है। सरकारी फालतू भूमि तथा प्राइवेट खेतिहारों की भूमि में हरे चारे की खेती की जा रही है। कुबाबुल (लियूकेइना लियूसेफाला) नाम के वृक्ष जो सूखे का अत्याधिक प्रतिरोधक है, सूखा ग्रस्त क्षेत्र में भारी संख्या में लगाए जा रहे हैं। चारा उत्पादन संकर प्रजनन सम्बन्धी समेकित कार्यक्रम का ही एक भाग है जिसे सद्गुरु सेवा संघ जैसी स्वैच्छिक एजेंसी, भारतीय कृषि उद्योग फाउण्डेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है ।

भारतीय घास तथा चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में कुबाबुल, विशेषकर "लो—मिमेसिन—टाइप" के विकास के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। चारे के वृक्षों को लोकप्रिय बनाने हेतु विभिन्न एजेंसियों को वितरण करने के लिए कुबाबुल के बीच काफी मात्रा नें उगाये जा रहे हैं।

कपास की नई किस्में

3892. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 के दौरान कपास की नई किस्में रिलीज की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) सन् 1977 के दौरान कपास की कोई नई किस्म रिलीज नहीं की गई तथापि 1976 के दौरान शोर्ट स्टेपिल्ड वैराइटी एल० डी० 133 (पंजाब के लिए) और चार मीडियम स्टेपिल्ड वैराइटी एच 655 सी (हरियाणा), एफ 414 (पंजाब के लिए बीकानेरी नरमा से चयन करके प्राप्त), सी पी 15/2 (दक्षिण भारत के लिए सुमन) और जे० के० 97 (कर्नाटक के लिए) रिलीज की गई।

उड़ीसा से चावल, धान और गेहूं का उत्पादन

3893. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में चावल, धान और गेहूं के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) इस अवधि के दौरान उड़ीसा में इन मदों की वार्षिक मांग कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1974 से आगे के वर्षों के दौरान उड़ीसा में कमजोर वर्गों में मदवार, खादायन्न के प्रति व्यक्ति वितरण का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क): (उत्पादन हजार मीटरी टन में)

(क):	चावल	धान	गेहूं
1973–74 . .	4404.4	उपलब्ध नहीं	82.8
1974–75 . . .	3166.0	4862.5	85.9
1975–76 . . .	4531.8	6972.6	97.7

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गोश्रा में विश्वविद्यालय की स्थापना

3894. **श्री एडग्रार्डो फैलीरी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उक्त विश्वविद्यालय की क्या विशेषतायें होंगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा॰ प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने गोआ, दमन और दीव सरकार के गोआ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में जनवरी, 1974 में स्वीकार कर लिया और क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में दे रखते हुए विश्वविद्यालय को विकसित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सलाहकार योजना बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया। यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविदयालय के विधेयक के मसौदे पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

गोआ, दमन और दीव की सरकार ने विधेयक का मसौदा स्वीकृति के लिए जुलाई 1975 में भेज दिया था। उस सरकार को यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविदयालय के अधिशासन के विषय में गजेन्द्रगदकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर इसका मसौदा फिर से तैयार किया जाए और यह मामला उस सरकार के अभी तक विचाराधीन है।

टाइप--II के क्वार्टरों में बिजली का तीसरा पंखा लगाना

3895. **श्री के० मालन्ना :**

श्री के० प्रधानी :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुर्नवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने वेतन मान स्तर से निचले स्तर के क्वार्टरों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या टाइप-II के क्वार्टरों में बिजली के केवल दो पंखे लगाये जाते हैं और कर्मचारियों को कठिनाईयां हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार टाइप-II के क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों के इस समय के वेतन को देखते हुए तीसरा पंखा लगाने के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां ।

(ख) 2811 ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं ।

(ग) जी हां । अनुमोदित मानदण्ड के अनुसार टाइप II के क्वार्टरों में केवल दो पंखें दिये गए है । नये बनाये गए क्वार्टरों के कुछ आवंटियों ने तीसरे पंखे की व्यवस्था के लिए अभ्यावेदन दिया है ।

(घ) फिलहाल बिजली का तीसरा पंखा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कृषि यंत्रों के उपयोग का ग्रामीण बेरोजगारी पर प्रभाव

3896. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि यंत्रों के उपयोग और कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी पर इसके प्रभाव के बीच संबंधों का कोई अध्ययन किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 747/77]

भारत में बनी विदेशी शराब की दुकानों के लिये ठेके

3897. **श्री के० मालन्ना :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनी विदेशी शराब की दुकानों के लिए ठेकों की नीलामी बन्द करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं । सरकार ने अलबत्ता राज्य सरकारों से आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचने के लिए ठेके के तरीके को समाप्त करने के लिए कहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि का आवंटन

3898. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि दक्षिण दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में इस आशय के बोर्ड लगा दिये गए हैं कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को अलाट करने के लिए जमीन आरक्षित है ;

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों की स्थापना कितने क्षेत्रों में की गई है ;

(ग) क्या मस्जिद मोठ, आर० के० पुरम तथा अन्य विभिन्न स्थानों में भी ऐसे बोर्डों की स्थापना की गई है ;

(घ) इनमें से कितनी जमीन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को अलाट की गई है ; और

(ङ) क्या इन बोर्डों का कार्य केवल जमीन दिखाने का ही है न कि उसे मांगने वाली सोसाइटियों को देने का ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) तक सूचना एकत्र की जा रही है।

वनों से आय की योजना

3899. **श्री आर० सी० स्वामीनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनों से आय का उपयोग करने तथा उसे बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि योजनायें तैयार करें और वन भूमि में से अधिक से अधिक भूमि का कृषि प्रयोजनों के लिये विकास करें ;

(ग) क्या इस प्रकार की कोई योजना पहिले भी तैयार की गई थी ; और यदि हां, तो राज्यों में कितनी ऐसी भूमि का कृषि भूमि के रूप में विकास किया गया ; और

(घ) राज्य सरकारों को किस प्रकार की सहायता दी जानी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। दुर्गम वन क्षेत्रों में आवश्यक संचार की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करके और वन पर आधारित उद्योगों में कम रूप से उपयोग की गई या उपयोग में न लाई गई किस्मों के लिए नये उपयोगों का पता लगा करके वनों के पूर्ण उपयोग के लिए प्रयास किए गए हैं। वनों से आय बढ़ाने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें कटाई तथा लकड़ी के रूपान्तरण के दौरान होने वाली क्षति को कम करने के लिए उपयोग की अधिक दक्षपूर्ण विधियों का उपयोग कर वर्तमान वनों की उत्पादकता बढ़ाने का विचार किया गया है। उपयुक्त क्षेत्रों, जो कम महत्व के, उजड़े हुए या खाली हैं, शीघ्र उगने वाली/आर्थिक किस्मों का बड़े पैमाने पर पौद-रोपण किया जा रहा है। वनों के विकास के लिये संस्थागत वित्त प्रदान करने हेतु वन विकास निगम स्थापित किए गए हैं।

(ख) जी नहीं। वन क्षेत्र वर्तमान तथा भावी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः वन क्षेत्र को कृषि के अन्तर्गत लाने की सरकार की कोई नीति नहीं है।

(ग) ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। परन्तु कृषकों को वनों के खाली क्षेत्र पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कृषि विभाग में एक छोटी समिति गठित की गई थी। कृषकों को यह भूमि इस करार पर दी जानी है कि वे आधे क्षेत्र में खेती करेंगे और शेष आधे क्षेत्र में इस शर्त पर वृक्षों की किस्में लगायेंगे कि कृषकों द्वारा उन वृक्षों की देख भाल की जायेगी या उनका संरक्षण किया जाएगा, लेकिन भूमि वन विभाग की सम्पत्ति होगी और वृक्षों की देख-भाल न करने पर पट्टे रद्द किए जायेंगे। राज्यों से अब तक प्राप्त की गई जनकारी से पता चलता है कि या तो वनों में ऐसे कोई खाली क्षेत्र नहीं है या उनमें वनरोपण अथवा चारे की घास उगाई जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

3900. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण की अग्रिम राशि की मंजूरी हेतु कितने आवेदन पत्र निर्माण और आवास मंत्रालय के विचाराधीन हैं ;

(ख) यह आवेदन पत्र कब से विचाराधीन पड़े हैं ;

(ग) अग्रिम राशि की मंजरी हेतु मंत्रालय को भेजे जाने के पश्चात मंत्रालय में आवेदन पत्रों के निपटान में सामान्यत: कितना समय लगता है ; और

(घ) विलम्ब को कम करने तथा शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) 1 जुलाई, 1977 को 5770 अर्जियां निलम्बित थीं। ये अर्जियां नवम्बर, 1976 के बाद की अवधि की हैं।

(ग) जब एक अर्जी पर कार्यवाही आरम्भ कर दी जाती है तो उसे एक या दो दिन में निपटा दिया जाता है लेकिन कार्यवाही आरम्भ करने से पहले प्रत्येक अर्जी को कुछ समय के लिए इन्तजार करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि विशेष कर वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान प्राप्त हुई अर्जियां और उनमें मांगी गई अग्रिम की कुल राशि उक्त वर्षों के लिए दी गई बजट व्यवस्था से बहुत ज्यादा थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी अर्जियों को आगामी वर्ष में मंजूरी देने के लिए निलम्बित रखना पड़ा। अत: वर्ष 1976–77 की शुरूआत बकाया अर्जियों से हुई और यही हालत वर्ष 1977–78 के शुरू में हुई है। इसलिए इन्तजार का समय जो वर्ष 1976–77 में 3–4 महीने था, वर्ष 1977–78 में बढ़कर 7–8 महीने हो गया।

(घ) विलम्ब कम करने तथा अर्जियों का शीघ्र निपटाने करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है :—

(1) वर्ष 1976–77 की 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था को वर्ष कों अन्त में बढ़ा कर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया था तथा वर्ष 1977–78 में बजट व्यवस्था बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई। इससे आगामी वर्ष के लिए रखे जाने वाले बकाया यदि खत्म नहीं हो सकें तो कम तो हो ही जाएंगी।

(2) विभाग में कर्मचारी बढ़ाने और निपटान की क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(3) भूमि खरीदने के लिए मंजूरी देने हेतु विभागाध्यक्षों को शक्तियां दे दी गई हैं।

(4) पब्लिक हाउसिंग एजेन्सियों से फ्लैट खरीदने के लिए जिन मामलों में किसी निर्धारित समय तक भुगतान किया जाना है, उन मामलों में बिना-बारी के मंजूरी दी जा रही है। पब्लिक हाउसिंग एजेंसियों के बने बनाये फ्लैट खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी देने के लिए विभागाध्यक्षों को शक्तियां देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(5) हर रोज निपटाये गये मामलों पर सख्त निगरानी रखी जाती है।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में झुग्गियों का हटाया जाना

3901. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में सैक्टर 'डी' से आपात काल के दौरान बड़ी संख्या में झुग्गियां हटाई गई थीं ;

(ख) क्या खाली कराये गए क्षेत्र की सतह बरारबर कर दी गई है, उसकी सफाई कर दी गई है तथा उसे विकसित कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है क्योंकि यह क्षेत्र बहुत भद्दा लगता है और वर्षा में मच्छरों का घर बन जाता है ; और

(घ) क्या सरकार नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों को अनुदेश देगी कि वे इस ओर तुरन्त ध्यान दें और जिन अधिकारियों ने पहले इस क्षेत्र की सफाई के लिए कार्यवाही नहीं की उनके विरुद्ध कार्यवाही करें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य करण के तरीके में परिवर्तन

3902. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के काम करने के तरीके में परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलाप लाभोन्मुख न होकर सेवी-उन्मुख संस्था के रूप में हों और इसके सभी कार्यक्रमों में इसका प्रयत्न सामाजिक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। सरकार दिल्ली में भूमि से सम्बन्धित अनेक प्राधिकरणों को कम करने के लिए भी उत्सुक है तथा जब इसका प्रस्ताव बन जायेगा तो इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलाप भी आ सकते हैं ।

Lift Irrigation Scheme

3903. Dr. Ramji Singh: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government realise the necessity of a lift irrigation scheme in the Ganga river for irrigating the land along the Ganga from Sultanganj to Gharpainti in Bhagalpur district; and if so, the action to be taken by the Central Government in this direction;

(b) whether Government have conducted survey of irrigation facilities in the said area; and if so, the total amount of expenditure likely to be incurred on the lift irrigation scheme in this entire area and the expenditure to be shared by the Central Government, out of this;

(c) the area of land which can be irrigated under this scheme; and

(d) the additional quantity of foodgrains which can be produced as a result of this?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (d). Irrigation is a State subject and irrigation project are planned, investigated, formulated, implemented and operated by the State Governments under their developmental plans. Central assistance is given in the form of block loans and grants for the State as a whole and is not related to any sector of development or porject.

The Government of Bihar have recently sent report on Ajgaibinath pump Canal Lift Irrigation Scheme to irrigate the area along the Ganga near Sultanganj in Bhagalpur district at an estimated cost of Rs 8.03 crores. The report is under technical examination in the Central Water Commission. The project will benefit 24,800 hectares of area and is expected to produce an additional quantity of 20,850 metric tonnes of foodgrains.

ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आसाम में भूक्षरण

3904. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि गांवों में तथा चावल की खेती के अन्तर्गत आने वाली जमीन का एक बड़ा भाग ब्रह्म पुत्र नदी, जो आसाम के शिव सागर जिले में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को घेरती है, के पानी से कई वर्षों से कट रहा है ;

(ख) क्या सम्पूर्ण अहत गुरी मौजा को, जहां वैष्णव सम्प्रदाय की दो धार्मिक संस्थाएं हैं, नदी के पानी ने पूरी तरह से काट दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का आसाम सरकार के साथ मिलकर अथवा अकेले इस द्वीप, इसकी कृषि भूमि और संस्थाओं को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) प्राय: प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र की एक अथवा दूसरी पहुंच में, जिसमें माजुली नदी द्वीप शामिल है, तटों पर भू-कटा होता है ।

(ख) और (ग). असम सरकार ने सूचित किया है कि 1970 से अहटगुरी मौजे के बहुत बड़े क्षेत्र में भू-कटाव हो रहे हैं । इस मौजे में तट से लगभग 40 किलोमीटर से अधिक दूरी तक भू-कटाव बढ़ गया है जिसके कारण तीन धार्मिक संस्थानों, नामश: कमलाबाड़ी, ओनियति और वेनगेनाती को शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि ये सुरक्षा कार्य आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होंगे ।

दिल्ली में रहने वाले असम के लोगों को एक प्लाट का आवंटन

3905. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले असमी समुदाय ने, राजधानी में एक केन्द्र स्थापित करने के लए स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद का संरक्षण प्राप्त था, भूमि के एक प्लाट के लिए एक ज्ञापन दिया है जिसके माध्यम से असम के एक महान समाज सुधारक श्री शंकरदेव के प्रवचनों का प्रसार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का असम हाउस, नई दिल्ली के आस-पास एक एकड़ का प्लाट उसे आवंटित करने का विचार है जिससे असम केन्द्र बिना और विलम्ब के शुरू किया जा सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई सुविधाओं के अभाव में खड़ी फसलों को क्षति

3906. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी में आहु और पटसन की ग्रीष्मकालीन फसलें ब्रह्मपुत्र, बड़क तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन घाटियों में इन फसलों को अनुमानतः कितनी क्षति होती है ;

(ग) ब्रह्मपुत्र तथा बड़क नदियों की प्रमुख नहरों से यांत्रिक प्रक्रिया से सिचाई के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि इन नदियों मे पानी को शीघ्र निकाला जा सके ;

(घ) इन दोनों नदियों की नहरों को प्रत्येक सर्दी के मौसम में गहरा करने के लिए सरकार का विचार उच्च शक्ति वाले ड्रेजर स्टीमरों को काम में लाने का है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का है ताकि असम राज्य के इन गरीब किसानों की कीमती कृषि भूमि को इन दोनों नदियों में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ तथा उनके द्वार किये जाने वाले भू-कटाव से बचाने हेतु कोई स्थाई बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था की जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) असम में मानसून के मौसम में ब्रह्मपुत्र, बारक और इसकी सहायक नदियों से बाढ़ से किसी न किसी स्थान पर प्रति वर्ष फसलों को क्षति पहुंचती है । राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार असम में फसलों को प्रतिवर्ष बाढ़ से औसत रूप में 7.4 करोड़ रुपए की हानि होती है ।

(ग) और (घ) : सम्भवतः माननीय सदस्य, ब्रह्मपुत्र और बारक नदियों के मुख्य जलमार्गों को तलकर्षण द्वारा गहरा करने का सुझाव दे रहे हैं ताकि उन नदियों की जल-वहन क्षमता में वृद्धि हो जाए और उमड़ कर बाहर जाने वाले जल को कम किया जा सके या रोका जा सके। ऐसी प्रक्रिया ब्रह्मपुत्र और बारक जैसी बड़ी नदियों के लिए आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

(ङ) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरात आवास बोर्ड को वित्तीय सहायता

3907. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1975, 1976 और 1977 में निम्न आय वर्ग के लोगों, हरिजनों और गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रम के लिए गुजरात आवास बोर्ड और अहमदाबाद नगर निगम को वित्तीय सहायता और/अथवा अनुदान दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख). गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। 1 अप्रैल, 1969 से सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता जिसमें आवास शामिल है वित्त मंत्रालय द्वारा 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं है। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिये जिसमें आवास शामिल है उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार निधियां निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं। गुजरात सरकार ने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये (वे लोग जिनकी मासिक आय 1 रुपये से 600 रुपये तक है) आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिये गुजरात आवास बोर्ड को निम्नलिखित राशियां दी हैं :—

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1974-75 . .	83.60
1975-76 . . .	175.85
1976-77	452.34

उल्लिखित निम्न आर्य वर्ग के लिये गुजरात आवास बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों का 10 प्र०श० अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित है।

गुजरात सरकार ने अहमदाबाद नगर निगम को गन्दी बस्ती अधिवासियों के लिये गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राशियां दी हैं :—

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1974-75 . ..	51.84
1975-76 . .	30.54
1976-77	40.60

गुजरात सरकार द्वारा दी गई राशियों के अतिरिक्त, आवास और नगर विकास निगम ने 1975, 1976 और 1977 के दौरान निम्न आय वर्गों के लिये भवन निर्माण कार्यक्रमों के लिये गुजरात आवास बोर्ड और अहमदाबाद नगर निगम को निम्नलिखित ऋण स्वीकृत किये हैं :—

वर्ष	ऋण की राशि (लाख रुपयों में)	
	गुजरात आवास बोर्ड	अहमदाबाद नगर निगम
1975 .	117.05	शून्य
1976 .	152.22	82.10
1977 . .	166.87	11.27

गुजरात में खुले टैन्टों में केन्द्रीय विद्यालय

3908. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उसमें से एक अथवा अधिक विद्यालय खुले टैन्टों में चल रहे हैं और उनको अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख). जी, हां। गुजरात में अहमदाबाद, गांधी नगर, बड़ौदा, धरंगधारा, ए० एफ० एस० जामनगर, आई० एन०एस० बलसुरा, राजकोट, सूरत और वल्लभविद्यानगर में नौ केन्द्रीय विद्यालय हैं।

(ग) जी, हां। केवल अहमदाबाद तथा धरंगधारा स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षाएं I से VIII तथा कक्षाएं I से II क्रमशः अस्थाई उपाय के रूप में टैंटों में चलाई जा रही हैं।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निरन्तर प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, गुजरात सरकार ने हाल ही में अहमदाबाद स्थित केन्द्रीय विद्यालय के लिए छः एकड़ भूमि तथा एक छात्रावास भवन आवंटित किया है। जब गुजरात सरकार द्वारा भवन का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा तो कक्षाओं को वहां स्थानान्तरित किया जायेगा।

धरंगधारा स्थित केन्द्रीय विद्यालय के सम्बन्ध में नये स्कूल भवन के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा भवन के जून, 1978 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

मकतबों और मदरसों को सुविधायें

3909. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकतबों और मदरसों को 1947 के बाद से सरकार को वास्तव में कोई सुविधा तथा प्रोत्साहन नहीं मिला है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं के विकास को गम्भीरता से प्रोत्साहन देने तथा राष्ट्रीय शैक्षिक जीवन में इनको उचित स्थान दिलाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या इस बारे में सरकार की कोई योजनायें हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) 16 अगस्त, 1947 को देश में राज्यवार कितने मकतब तथा मदरसे थे और 24 मार्च, 1977 को उनकी संख्या कितनी थी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) मकतब और मदरसे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं और हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह सूचना एकत्र करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह इसके लाभ के तदनुरूप न होगा।

दिल्ली में संस्थाओं को दिये गये अनुदान

3910. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें 50,000 अथवा इस से अधिक राशि के वार्षिक अनुदान दिये गये थे तथा इन संस्थानों के स्वामियों/प्रवन्धकों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकारी अनुदान व्यय करने के मामले में सरकार इन संस्थानों पर क्या नियंत्रण रखती है; और

(ग) क्या ऐसी निधियों के दुरुपयोग के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय केवल गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों से है तथा सूचना संलग्न सूची में दी गई है जो वर्ष 1976-77 से सम्बन्धित है। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल०टी०-744/77]

(ख) स्वैच्छिक संस्थानों को सहायक अनुदान का नियमन दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 (नियम 60 से 92 तक) द्वारा किया जाता है। सहायक अनुदान केवल खर्चों की उन्हीं मदों के लिए देय है जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित हों। दो लाख रुपये तक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की लेखा परीक्षा आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी द्वारा की जाती है। दो लाख रुपये से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की लेखा परीक्षा महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा परीक्षित की जाती है।

(ग) दिल्ली प्रशासन को सहायक अनुदान के दुरुपयोग के विषय में दो शिकायतें अर्थात् एक नेहरू स्मारक मिडिल स्कूल तथा अन्य जन कल्याण उच्चतर माध्यमिक स्कूल, भजनपुरा, दिल्ली के विषय में प्राप्त हुई है। ये संस्थाएं प्रशासन ने अपने अधिकार में ले ली हैं। ये संस्थाएं प्रशासन द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 20 के अन्तर्गत अधिकार में ली गई है।

Pakistan Sharing Water from Indian Riviers

3911. Shri Hargovind Verma: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Pakistan is being given the water of Indian rivers namely Sutlej, Bias, Ravi, Chenab etc. even after the payment of the amount of Pakistan's share; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) (a) and (b) Under the Indus Waters Treaty, 1960 the entire flow of the three Eastern Rivers only, *viz.* the Ravi, the Beas and the Sutlej became available for exclusive use by India at the end of transition period in 1970. India's contribution of Rs. 98.36 crores, through the World Bank, was, however, towards the cost of replacement works, in Pakistan, for such irrigation systems which were dependent on the Eastem Rivers at the time of partition.

Of the 33 MAF of waters available in a mean year from the there Eastern Rivers, with the help of Bhakra Dam on the River Sutlej and other completed works on these rivers, India had been using, on an average, 24 MAF of water. The completion of Beas Dam at Pong in 1974 and the Beas-Sutlej Link this year would enable India to harness almost 32 MAF of these waters. The remaining about 1 MAF of water would be harnessed after a storage is created on river Ravi, and till then this might flow down to Pakistan most of it during the monsoon months. It has not been possible to take up construction of storage on Ravi so far due to lack of agreement among the concerned States in respect of certain inter-State aspects. Efforts are, however, afoot for early resolution of the matter.

Scheme or Equal Availablity and Equal use of Water Resources

3912. Shri Hargovind Verma: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government are formulating a national scheme to ensure equal availability and equal use of water resources; and

(b) if so, the time by which this scheme is likely to be implemented and the expenditure to be incurred thereon?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Owing to uneven distribution of rainfall in the country both in space and time, there is need for creating storages and planing the use of utilisable waters in the best possible manner. Accordingly, an integrated system for water

development is considered necessary. However, before investigations for such a long-term scheme are taken up, it is essential to first study, in depth, the position of surpluses and shortages in various regions, basins, sub-basins and determine possibilities for inter-basin and inter-regional transfer of waters taking into consideration the minimum needs of drought prone areas, Such a study is on hand by Central Water Commission.

(b) It is not possible to arrive at any precise cost estimates or to indicate the time for implementation until the schemes are prepared in detail.

प्रधान मंत्री के स्थायी सरकारी आवास का निर्माण

3913. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री राघवजी :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मन्त्री के लिए स्थायी सरकारी आवास का निर्माण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) तीनमूर्ति हाउस को प्रधान मन्त्री के निवास स्थान में बदलने में कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुर्नवास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) प्रधान मंत्री के लिए स्थायी निवास का निर्माण करने के लिए सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था परन्तु कोई निश्चित योजना तैयार करने से पहले यह निर्णय किया गया कि इस प्रस्ताव को स्थगित किया जाये। अगस्त, 1976 में पहले तो यह निर्णय किया गया कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाये परन्तु इसे पुनः स्थगित कर दिया गया।

(ख) इसका अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया हैं ।

प्रिपैरेटरी कक्षाओं में प्रवेश

3914. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मन्त्रालय ने देश में समस्त विश्वविद्यालयों को इस आशय के निदेश जारी किये हैं कि सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली की दसवीं कक्षा (नई पद्धति) की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रिपैरेटरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जबकि पंजाब विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने विश्वविद्यालय के कालेजों को ऐसे निदेश जारी किये हैं, जो कि 24 जून, 1977 के 'ट्रिब्यून' में समाचार प्रकाशित हुआ है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई पद्धति के अन्तर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा को मान्यता देने के प्रश्न को विभिन्न बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों के साथ पहले से ही उठाया है ताकि जो विद्यार्थी इस परीक्षा को पास करे वे सम्बन्धित विश्वविद्यालय बोर्ड के कक्षा XI अथवा इसके समकक्ष कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सके। पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्डों ने पारस्परिक आधार पर केन्द्रीय बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा को पहले ही मान्यता दे दी है तथा इस प्रकार जिन विद्यार्थियों ने यह परीक्षा पास कर ली है वे पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व विश्वविद्यालय कक्षाओं में प्रवेश के पात्र है।

Representation from Barrack Inhabitants of Kingsway Camp, Delhi.

3915. **Shri Kanwar Lal Gupta** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the barrack inhabitant of Kingsway Camp, Delhi in regard to their rehabilitation in the last four months;

(b) if so, the contents thereof and the action taken thereon;

(c) whether this problem of the residents of Hudson Line and Outram Lines, which are part of Kingsway Camp have been pending with Government for many years; and

(d) if so, since when and the time by which Government are likely to take a final decision in this regard?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the petition dated 19th February, 1977 addressed by Shri Krishan Kumar, General Secretary Barrack No 26, Hudson Lines, Shri Guru Tegh Bahadur Nagar, Delhi to the former Prime Minister is attached (Placed in the Library, *See* No LT—745/77) The Delhi Development Authority was asked to look into the matter.

(c) and (d). Yes, Sir. A decision in this matter, which has been pending for about 10 years, would be taken shortly.

अमरावती नदी के बारे में बाढ़ नियंत्रण के लिये उपाय

3916. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयम्बतूर जिले में अमरावती नदी में बाढ़ नियन्त्रण के उपायों की अत्यधिक आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) क्या कल्लापुरम राजू, कुमार्रालगम राजा, सरकार कन्नाडिपुत्तुर और भडाथुकुलम राजा जैसे 'वेकालो' पर कंक्रीट के बांध बनाने से बाढ़ के प्रकोप में कमी होने में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि हाल के वर्षों में कोयम्बटूर जिले में अमरावती नदी में बाढ़ नियंत्रण उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। वास्तव में इस बेसिन में पानी का अभाव बताया जाता है। यह भी सूचित किया गया है कि इस नदी द्वारा पोषित कल्लापुरम, कुमारलिंगम, कनाडीपुत्तूर तथा मदाथुकुलम चैंवलें बाढ़ों के प्रकोप से प्रभावित नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Acreage of Land under Cultivation and Irrigation in Bihar

3917. **Shri Birendra Prased:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the total acreage of land under cultivation in Bihar; the acreage out of it under irrigation and the various means of irrigation?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): The latest available information on net area sown, net irrigated area and area irrigated source-wise is given below:—

(Thousand hectares)

Item	1974-75
1. Net area sown	8,344
2. Net irrigated area	2,523
3. Source-wise break-up fo net irrigated area	
(a) Canal	887
(b) tanks	106
(c) tubwells	703
(d) other wells	155
(e) other sources	672

CUTTING OF TREES FOR FUEL

3918. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the survey conducted by Coal India Ltd. and National Council of Applied Economic Research that 10 crore trees are being cut for use as fuel daily; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) and (b) The requisite informations is being collected from the concerned organisations and will be laid on the table of the Sabha in due course.

कृषि विश्वविद्यालय के लिए कृषि भूमि की योजना

3919. **श्री** एस० डी० **सोमसुन्दरम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय के साथ पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध कराने की योजना की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) योजना को कितने राज्यों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना सभी कृषि विश्वविद्यालयों में लागू की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्वविद्यालय की वित्तीय कमी को पूरा करने हेतु प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय के साथ कृषि भूमि को जोड़ने की कोई योजना नहीं है । जहां तक कृषि विश्वविद्यालय विकास प्रायोजना का सम्बन्ध है, उसके लिए पर्याप्त शिक्षण भूमि और अनुसन्धान भूमि की आवश्यकता है । प्रायः अनुसन्धान फार्मों का एक भाग नाभिकीय बीज उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है । केवल निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में व्यापारिक खेती के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत क्षेत्र हस्तान्तरित किये गये हैं :

(i) गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय : पंतनगर, लगभग 16,000 एकड़

(ii) महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुड़ी (जिला अहमदनगर) (एम० एस०) लगभग 8,000 एकड़

(iii) पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय, कृष्णा नगर, अकोला (एम० एस०) : लगभग 8,000 एकड़

उत्पादन स्तर व बाजार के मूल्यों के आधार पर फार्म से प्राप्त होने वाले लाभों में काफी घट-बढ़ रही है । गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अनुभवों से यह पता चलता है कि एक कृषि विश्वविद्यालय को दिए गए फार्म से होने वाली आय से वह अपने आवर्ती खर्चे की पूर्ति नहीं कर सकता । प्रति वर्ष कमी की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा ही पूरी करनी पड़ेगी ।

(ख) जैसा कि भाग (क) में बताया गया है कृषि विश्वविद्यालय फार्म कार्यान्वयन की कोई औपचारिक योजना नहीं है। फिर भी उपरोक्त तीनों कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उनको दिए गए व्यापारिक फार्मों का सन्तोषप्रद ढंग से प्रबन्ध किया गया है । महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय फार्म अभी विकासशील स्थिति में हैं ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद सभी कृषि विश्वविद्यालयों को "पढ़ाई के साथ कमाई" परियोजना तथा नाभिकीय बीज उत्पादन हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करती रही है ।

प्रमुख फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के अनुमान समय पर सूचित करने की योजना

3920. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के अनुमान समय पर सूचित करने की योजना का का ब्योरा क्या है ;

(ख) योजना की विस्तार सीमा क्या है ; और

(ग) इस योजना को कुछ क्षेत्रों में क्रियान्वित न किये जाने के, यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) इस योजना का उद्देश्य प्रमुख फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के सामायिक और विश्वस्त अनुमान उपलब्ध करना है। योजना के अन्तर्गत एच्छिक रूप से चुने गए 20 प्रतिशत नमूने वाले गांवों में विभिन्न फसलों की बुवाई के समय के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर फसल के क्षेत्र की परिगणना की जाती है। इस योजना में उच्च स्तरीय विभागीय तथा पूर्णकालिक सांख्यिकीय कर्मचारियों द्वारा देख-रेख के बारे में भी ज़ोर दिया जाता है। यह योजना इस समय आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के 13 राज्यों में चल रही है : इन राज्यों में ग्राम स्तर तक के कृषि आंकड़े एकत्रित करने हेतु नियमित सूचना देने वाली एजेंसियां हैं। चालू वर्ष के दौरान यह योजना हिमाचल प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव है। केरल तथा उड़ीसा में, जहां नियमित सूचना देने वाली एजेंसियां नहीं हैं, कृषि आंकड़े एकत्रित करने के लिए आवश्यक एजेंसी स्थापित करके एक संशोधित योजना क्रियान्वित की गई है। पश्चिम बंगाल में भी, जहां सूचना देने वाली एजेंसी नहीं है, एक ऐसा ही कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस समय, इस योजना का विस्तार करके इसके अन्तर्गत मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय जैसे छोटे राज्यों को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इनके पास अपेक्षित फील्ड एजेंसियां नहीं हैं :

क्षारीय और अम्लीय भूमि के कृष्यकरण पर व्यय

3921. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षारीय और अम्लीय भूमि की कृष्यकरण संबंधी योजना के प्रारम्भ होने से अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और राज्य-वार कितना व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) उक्त योजना के अधीन अब तक राज्य-वार कितने हेक्टेयर जमीन आ चुकी है ; और

(ग) खर्च की गई धनराशि और योजना के अधीन लाये गये क्षेत्र के बारे में तमिलनाडु में इस योजना के बारे में क्या स्थिति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्षारीय और अम्लीय मृदा के सुधार के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक मार्गदर्शी योजना **शुरू की गयी है**। विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 1977 तक किया गया **खर्च और** वर्ष 1977–78 व 1978–79 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित खर्च की नीचे दिये गए विवरण में

दिखाया गया है :—

राज्य	31 मार्च, 1977 तक किया गया खर्च (लाख रुपयों में)	किया जाने वाला प्रस्तावित खर्च (लाख रुपयों में) 1977–78 के दौरान	1978–79 के दौरान
1	2	3	4
(i) क्षारीय मृदा के सुधार की योजना :			
1. उत्तर प्रदेश .	43.12	81.82	81.89
2. पंजाब .	21.00	80.99	88.05
3. हरियाणा	40.00	80.99	96.05
(ii) अम्लीय मृदा के सुधार की योजना :			
1. उड़ीसा .	2.50	11.34	11.37
2. केरल	5.77	19.24	19.24
3. कर्नाटक .	1.57	12.50	14.84
4. बिहार .	कुछ नहीं†	17.10	26.90
5. पश्चिम बंगाल .	कुछ नहीं†	13.10	अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
6. असम . .	कुछ नहीं†	24.50	24.50
7. सिक्किम .	कुछ नहीं†	0.35	अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

† योजना के चालू वर्ष में प्रारम्भ होने की आशा है। खर्च के आकड़े किसानों को दी गई सुधारसामग्री को क्रय करने के लिये तथा पाईपलाइन में मौजूद सामग्री के लिये व्यय किये गए धन से संबंधित है।

(ख) जिन 6 राज्यों में यह कार्यक्रम अब तक क्रियान्वित किया गया है। उनमें 30–6–77

तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गए क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :--

राज्य	30-6-77 तक शामिल किया गया
(i) **क्षारीय मृदा के अन्तर्गत**	क्षेत्र (हैक्टार में)
1. उत्तर प्रदेश . ज	5,000
2. पंजाब .	7,200
3. हरियाणा . .	8,500
(ii) **अम्लीय मृदा के अन्तर्गत**	
1. कर्नाटक	575
2. केरल .	16,150
3. उड़ीसा	19,259

(ग) यह योजना अभी तक तमिलनाडु में लागू नहीं की गयी है । राज्य सरकार से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उसके सम्बन्ध में और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिये उसे राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है । सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

वर्ष 1978-79 तक खाद्य लक्ष्य

3922. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास के वर्तमान प्रयास वर्ष 1978-79 तक 14 करोड़ टन की लक्ष्य प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो लक्ष्य के निकट तर्क संगत रूप से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निर्धारित नीति में क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 1400 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। तथापि, बाद के क्रियाकलापों से पता चला कि खाद्यान्न उत्पादन का अत्यधिक वास्तविक लक्ष्य 1250 लाख मीटरी टन होगा। यह लक्ष्य पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया । यह लक्ष्य दिए गए वर्ष में औसत मौसम परिस्थितियों से संबंधित है । फिर भी मौसम के प्रभाव से विषमताओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्यों की योजनाओं में थोड़ी सी अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है जिससे यदि देश के कुछ भाग पर प्रभाव पड़े भी तो कुल उत्पादन में वस्तुतः कमी न आने पाए । यदि इन परिव्ययों का भली भांति उपयोग किया जाता है तथा सभी राज्यों में मौसम की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो कुल उत्पादन वास्तव में बहुत अधिक होगा तथा यह लगभग 1329.0 लाख मीटरी टन तक हो सकता ह ।

खाद्यान्नों के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोए गए सफल क्षेत्र का विस्तार करके सिंचाई सुविधायें को बढ़ाकर तथा

फसल की पैदावार में सुधार करके प्राप्त करने का विचार है। फसल की पैदावार में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय करने का विचार है। ये निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रमाणित बीजों के वर्धन और वितरण के कार्यक्रम का विस्तार करना, (2) रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना और उर्वरक के उपयोग की क्षमता में सुधार करना, (3) जल प्रबंध, (4) संस्थागत ऋण का विस्तार, (5) कृषि विस्तार और प्रशासन को सुदृढ़ करना और (6) समस्यामूलक अनुसंधान कार्य को तेज़ करना।

Silting and Water Logging in Kosi Command Area

3923. Shri L. L. Kapur: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the fertile land coming under Kosi Command in Purnea and Saharsa districts is being rendered unfertile because of silting and water logging in Kosi canal as a result of which panic and frustration is prevalent among the farmers; and

(b) the alternate arrangements proposed to be made in place of the present unsuccessful ejector to check the sand coming from Nepal and the time by which the arrangements are likely to be made? ....

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) and (b) Some difficulties are being exjerienced in the Kosi project area on account of heavy silt content of the Kosi waters and water logging in the area due to drainage congestion. Efforts are being made to remove these difficulties. The Government of Bihar have taken several measures like remodelling of guide bund of the barrage, regulation of operation of barrage and canal, pitching of side slopes of the canal with boulders, to resolve the siltation problem in the Eastern Kosi Canal System on the basis of expert advice. As a result of improvements undertaken, the silt deposit in the canal has reduced.

Some of the schemes proposed by the State Government for relieving drainage congestion have already been executed. Agency for execution of a comprehensive Ayacut Development programme has been created and various programmes of constructing field channels, land shaping etc. are being evolved and implemented.

The State Government have informed that they have not received any report that the lands have been rendered infertile and unfit for cultivation on this account. On the other hand there is considerable demand for irrigation water in Purnea and Saharsa districts in the Kharif season.

Acquiiring of land for the implementation of Narmada Scheme

†3924. **Shri Dharamsinghbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Gujarat Government have sent any proposal to the Central Government in regard to taking action for acquiring land as preparatory arangements for the implementation of the Narmada scheme and if so, when and the contents thereof;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) the names of the States whose land would be acquired for the purpose and the land to be acquired in each State and the details thereof?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए अर्हता और प्राध्यापकों, रीडरों और प्रोफेसरों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रेड

3925. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगर कोई व्यक्ति केवल (क) किसी मान्यता प्राप्त ब्रिटिश विश्वविद्यालय का स्नातक है और (ख) केवल भारतीय विश्वविद्यालय से डिग्री धारी है; तो (i) स्नातकोत्तर श्रेणी और (ii) स्नातक पूर्व श्रेणियों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षित अन्य न्यूनतम अर्हता क्या है; और

(ख) किसी प्राध्यापक, रीडर और प्रोफेसर के लिए (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्केल के अनुसार) वेतनमानों, भत्तों और अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शिक्षकों के वेतन-मानों के संशोधन के सन्दर्भ में, विश्वविद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए सिफारिश की गई। न्यूनतम योग्यताएं निम्नलिखित हैं :—

(क) डाक्टर की डिग्री अथवा समान उच्च स्तर का अनुसन्धान कार्य, और

(ख) प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी (सात सूत्रीय स्केल में बी) में सम्बद्ध विषय में मास्टर डिग्री सहित लगातार अच्छा शैक्षिक रिकार्ड अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष डिग्री।

अर्न्तअनुशासन कार्यक्रमों को विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त (क) और (ख) में दी गई डिग्रियां सम्बद्ध विषयों में हो सकती हैं। बशर्ते कि चयन समिति का यह विचार हो कि उम्मीदवार का अनुसन्धान कार्य उसके शोध कार्य अथवा उसकी प्रकाशित कृति से बहुत ऊंचे दर्जे का स्पष्ट होता है, तो यह उपरोक्त (ख) में निर्धारित किसी भी योग्यता में छूट दे सकती है।

आगे यह भी है कि यदि डाक्टर की उपाधि अथवा समतुल्य अनुसन्धान कार्य वाला कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है या उसे उपयुक्त नहीं समझा गया है तो निरन्तर अच्छे शैक्षिक रिकार्ड वाले व्यक्ति को (एम० फिल० अथवा समतुल्य डिग्री अथवा उत्कृष्ट अनुसन्धान कार्य को महत्व देते हुए) नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उसने कम से कम दो वर्ष तक अनुसन्धान कार्य किया हो अथवा उसके पास अनुसन्धान प्रयोगशाला/संगठन में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव हो। यह इस शर्त पर होगा कि उसे नियुक्ति के 5 वर्ष के अन्दर डाक्टर की डिग्री प्राप्त करनी होगी अथवा समतुल्य ऊँचे स्तर

के अनुसन्धान कार्य का प्रमाण देना होगा, जिसके न करने पर वह भविष्य में वेतन वृद्धि उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा न करे।

स्पष्टीकरण :

लेक्चरर के पदों की भर्ती के लिए पात्र बनने हेतु उम्मीदवार को मास्टर स्तर पर प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी (सात सूत्रीय स्केल में बी) का होना आवश्यक है तथा निरन्तर अच्छा रिकार्ड निर्धारित करने के लिए मास्टर परीक्षा से पूर्व की दो परीक्षाओं में 50–55 प्रतिशत का औसत अथवा (सात सूत्रीय स्केल में बी) की आशा की जा सकती है।

विधि लेक्चरर के पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम योगता एल० एल० एम० है। अन्य संकायों में लेक्चरर के पदों और रीडरों तथा प्रोफेसरों के पदों के लिए न्यूनतम योग्यताओं से सम्बन्धित मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उपरोक्त न्यूनतम योग्यताओं की सिफारिश करने में उत्तर स्नातक अध्यापन तथा अवर स्नातक शिक्षण के बीच अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा गया है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित वेतनमान स्वीकार कर लिए हैं और राज्य सरकारों से उन्हें अपनाने के लिए सिफारिश की है :

1. लेक्चरर ... 700—40—1100—50—1600/- रुपए
2. रीडर ... 1200—50—1300—60—1900/- रुपए
3. प्रोफेसर ... 1500—60—1800—100—2000—1252—2500/- रुपए

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत भत्तों की दरें वही हैं जो कि उन स्थानों पर समान वेतनमान में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, जहां ये विश्वविद्यालय स्थित हैं राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए भत्तों की दरें तथा अन्य लाभ राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और ये हर राज्य में भिन्न भिन्न होते हैं।

कालेज विश्वविद्यालय के प्राध्यपकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता

3926. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० फिल० डिग्री वाले व्यक्ति सनातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य समझा जाता है अथवा इसके साथ कोई और शर्त लगी हुई है;

(ख) क्या वे इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा और परीक्षा के स्तर में एक विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय में काफी अन्तर हैं; और

(ग) अगर भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार कालेज और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की भर्ती के मामले में न्यूनतम अर्हता और उपलब्धियों (अंक आदि) के

बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक ही नियम लागू किए जाने को किस प्रकार उचित समझती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) पर्याप्त अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ एम० फिल० डिग्री वाला व्यक्ति कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाने के लिए योग्य समझा जाता है और जहां तक विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, यह इस शर्त पर निर्भर करेगा कि अपनी नियुक्ति के पांच वर्षों के अन्दर वह डाक्टर की डिग्री प्राप्त करे अथवा समकक्ष उच्च स्तर के अनुसधान्न कार्य का प्रमाण दे, ऐसा न करने पर वह भविष्य में वेतनवद्धियां अर्जित नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह इस शर्त को पूरा नहीं करेगा ।

(ख) जी हां, लेकिन विभिन्नता की मात्रा अलग-अलग विचार का मामला है ।

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता जिर्धारित करने से यह आशा की जाती है कि कम से कम न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा स्तरों में सुधार होगा ।

लेवी चीनी का मूल्य

3927. **श्री म० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति क्विंटल लेवी चीनी का मूल्य कितना है तथा 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में देश के सभी जोनों के लिए खुले बाजार में बिक्री हेतु प्रति क्विंटल चीनी पर उत्पादन शुल्क किन दरां पर लगाया गया ?

कृषि और सिंचाहैं मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सभी जोनों के लिए चीनी वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान समय-समय पर अधिसूचित किए गए लेवी चीनी के निकासों मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 746/77]

जहां तक मुक्त बिक्री की चीनी का संबंध है, उडपाद न शुल्क टेरिफ लागत पर लगाया जाता है, जोकि देश भर में समान होता है लेकिन समय-समय पर भिन्न-भिन्न होता है। एक विवरण-II संलग्न है जिसमें चीनी वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान मुक्त बिक्री की टेरिफ लागत का ब्यौरा दिया गया है । (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 746/77)

सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षत्रों के लिये किसानों को ऋण

3928. **श्री समर गुह**: क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सूखा अथवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के उन किसानों को पुनर्वास हेतु केन्द्रीय ऋण दिये गये हैं जो ऐसी प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त हुए हैं;

(ख) क्या अनेक क्षेत्रों में निर्धन किसान कई वर्षों से ऐसा केन्द्रीय ऋण नहीं चुका सके हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के बकाया ऋण को माफ करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीज सिंह बरनाला) : (क) से (घ) . केन्द्रीय सरकार केवल राज्य सरकारों को ही ऋण मंजूर करती है। किसानों को कोई केन्द्रीय ऋण सीधा नहीं दिया जाता है। इसे दृष्टि में रखते हुए किसानों को दिये गये ऋणों को केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ करने का प्रश्न ही नहीं होता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 728/77)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं तमिलनाडु, कृषि उद्योग निगम, मद्रास के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा एक वक्तव्य

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उबधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 425(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये संख्या एल० टी० 729/77)

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 730/77)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपधारा 6 के निदेश 2 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप नियमों और निदेशों के अनुसार सदन की कार्यवाही नहीं चला रहे हैं। आप नियम समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाते ताकि आप विधान का अधिक्रमण कर सकें?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले भी आपने यही बात कही थी और मैंने कह था कि आप खुद नियमों को तोड़ते हैं। यह स्पष्ट लिखा है कि यदि अध्यक्ष चाहें तो वह कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धी समीक्षा समिति का प्रतिवेदन (जनवरी 1977) और उसका हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धी समीक्षा समिति के प्रतिवेदन (जनवरी 1977) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–731/77)

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re. Question of Privilege

उपाध्यक्ष महोदय : 16 जुलाई, 1977 को श्री गौरी शंकर राय ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहा था कि उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जिसमें गृह मंत्री द्वारा 13 और 14 जुलाई, 1977 को लोक सभा में दिये गये एक वक्तव्य के सम्बन्ध में उन पर कथित आक्षेप किये हैं और उनके निहित उद्देश्य होने का आरोप लगाया गया है।

मैं लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 277 के अन्तर्गत इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप रहा हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवुतुपुजा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विशेषाधिकार के प्रश्न को निबटाने के लिए लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट व्यवस्था है। हमारे यहां के नियम में और हाउस आफ कामन्स के नियमों में थोड़ा अन्तर है। हाउस आफ कामन्स में पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है और कोई भी सदस्य सभा में मामला उठा सकता है और अध्यक्ष अपना विनिर्णय दे सकते हैं। पर यहां नियम 222 के अधीन यह अनिवार्य है कि पहले आप से अनुमति ली जाये और तब वह मामला कार्यावली में शामिल किया जाता है और उस बारे में क्या किया जाये, यह बाद में निश्चित किया जाता है।

एक बार मामला उठाये जाने पर वह सभा के अधिकार में आ जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। नि:सन्देह मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का आपको अधिकार है पर ऐसा मामले की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

श्री राय ने नियम 222 के अधीन यह मामला नहीं उठाया क्योंकि उन्हें पूर्व अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने मामला उठा दिया और आपने कहा कि मैं आज विनिर्णय दूंगा।

सभा को ही यह निर्णय करना है कि विशेषाधिकार भंग हुआ है या नहीं। सभा ही यह निश्चय करती है कि क्या मामले में और जांच आवश्यक है।

यहां मामला उठाने से पहले नियम 222 के अन्तर्गत अनुमति नहीं ली गई। फिर भी आपने उसके लिए अनुमति दे दी और विनिर्णय दे दिया है।

यह बड़ा गम्भीर मामला है। संसद् सदस्यों को संरक्षण मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा। लेकिन मार्गदर्शन के लिए कह रहा हूं। प्रश्न यह है कि क्या प्रभावित व्यक्ति न्यायालय में जा सकते हैं यदि नहीं जा सकते तो क्या उन्हें आलोचना का अधिकार है। यदि आलोचना की जाती है तो क्या उससे विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप उन्हें बोलने की अनुमति दे रहे हैं। मामला विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह मैं स्वीकारता हूं कि जनता के विश्वास पर आघात करने वाले किसी आक्षेप पर संसद् को हस्तक्षेप करने का अधिकार है. . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर वाद-विवाद की जरूरत नहीं। मैं आपको तथ्य बताता हूं। श्री गौरी शंकर राय सभा आरम्भ होने से 5 या 10 मिनट पूर्व मेरे चेम्बर में आये। वह यह मामला सभा में उठाना चाहते थे। मैंने उन्हें अनुमति दे दी। मैंने कहा मैं सभी पत्र देखने के बाद निर्णय दूंगा कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये या नहीं। मैंने विनिर्णय दे दिया है

(व्यवधान)

श्री वयालार रवि : नियम 222 के अन्तर्गत मैं श्री चरण सिंह के विरुद्ध इस बात के लिए विशेषाधिकार भंग करने का मामला उठाने की सूचना देता हूं कि उन्होंने सभा में वक्तव्य दिया है कि विपक्षी दलों को जेलों में गोली मारने की योजना थी।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए श्री चरण सिंह ने कहा था कि आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेलों में गोली मार देने की योजना थी। यह बात समाचार पत्रों में छपी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कहना चाह रहे हैं मैंने उसकी सूचना प्राप्त कर ली है।

नियम 377 के अधीन मामला

Matter under Rule 377

थाना संयंत्र में फाईजर लिमिटेड द्वारा कथित तालाबंदी

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम 377 के अधीन इस मामले की सूचना दी है कि फाईजर लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय निगम है और प्रतिवर्ष अरबों रुपया कमा रहा है। इसने 18 जुलाई, 1977 से अपने थाना संयंत्र में तालाबंदी करने का नोटिस दिया है जिससे एक हजार से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। यह कम्पनी जीवनदायी दवाइयां और विटामिन आदि बनाती है। मंत्री जी हमें आश्वासन दें और सभा में वक्तव्य दें कि राष्ट्र के जीवन तथा कर्मचारियों के जीवन में इस प्रकार खलल नहीं डालने दिया जायेगा।

श्री वयालर रवि : मैं अपनी सूचना वापस लेता हूं।

वित्त (संख्या 2) विधेयक—जारी

Finance (No. 2) Bill—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में वित्त (संख्या 2) विधेयक पर चर्चा पुनः आरम्भ की जायेगी।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : मैं कह रहा था कि गरीबी पूरी तरह दूर नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी जरूरत तो बेरोज़गारी दूर करने की है। पर केवल कुछ कारखाने खोल कर, खाने खोद कर या उद्योग स्थापित करके बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती। कृषि में भारी संख्या में लगे लोगों से कुछ को उद्योगों को लगया जाये। रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे केवल नगरों और कस्बों तक ही सीमित हैं।

गावों के लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कहां 50% लोग बेरोजगार हैं अथवा उन्हें अपूर्ण रोजगार प्राप्त है। जब तक उन्हें पूर्ण रोजगार नहीं दिया जाता तब तक यह समस्या

हल नहीं हो सकती। इसलिए कृषि को एक उद्योग मान कर चलना चाहिये। उसमें पूर्ण सुधार हो और उसका विकास हो।

वित्त विधेयक में कृषि पर आयकर लगाने का प्रावधान है। ट्रेक्टरों पर भी उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इस आयकर को अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। साथ ही लगान भी समाप्त किया जाये।

जहां तक सिंचाई के प्रबन्ध का प्रश्न है हमें सभी नदियों और नहरों के जल का उपयोग करना चाहिये। सात वर्ष पूर्व एक योजना प्रकाशित की गई थी जिसके अनुसार ब्रहमपुत्र का जल तीस्ता नदी की ओर मोड़ा जाना था। तीस्ता नदी से यह जल गंगा की ओर तथा गंगा से यह जल आठ अथवा दस चरणों में दक्षिण भारतीय पठार की ओर वहां से इस पानी को दक्षिण भारत की नदियों तथा उड़ीसा की नदियों में मिल जाना था। ऐसा करने में 20–25 वर्षों के भीतर सारे देश में सिंचाई उपलब्ध हो सकतीं हैं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जायेगा।

हमें आयातित अनाज पर निर्भर नही रहना पड़ेगा बल्कि हम खाद्यान्नों का निर्यात कर विदेशी मुदा कमा सकेंगे। यह योजना गावों में 50 प्रतिशत बेरोज़गारी दूर कर देगी और शेष 20 प्रतिशत बेरोज़गारी छोटे तथा कुटीर उद्योगों से समाप्त की जा सकती है।

***श्री के० कुन्दबू** (ओट्टापलम) : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जनता पार्टी के सत्ता में आने से लाखों हरिजनों और आदिवासियों की आशायें धूलिधूसरित हो गई है। बिहार में बेलची के स्थान पर 11 हरिजनों को जान से मार दिया गया। अन्य कई घटनायें भी हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की कहानी कहती हैं।

बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में हरिजनों की जमीनें छीन कर उन्हें बेघरबार किया जा रहा है। अनेक गावों में हरिजनों पर अमानुषिक अत्याचार किए जा रहे हैं। उनका जन- धन सुरक्षित नहीं है राजस्थान में भील स्त्रियों की इच्ज्जत असुरक्षित है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में हरिजन ज्वालामुखी के समान है। यदि यह ज्वाला मुखी फट गया तो न केवल राज्य सरकारें समाप्त हो जाएगीं बल्कि हरिजनों पर अत्याचार करने वाले भी जल कर राख हो जाऐंगें।

यह शर्म की बात है कि 30 वर्षो की आजादी के बाद भी अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई।

मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांन्तर

Summarised translation based on Engilsh version of the Speech delivered in Malyalam

यह हर्ष की बात है कि हस्त करघा और विद्युत चालित करघा क्षेत्रों को रियायतें देने का सराहनीय निर्णय किया गया है। लेकिन खेद की बात है कि सरकार ने लाखों बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को रियायतें नहीं दी हैं। यदि बीड़ी पर से उपकर समाप्त कर दिया जाए तो इससे सरकार को बहुत कम हानि होगी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

कीटनाशक दवाओं और उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने से कर्नाटक में फलहात और कुट्टनाद्ध के किसानों को बहुत कठिनाई हो रही है। उत्पादन लागत बढ़ने से वहां धान उगाना असम्भव हो गया है। किसानों को केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकारों की इतनी क्षमता नहीं है।

केरल में शिक्षित बेरोजगारों के समस्या का जिक्र भी किया गया है। यदि केन्द्र राज्य में एक बड़ा उद्योग खोले तो इससे समस्या बहुत सीमा तक हल हो सकती है। अतः सरकार को पालघाट जिले में कोई उद्योग खोलना चाहिए।

देश के अनेक भागों में हरिजन अधिकारियों तथा हरिजन नेताओं को झूठे मामलों में फांस कर उनके विरुद्ध षड़यन्त्र रचने का प्रयास किया जा रहा है। यह जनता पार्टी के नेताओं की देखरेख में हो रहा है। यह बन्द किया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री को ऐसे नेताओं को हतोत्साहित करना चाहिये तथा हरिजन अधिकारियों एवं हरिजन नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने के षड़यंत्रों से बचाने हेतु हर सम्भव कदम उठाने चाहिये।

केरल में दक्षिण रेलवे की ओलावकेड़ डिवीज़न का विकास करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये रेलवे विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस पलारपट्टनाम् तथा पजयगदी स्टेशनों पर रुके।

जहां तक हरिजन कल्याण कार्यो का सम्बन्ध है, इसमें तेज़ी लानी चाहिये। यदि पिछली सरकार द्वारा दिए गये लाभ या छूटों से किसी हरिजन को अब वंछित किया जाये तो यह लाभ उसे बहाल किया जाना चाहिए देश के विभिन्न भागों में की गई हरिजन की हत्याओं की जांच कराने हेतु जांच आयोग स्थापित किया जाये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : विरोधी दल के नेता ने कहा है कि बड़त में किसी प्रकार का निर्देशत नहीं है और उन्हें यह उत्सुकता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पहले की तरह कार्यशील रहे। सरकारी क्षेत्र पर दिया जाने वाला महत्व पिछली सरकार की सत्ता-संकेन्द्रण सम्बन्धी नीति के अनुरूप है जो आर्थिक एवं राजनीतिक है। यह तानाशाही का मार्ग है। गांधी जी, विनोबा जी तथा जय प्रकाश नारायण ने राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया है और जनता पार्टी इसके लिये वचनबद्ध है।

पूंजीपति प्रणाली में यदि कुछ बुराइयां हैं तो उन्हें दूर करना होगा। हम श्रमिकों को भागीदार बनाना चाहते हैं लेकिन राज्य का स्वामित्व जनता के कल्याण के हित में नही होगा।

कुमारी आभा मैती पीठासीन हुई

आर्थिक परिवेश में सरकारी क्षेत्र का कार्य सम्पादन अधिक सराहनीय नहीं रहा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण असफल सिद्ध हुआ है। क्या राष्ट्रीयकरण से कार्यकुशलता बढ़ी है या देश के कमजोर वर्गों को लाभ हुआ है ?

आज की सब से बड़ी समस्या निरंतर मूल्य वृद्धि है। सब से अधिक मूल्य वृद्धि 1975-76 और 1976-77 में हुई है जबकि उपज सबसे अधिक हुई है। हमने निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा का रक्षित भंडार बढ़ाया है। फिर भी 50 प्रतिशत लोग निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है। अतः हमें निर्धनता का उन्मूल, बेरोज़गारी और असमानता दूर करनी चाहिये ।

यह भी कहा गया है कि यदि हमें बेरोज़गारी दूर करनी है तो हमें भारी मात्रा में राशि निवेश करना होगा ।

प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार है और जब तक यह विद्यमान रहेगा हमें प्रगति की आशा नहीं करनी चाहिये। अतः हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन से भ्रष्टाचार को दूर किया जाये।

अब तक हम शिक्षा की उपेक्षा करते आये हैं। हमें खेतों में अधिक काम करना है तथा शिल्प विद्या का प्रचार करना है ताकि लोग स्वतः नियोजी बनें और अपने पैरों पर खड़े हो जायें।

ग्रामीण विकल्प की दृष्टि से हमें वहां बिजली सिंचाई आदि की सुविधायें पैदा करनी, होंगी। सूरज, वायु और वर्षा से बहुत अधिक बिजली पैदा की जा सकती है। यदि इस दिशा में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाये तो देश में बिजली की कमी नहीं रहेगी ।

आगरा ज़िले में पीने के पानी की भारी समस्या है। वहां जमना का पानी सूख गया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि रामगंगा परियोजना से यह कमी पूरी हो जायेगी लेकिन किसी को पता नहीं कि यह कब तक क्रियान्वित हो जायेगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

Shri T. S. Negi (Tehri-Garhwal): It is said that this is a capitalistic budget and that is not socialistic, but I will say it is a revoluntionary budget because it is village-oriented. A number of proposals for rural development have been included in this budget. It can not, however, be denied that the entire administrative machinery is corrupt. We have to see whether the allocations made for rural development are actually utilised for the purpose for which they are allotted.

It is necessary to speed up the electrification work for the development of rural areas and electricity charges should not be more than what are charged from the factories.

It is not known as to why the former government could not introduce crop and cattle insurance. The question of paucity of funds should not arise because taccavi funds are there which can be utilised in such cases.

The Home Minister had said that people had condemned the police. We can not, however, undermine the importance of police functions.

Survey-work for laying railway line from Rishikesh to Badrinath has been completed but nothing has so far been done in this direction. The Government

should pay special attention towards improving communication links in backward areas.

Tehri-Garhwal area of Uttar Pradesh is very backward. The Central Government should take over control of developing this area in its own hands. I will not object to its integration in Himachal Pradesh.

There is a lot of corruption in the allotment of land to the landless. The Government should see to it that there is no corruption in the matter of allotment of land to the landless.

Shri R. L. Kureel (Mohanlal Ganj): The previous Government did nothing for the upliftment of Harijans. In the police department, Harijans Officers have always been side-tracked and ignored and Harijan employees have been subjected to all sorts of excesses. Harijans officers should be put on duty in the field. They should have a larger quota for appointment and maximum reservation in the police department.

The Belchi incident was a conspiracy between the caste people and the police. It is painful to note that Government is not paying adequate attention to Harijans even today.

The condition of Harijans is still very pitiable because they do not get good food and proper residential accommodation. At least 50 per cent of the total quotas, permits and licences should be allotted to Harijans and backward classes. Security for them should be furnished by the Government.

The condition of suitability for the appointment and promotion of Harijan candidates in services should be removed. The quota reserved for them must be fulfilled by making appointment of such candidates as fulfil the minimum qualifications. Those officers who fail to fulfil this quota should be taken to task.

More provision should be made in this budget for bringing about the upliftment of Harijans and scheduled caste people.

Harijan employees should be given a right to make direct representation to the Commissioner. Amendment to this effect should be made in their service conduct rules so that they may submit their representations directly to the highest officer or the Minister.

***श्री अमर राय प्रधान** (कूच बिहार) : शीतमहल क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुदूरपूर्व में है। यह बंगलादेश से घिरा क्षेत्र है। वहां के लोग बंगला देश सरकार की दया पर निर्भर हैं। 3 जुलाई, 1977 को उस क्षेत्र में 87 घर जला दिए गये जिससे 17 लोग जल कर मर गये तथा लूट-पाट भी की गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के लोगों पर अत्याचार हों और सरकार मूक रहे।

वह समूचा क्षेत्र बंगला देश में आता है तथा उसके लिए भारत से सीधी संचार व्यवस्था नहीं है। वहां संगठित प्रशासन की छाया भी नहीं है। इस समूचे क्षेत्र को मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया। कूच बिहार रियासत 1949 में भारत में मिल गई थी परन्तु इस सारे समय में

*बंगला में दिय गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translation based on the English version of the Speech delevered in Bengali.

कांग्रेस सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। 1969 में भारत सरकार ने भारत आए शीतमहल के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 80 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। प्रशासन के अधिकारियों ने उस रुपये से ऐश की। शीतमहल के शरणार्थियों का पुनर्वास करने के बजाए कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं, अपने साथियों और नेताओं का पूरा पुनर्वास किया।

कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ से भारतीय क्षेत्र शरणार्थी संस्था गठित कर लाखों रुपये बनाए। इस क्षेत्र के लोगों ने एक जनवरी, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, गृह मंत्री और पुनर्वास मंत्री से अपनी कठिनाइयों के बारे में अपील की परन्तु कुछ नहीं किया गया। गृह मंत्री अब इस मामले की जांच करें और इस क्षेत्र के लोगों को उनका मतदान का अधिकार दिलाएं।

Shri Ramdas Singh (Girdih): The present Finance Bill belies the hopes and aspirations of the people, because it contains no special provisions to improve the condition of workers, employed in agriculture or industry. The land that are declared surplus under the Land Ceiling Act and that has been given to landless people, is again passing into the hands of the big landlords or capitalists, because the landless people have no means to make use of the same. Therefore, Government should provide them all facilities of irrigation, seeds, fertilisers, etc. so that they may use those lands for agriculture. Government can recover the amount of such assistance from the return of their produce. Government should see that the landless people are able to retain the lands given to them and they get all opportunities for their development and they get rights of equality in society.

It is true that this Government has made larger allocation for the development of small-scale industries and cottage industries, but it is not known why they can not make any progress so far. It appears that the big capitalists also enter into those fields of production which are earmarked for small industries. Therefore, in order to save them from this unhealthy competition, Government should arrange for the quality control and also for marketing of the goods produced by small scale industries.

In the coal industry, workers used to get bonus, but since emergency, it has been stopped. It has resulted in great resentment among workers and has affected production.

There is widespread corruption in Coal Washeries which are public sector concerns. Steps should be taken to root out corruption in those concerns.

The lowering down of bank rate from 14½ per cent to 12 per cent would only benefit the richer sections of Society. The richer sections should not be given any encouragement. The Hon'ble Minister state clearly what provisions are proposed in the Bill to help small industries, to root out corruption and to remove poverty.

Shri Ganga Singh (Mandi): What has been the legacy of Congress? Poverty, dictatorship, illiteracy and corruption. While on one hand 40 crores of our people are still below poverty line, on the other, there are those few who live in plenty. With a view to eliminating disparity and concentration of wealth in few hands, I will suggest that a ceiling should be imposed on immovable as well as moveable property.

[Shri Ganga Singh]

Unemployment has also increased steadily during the Congress rule. At present there are seven crore unemployed persons in our country. I hope that Janta Government would take effective measures to provide employment to our people, but I regret that the present budget and the proposals envisaged therein do not go far enough to solve this problem.

Janta Government is also committed to eradicate destitution within ten years. Effective steps should be taken to see that we abide by our commitment.

Our country is rich in natural resources. But those resources have not been properly tapped. In this connection, we must follow the advice of Mahatma Gandhi. More emphasis must be laid towards cottage and village industries because these can provide employment to more people. Industries based on agriculture should be encouraged. More funds should be allocated for agriculture. Irrigation should be given top priority.

Mrs. Indira Gandhi and the Congress Party have subverted Constitution to serve their own interests and the interests of their party. Those people have committed a crime against the nation. They should be prosecuted.

Corruption is regning supreme in the country. This corruption cannot be rooted out by appointing commissions.

The property excess to the means of a person should be confiscated. With these words, I support the Bill.

श्री अहमद हुसैन (धुबरी) : वर्तमान बजट न तो गांधीवादी है और न ही समाजवादी इसमें आर्थिक समानता की बात नहीं कही गयी । अत: इसे पुंजीवादी बजट कहा जा सकता है। आसाम अब भी देश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । बिजली ऊर्जा की कमी तथा आधुनिक कृषि के तरीकों पर प्रशिक्षण के अभाव में, आसाम के लोग जिनमें से 80 प्रति शत कृषि पर आधारित हैं, हत्सोत्साहित हो गए हैं । इसके अतिरिक्त आसाम प्राकृतिक प्रकोपों का भी शिकार रहा है । वहां बाढ़ें आती है और सूखा पड़ता है । स्थिति के निवारण के लिए कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

जल्दी वर्षा आने के कारण धान, पटसन आदि गर्मी की फसलें बह गई हैं और अकाल पड़ने की सम्भावना है । यद्यपि राज्य सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त सहायता देने की मांग की है, फिर भी केन्द्र ने कोई कार्यवाही नहीं की है । केन्द्रीय सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे ।

जहां तक भूमि समस्या का संबंध है, जनता सरकार के पास ग्रामीण एवं पिछड़े लोगों में भूमि बांटने की कोई नीति नहीं है । आसाम के एक तिहाई अर्थात् 40 लाख लोग कृषि पर आधारित हैं । तेजी से भूमि के कटाव के कारण कृषक भूमिहीन होते जा रहे हैं । और कृषि में वे रुचि नहीं ले रहे । जनता सरकार को इन समस्याओं पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ।

आसाम में उद्योग की बुरी हालत है । वहां प्राय: बिजली का संकट रहता है जिससे उद्योग बन्द हो गए हैं । वहां परिवहन एवं संचार की भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं । सरकार इस समस्या पर विचार करे । आसाम में उद्योगों के विकास को तेज करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ।

आसाम के पास कोयला, चूना, पत्थर, लौह-अयस्क तथा ग्रेफाइड जैसे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन इनकी खुदाई न होने के कारण आसाम पिछड़ा हुआ क्षेत्र बना हुआ है इनको खोज एवं उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए।

बोगाईगांव स्थित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग बड़े उत्तेजित हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। परियोजना में कुप्रबंध व्याप्त है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। परियोजना में कई अनियमितताएं हैं जैसे कि विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना जिस पर काफी व्यय हो रहा है; जबकि यह परिहार्य है। सरकार इस परियोंजना के कार्यकरण की जांच करे और कार्यकरण सुधारने के लिए शीघ्र उपाय करे।

जोगीघोपा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने और गोहाटी तक रेल लाइन जो साउथ बैंक से होती हुई मेघालय सीमा को छूती हुई तुरू तक जाय, बिछाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। फोकिर ग्राम और धुम्बड़ी के बीच, वर्तमान मीटरगेज लाईन को बड़ी लाइन में बदल देना चाहिए। यह मांग आसाम के गोलपाड़ा जिले की है। रोंगिपा क लिए रेलवे डिवीजन बनाया जाना चाहिए जिसके लिए राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड द्वारा मांगी गई भूमि आवंटित कर दी है।

आसाम के गोलपाड़ा जिले में स्थित रूपसी हवाई अड्डे का निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। बाद में गैर-सरकारी विमान कम्पनियों ने इसका प्रयोग वाणिज्यिक यातायात के लिए शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश एक दशक ने किसी भी गैर-सरकारी कम्पनी को काम नहीं करने दिया गया और इसके परिणामस्वरूप विमान से यात्रा करने वालों को कठिनाई हो रही है। सरकार इसकी जांच करे और वहां वाणिज्यिक विमान सेवाएं शुरू की जानी चाहिएं।

आसाम की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों की बहुत बुरी हालत है। इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera): I am here to support this Bill, but not with closed eyes. I am not satisfied with the changes brought by the present Government. More attention should be paid towards villagers. They should be given more facilities.

This is a matter to disgrace to tax biri because it is consumed by the poors. Finance Minister should give a second thought to this.

What steps are being taken to remove unemployment. In villages agricultural labourers live without any work for quite a long period of the year. We should start small scale industries like soap making, weaving, etc. Efforts should be made to create opportunities of employment in villages so that people may not go to cities in search of employment.

Bihar is most backward state. There is about 85.2 per cent unemployment there. The condition of the labourers engaged in mining industry is very pitiable. They do not have basic amenities of drinking water, housing etc. These amenities should be provided to them.

There was lot of corruption in Congress rule. They degraded our moral to a great extent. The present Government should remove corruption and raise the moral of the people.

In Bihar Ashok Paper Mills and Thakur Paper Mills are closed since last two months. Thousands of workers have been rendered jobless. Government should try to start them.

With these words I support the Finance Bill.

Shri Gyanshwar Prasad Yadav (Khagaria): I welcome and support the Bill, because for the first time due attention has been paid to the farmers. Agriculture provides 50 per cent in the national income. But it has been provided only 30 per cent. It should be increased.

Government should put a ceiling on the urban property also. Congress did not put that ceiling because they wanted to favour the capitalist for getting funds for the elections.

Government should try to put industries in the rural areas. For this they should encourage the industrialists. Local cottage industries should be given due encouragement. The village artisans should be given all possible help.

In all over India 25 per cent cultivable land is under irrigation but in Bihar its percentage is only 3. The irrigation facilities should be increased.

After defeat in election Congress has run amuck. hTey are spreading riots and violence. Congressmen are responsible for Belchi and Tinsukhia incidents.

The railway line near Narayanpur station is in danger and if it is washed away there will be no line to Assam. Many villges of Begusarai are washed away every year. Arrangements should be made to save them from this yearly calamity.

Shri Santoshrao Gode (Wardha): Our economy mainly depends on agriculture. In whole of India the average of irrigated land is only 22 per cent, while in Maharashtra it is only 9 per cent. I hope the Government will make a national irrigation grid by linking Ganga and Kaveri

The farmers do not get remunerative price of their produce. If we want to bring Gandhin Sacialism in the villages, they should be given remunerative price.

Cotton monopoly scheme of Maharashtra have proved to be very useful to the farmers. It is working on cooperative basis. It was hoped that Government will start this scheme in other cotton producing states also, but Government have even refused to give grant to the present scheme and as such there is danger of its being unaided. I request the Government to give necessary aid for this. It is a useful scheme. Farmers are able to get remunerative price through this scheme.

Government to try to make certain arrangement so that the agricultural labourers may get minimum wages. I hope that steps will be taken to improve the lot of poors.

***Shri D. G. Gawai (Pruldna)**: The condition of rural areas is the same as it was before independence. There has been no change in the condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The schemes of improving the condition have never been implemented.

Even after 30 years of independence the Harijans are still subjected to torture. They are still insulted. Untouchability has increased. Congress Government have done nothing to improve their conditions.

The condition of small farmers in our country is miserable. They are overburdened with debt. They do not get pesticides and fertilizers at cheaper rates. At the same time they are not given remunerative price for their produce. They hardly make their both ends meet. They have to purchase pesticides at the rate of Rs. 70 per litre and fertilizers at the rate of Rs. 200 per quintal. Government should provide them necessary assistance so that they may get rid of these hardships.

Maharashtra Government have monopoly for purchasing cotton, but they have no money to purchase it. If the Central Government want to help them we are not opposed to it but it should be ascertained that the farmers get Rs. 600 for a quintal of cotton.

Cooperative banks charge exorbitant rates of interest from the farmers. The farmers get less interest on their saving accounts. There banks do not maintain the saving accounts of these farmers properly. These malpractices should be done away with and relief should be given to the farmers.

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : हमारा पहला बजट तब बनाया गया था जब विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रस्तावित आवंटन किए जा चुके थे और उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया था। दुर्लभ संसाधनों की बरबादी न हो, इसके लिए सुव्यवस्थित रूप से नई दिशा देने की गुंजाइश काफी सीमित थी।

फिर भी उस दिशा को स्पष्ट करने के लिए हमने पर्याप्त परिवर्तन किए हैं, जिस पर हम चलना चाहते थे और आगामी वर्षों में चलेंगे। सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हमें अगला बजट बनाने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे और कुछ ही सप्ताहों के बाद हम अपने अगले बजट पर कार्य आरम्भ कर देंगे।

विपक्ष के नेता, श्री यशवन्त राव चह्वाण ने अर्थव्यवस्था की धुंधली तस्वीर पेश की है। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता व्याप्त है। उन्होंने शिकायत की है कि केन्द्रीय सरकार को कृषि एवं ग्रामीण कार्यक्रम की सही समझ नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपने दल की असफलता को स्वीकार कर रहे हैं या देश की निर्धनता एवं विकास की समस्या को हल करने की बात कर रहे हैं या वह यह कहना चाहते हैं कि इन समस्याओं को हल करना आसान नहीं है।

---

*मराठी में दिए गये भाषण के हिन्दी अनुवाद का संक्षिप्त अंग्रेजी रुपान्तर।

*Summarised translation of version based on Hindi translation of the speech delivered in Marathi.

श्री चह्वाण ने हम पर यह भी दोषारोपण किया है कि हमारी कोई नीति नहीं है । उनके और उनके दल की एक नीति थी जिस पर चलकर निर्धनता में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव आया और बड़े-बड़े औद्योगिक गृह पनपे । यह समझना कठिन है कि ऐसी नीति का क्या लाभ है । किसी भी नीति का मूल्यांकन उसके परिणामों से किया जाता है । हम ऐसी नीति बनाना चाहते हैं, जिसके वांछित परिणाम निकलेंगे और हमने घोषणा पत्र में भी इन का उल्लेख किया है । यदि श्री चह्वाण अधिक ध्यान से और कम भावुक होकर बजट का अध्ययन करते तो उन्हें पता चलता कि बजट में विकास की नीति स्पष्ट की गई है और हम कराधान उपायों तथा व्यय आवंटन उपायों के माध्यम से इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं ।

हमारा इरादा कृषि को प्राथमिकता देने का है क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि इससे ही हम निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं । मैंने इस बजट में न केवल अधिक साधनों का आवंटन किया है अपितु मेरा विचार भविष्य में कृषि के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटाने का है ।

कृषि को प्रमुखता देने का अर्थ उद्योग की उपेक्षा करना नहीं है । चहुंमुखी विकास के लिए कुछ क्षेत्रों में आधुनिक उद्योग की अत्यन्त आवश्यकता है और सरकार इस पर उचित ध्यान देगी । हमारे हाथों सरकारी क्षेत्र की हानि नहीं होगी । उद्योग क्षेत्र इतना महत्वपुर्ण है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । देश की मेहनत से की गई बचत सरकारी क्षेत्र में लगी हुई है और हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि ये उद्योग ठीक ढंग से चलें और भावी विकास के लिए संसाधन उपलब्ध करायें जायें । हमारा मूल दृष्टिकोण यह है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में सभी क्षेत्रों को सुचारू ढंग से काम करने दिया जाये ताकि वे और विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटा सकें ।

श्री सी० एम० स्टीफन ने बजट पर सरसरी नजर डालते हुए यह आरोप लगाया है कि हमने ग़रीबों के बजाय अमीरों का पक्ष लिया है और समाज के समृद्ध वर्ग को फायदा पहुंचाया है । तथा व्यापारियों एवं पूंजीपतियों का पक्ष लिया है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वह तब चुप क्यों थे जब वर्ष 1974–75 तथा 1976 में आयकर दाताओं के विभिन्न वर्गों के लिए आयकर की दर बहुत कम कर दी गयी थी ? पूंजीपतियों को पनपने का बढ़ावा किसने दिया ? बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को व्यापार बढ़ाने का अवसर किसने दिया ।

कुछ सदस्यों ने सम्बद्ध औद्योगिक कम्पनियों को अनिवार्यत: लाभांश वितरण से छूट देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए यह तर्क दिया है कि इससे एकाधिकार गृहों को लाभ होगा । सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा अपने लाभों की न्यूनतम प्रतिशतता को वितरित करने के प्रावधान बनाने की आवश्यकता तब पड़ी जब कम्पनियों पर लगने वाले कर की ऊंची दर से बचना सम्भव था । क्योंकि वह अपने ही स्वामित्व एवं नियंत्रण के व्यापारों की ओट ले सकता था । परन्तु अब जब कि निगमित कर की दर लगभग उतनी ही है जितनी कि व्यक्तिगत कराधान की अधिकतम दर है, तो ऐसी स्थिति में कम्पनी में लाभों को बरकरार रख कर लाभ कमाने का फायदा नहीं उठाया जा सकता ।

यह रियायत केवल औद्योगिक कम्पनियों को दी गई है, पूंजी निवेश कम्पनियों या व्यापारिक कम्पनियों को नहीं । यदि देश में एकाधिकार के विकास की जांच की जाये तो पता चलेगा कि

एकाधिकार का निर्माण अधिकतर सम्बद्ध कम्पनियों ने किया है, जिन्हें कर रियायत नहीं दी गई है। यह भी कहा गया है कि वांचू समिति इसके विरुद्ध थी; यह सही नहीं है।

ग्रामीण विकास को अनुमति सम्बन्धी प्रावधान का इस आधार पर उपहास उड़ाया जा रहा है कि इससे धनवान करदाताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी रिहायश के लिए आलीशान बंगले बनाने का अवसर मिलेगा तथा इन बंगलों की लागत के संबंध में कुछ छूट की मांग करेंगे। विधेयक में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि ग्रामीण विकास के केवल उन्हीं कार्यक्रमों के संबंध में रियायतें दी जायेंगी, जिन्हें कि एक विहित प्राधिकरण, जो कि काफी उच्च स्तरीय होगा स्वीकृति देगा। विहित प्राधिकरण निश्चित ही धनवानों द्वारा निर्मित बंगलों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अंग नहीं मानेगा।

कई सदस्यों ने कहा है कि रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों से मिलाने के संबध में जो कर की रियायत दी गई है, उसका धनवान लोग अनुचित लाभ उठायेंगे। यह भी तर्क दिया गया है कि इस व्यवस्था से जिस एकक में रुग्ण एकक को विलय किया जायेगा उसे तो लाभ होगा किन्तु रुग्ण एकक के कर्मचारियों को खपाने में सहायता नहीं मिलेगी। ऐसे विलयों की उचित प्राधिकरण द्वारा पहले जांच की जायेगी और तदुपरान्त विलय की अनुमती दी जायेगी। इन बिलों का सम्पूर्ण उद्देश्य रुग्ण एककों की समीक्षा करना है तथा विद्यमान उपकरणों के प्रयोग द्वारा तथा कर्मचारियों के रोजगार को बरकरार रखते हुए एककों में काम जारी रखना है। यदि उक्त उद्देश्य हल नहीं होता तो वह प्राधिकरण जो विलय की अनुमति देता है, विलय की अनुमति नहीं देगा।

कई सदस्यों ने मूल्य स्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। मूल्यों में गत तीन महीनों से निरन्तर वृद्धि हो रही है और इस तिमाही में मूल्य 34 प्रतिशत बढ़े हैं। यद्यपि यह वृद्धि पिछले वर्ष के पहले तीन महीनों में हुई वृद्धि का आधा है, फिर भी स्थिति की गम्भीरता से इन्कार नहीं करते। क्योंकि यह वृद्धि 1976-77 में हुई 12 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर है। निस्संदेह वर्तमान मूल्य स्तर बहुत ऊंचा है। इससे सीमित साधन वाले लोगों को कठिनाई हो रही है।

हाल के कुछ महीनों में जो मूल्य वृद्धि हुई है, वह तिलहनों, खाद्य तेलों, खली, दालों, फलों और सब्जियों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है। उत्पादन में कमी निर्यात मांग में वृद्धि और मौसमी कारणों से उपरोक्त वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है। गत वर्ष मुद्रा की सप्लाई में हुई अत्यधिक वृद्धि की जो प्रक्रिया हुई उस से भी हम इन्कार नहीं करेंगे।

सरकार दुर्लभ वस्तुओं के आयात द्वारा सार्वजनिक वितरण में सुधार करके तथा सरकारी कोटे से अधिकाधिक माल देकर मूल्यों पर काबू पा सकती है। वाणिज्य मंत्री ने इस सदन के समक्ष उन उपायों की व्याख्या की है जिससे वस्तुओं, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोका जा सकता है। इन उपायों का भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ेगा क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए कारण भी अलग अलग हैं।

निस्संदेह आगामी कुछ महीनों में मौसमी कारणों के कारण मूल्यों पर पुरी सावधानी से निगरानी रखनी पड़ेगी हमें कुछ उपायों--जैसे ऋण संकुचन, वित्तीय नीति, आवश्यक वस्तुओं का आयात तथा सुनियोजित निर्यात नीति और सर्वाधिक वितरण प्रणाली को जारी रखना होगा। राज-

कोषीय अनुशासन भी नितान्त आवश्यक है । इससे सार्वजनिक व्यय पर अधिक नियंत्रण पाया जा सकेगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनियमितताओं के कथित अनेक उदाहरणों, कुछ विशेष बड़े व्यपार गृहों द्वारा किये गये कानूनी कार्यों और उच्चाधिकारियों द्वारा कानूनों के उल्लंघन के कई मामलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है । सरकार इन सब मामलों की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देगी । हम कानून का उल्लंघन करने वालों को कदापि संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे ।

जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बैंकों को राजनीति से दूर रखा जायेगा और उन पर किसी भी तरह राजनीतिक दबाव नहीं डाला जायेगा । बैंकों को अब स्वायत्तता से काम करने की अनुमति है । ऋण देने के मामले में वह सरकार की नीति के अनुरूप स्वयं वाणिज्यिक अनुमान लगाकर गुण-दोषों के आधार पर ऋण दे सकते हैं ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों, विशेषकर वित्तीय मामलों में दोनों के सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है । हमने अभी 7वें आयोग की नियुक्ति की है और आशा है कि इसकी सिफारिशों में देश के नए सामाजिक आर्थिक आयाम को भी दृष्टिगत रखा जायेगा ।

पश्चिम बंगाल सरकार के सम्बन्ध में भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के निर्णय के बारे में भी उल्लेख किया गया है । इस निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति पर बहुत खराब असर पड़ा है । भूतपूर्व सरकार ने केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं अपितु समूचे देश में वित्तीय अनुशासन नहीं रखा । अपने शासन के पिछले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने दिल खोल कर राज्यों को राजस्व दिया और योजना आयोग के साथ योजना के वित्तपोषण के सम्बन्ध में किए गए पवित्र वचन को भी नहीं निभाया। यह भली भांति जानते हुए कि अर्थ व्यवस्था अतिरिक्त भार सम्भालने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने व्यय की अतिरिक्त मदों को अपने हाथ में ले लिया ।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों ने जनवरी से लेकर अब तक 400 करोड़ रुपये के संसाधनों को व्यर्थ गंवाया है । राज्य योजनाओं के संसाधनों को बुरी तरह नष्ट किया गया है । कई राज्यों ने व्यापक ओवर ड्राफ्ट बनाए हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार को जून के अन्त में स्वीकृति देनी ही पड़ी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने कुछ ही दिन पहले बताया कि भूतपूर्व सरकार ने अन्तिम 15 दिनों में धन का कैसा दुरुपयोग किया .....

श्री एच० एम० पटेल : आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं । विपक्ष के सदस्य वास्तविकता को नहीं जानना चाहते ।

श्री वसंत साठे : आप तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश क्यों करते हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : यह बहुत ही गैर-संसदीय बात है । एक भी बात तोड़ मोड़ कर पेश नहीं की गई है । यह तर्क की बात है ..... **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ये सब सच्ची बातें हैं . . . . . (**व्यवधान**) पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने बताया है कि किस तरह धन का दुरुपयोग किया गया ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : राज्यों ने ओवर ड्राफ्ट आम चुनावों से पहले लिए थे या उनके बाद ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इन सदस्यों पर दया आती है। न तो वे सच्चाई को समझते हैं न समझना चाहते हैं। . . . . . (**व्यवधान**) मैं उनके सामने न तो झुकूंगा और न ही झुकना चाहता हूं . . . . . (**व्यवधान**)

अब बिखरे धन को एकत्रित करके उपयोगी योजना बनाना राज्य सरकारों का काम है। वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय जो वचन दिए गए थे, उन्हें सरकार पुरा करेगी।

हम राज्यों की सभी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूति तथा सद्भावनापूर्वक विचार करेंगे। केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में जो समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, उनका हल संविधान के ढांचे के अन्तर्गत ही निकाला जा सकता है। इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से पहले ही बातचीत कर चुका हूं और शीघ्र ही वित्तीय संसाधनों तथा राज्यों के व्यय कार्यक्रम के बारे में मैं पुनः उनसे बात करूंगा।

लघु पैमाने के उद्योगों के विकास के बारे में भी काफी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। सरकार देश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहती है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। सरकार छोटे उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हर सम्भव उपाय करेगी लेकिन इस प्रक्रिया में हमें अनुपयोगी और अधिक लागत वाले एककों का निर्माण नहीं करना चाहिए। वास्तव में देश के हित में लघु पैमाने के उद्योगों की हमें उत्पादन कुशलता बढ़ानी चाहिए।

आयकर पर लगाये जाने वाले अधिभार को भी 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने पर कई सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की है तथा इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे मध्यवर्गीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा लेकिन यह अधिभार की राशि कोई अत्यधिक नहीं है। जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय 11000, 12,000 तथा 15,000 है उन्हें क्रमशः 23 रुपये, 30 रुपये और 53 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त देने पड़ेंगे और मेरे विचार में इतने थोड़े रुपयों मे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि अप्रत्यक्ष-करों के सम्बन्ध में सभी प्रस्तावों को सदन में अधिकांश सदस्यों ने स्वीकृति दे दी है।

बीड़ी पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने के सम्बन्ध में कई सदस्य नाराज हैं। सरकार भी जनसाधारण के विषय में चिन्तित है। हम उनकी भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा जैसी मुख्य समस्याओं को हल करना चाहते हैं। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपनी बात पर जोर न डालें क्योंकि इससे घाटे के बजट में और वृद्धि होगी।

मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बजट पर अपने विचार व्यक्त किये और महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मुझे आशा है सदन वित्त विधेयक और प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री टी० ए० पई (उदीपी) : मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में हम सभी बहुत चिन्तित हैं। मूल्य वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए एक दूसरे में दोष निकालने का क्या लाभ होगा। हर कोई जानता है कि गत वर्ष खाद्यान्नों की खरीद ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। देश की समस्या कुछ विशेष पदार्थों के बारे में है और मुद्रा सिद्धान्त द्वारा कुछ विशेष पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। पिछले से पिछले वर्ष तिलहन, तेल, कपास, गुड़ इत्यादि पदार्थ मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे। अतः मुद्रा सप्लाई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : संभवतः माननीय सदस्य ने मेरी बात पूरी तरह से सुनी नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि मूल्य वृद्धि मुद्रा सप्लाई में वृद्धि के कारण हुई है। मैंने कहा था कि सरकार दुर्लभ वस्तुओं का आयात करके मूल्यों पर नियंत्रण पा सकती है लेकिन कई बार आयात करने पर भी वस्तुएं नहीं मिलतीं। उदाहरणार्थ जिस प्रकार के खाद्य तेल का हम आयात करना चाहते हैं वह विश्व में उपलब्ध नहीं है। अतः मूल्य वृद्धि के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। श्री पई ने जो सुझाव दिया है हम बिल्कुल उसके अनुरूप कार्य करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> कि वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 से लेकर खण्ड 8 तक के बारे में कोई संशोधन नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : (मद्रास–दक्षिण) : हम खण्ड 3 का विरोध करते हैं। इस पर हमें कुछ आपत्ति है।

सभापति महोदय : मैं खण्ड 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।
प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री आर० वेंकटरामन : विधेयक के खण्ड 3 में अल्पकालीन पूंजीगत लाभ की परिभाषा दी गई है। आयकर अधिनियम के अनुसार पूंजीगत लाभ उन आस्तियों पर निर्भर करता है जो 24 मास से कम समय विद्यमान नहीं रही।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy-Speaker in the Chair

वांचू समिति की सिफारिश पर सरकार ने इसमें संशोधन किया और अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 60 मास से कम समय तक की आस्तियों को माना गया। इस संशोधन का कारण यह था कि पूंजीगत लाभ अर्जित न किये गये लाभ पर कर है। इसका समय घटा कर 36 मास करने से लोग हर तीन साल बाद अपने स्टाक और शेयर हस्तांतरित करने लगेंगे। इस प्रकार वही बुराई फिर से आ जायेगी जिसे दूर करने के लिए वांचू समिति ने सिफारिश की थी। अतः यह खण्ड हटा दिया जाये जिससे वर्तमान धारा 2 खण्ड 42क पहले के समान रह सके।

श्री विनोद भाई शेठ (जामनगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिन सदस्यों ने संशोधनों की सूचना दी है उन्हें बोलने का अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खण्ड का विरोध कर रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य के तर्कों को स्वीकार करना कठिन है। हमने जो प्रस्ताव खण्ड 3 में किये हैं वे बड़े ठोस हैं तथा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रखे गये हैं जो हम ने सोच रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में 98 विपक्ष में 75

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 4 to 6 were added to the Bill

श्री श्रार० वेंकटरामन : इस समय जो कानून है उसके अनुसार धर्मार्थ ट्रस्टों को अपनी आस्तियों को 1 अप्रैल, 1978 तक मान्यता प्राप्त प्रतिभूति में बदलने की अनुमति है। ऐसा इस उद्देश्य से किया गया था कि बहुत से ट्रस्टों के कम्पनियों में शेयर हैं और वे कम्पनियों पर अनुपयुक्त दबाव डालते हैं। विधेयक के खण्ड 7 में समय 1 अप्रैल, 1981 तक बढ़ाया गया है। परन्तु इसका कोई कारण नहीं बताया गया। इससे ट्रस्टों को कम्पनियों पर और आगे तक अपना नियंत्रण रखने की छूट हो जायेगी और उसके शेयर उनके पास रहने से कम्पनी के प्रबन्ध पर उनका प्रभाव बना रहेगा।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये तर्क संतोषजनक नहीं हैं। तीन वर्ष का समय शेयरों को बाजार में बेचने के लिये दिया गया है। यदि उस समय में यह नहीं होता तो और समय देना पड़ेगा। इस बात पर बड़े संकीर्णता से विचार नहीं किया जाना चाहिए। पूरे मामले पर जनहित की दृष्टि से विचार किया गया है और उसी दृष्टि से इस खण्ड को स्वीकार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9

विनोदभाई शेठ (जामनगर) मैं अपना संशोधन संख्या 154, 155 प्रस्तुत करना चाहता हूं।

संशोधन किया गया

पृष्ठ पंक्ति 23 से 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

(i) in clause (b), for sub-clauses (ii) and (iii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

(ii) in a small-scale industrial undertaking for the purposes of business of manufacture or production of any article or thing; or

(iii) in any other industrial undertaking for the purposes of business of construction, manufacture or production of any article or thing, not being an article or thing specified in the list in the Eleventh Schedule.";'

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 3 से 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

'(1) खण्ड (ख) में उपखण्ड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(ii) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए कोई लघु उद्योग उपक्रम ; या

(iii) किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम में ऐसी वस्तु या चीज के, जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, सन्निर्माण, विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के प्रयोजनों के लिए

प्रतिष्ठापित किया जाता है।" ; ।

संशोधन संख्या 154
श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 10, पंक्ति 22 में 'universitty (विश्वविद्यालय) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः-स्थापित किया जाए

or by any institution recognized in this behalf by the prescribed authority

(या विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था")

संशोधन संख्या 155
श्री एच० एम० पटेल

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11—

पंक्ति 18 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

The official Gazette, add any article or thing to, or omit any article or thing from, the list of articles or things specified in the eleventh schedule.

Provided that the addition of any article or thing shall have effect in relation.

(ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सूची में से किसी वस्तु या चीज़ की वृद्धि कर सकती है या उस सूची में से किसी चीज़ का लोप कर सकती है

परन्तु ऐसी किसी वस्तु या चीज़ की वृद्धि का प्रभाव ऐसी वस्तु या चीज़ के

संशोधन संख्या 156
श्री एच० एम० पटेल

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि श्री एच० एम० पटेल द्वारा प्रस्तावित संशोधन जो सूची संख्या 16 में संशोधन संख्या 156 के रूप में छपा है,

'add any article or thing to, or'

(किसी वस्तु या चीज़ का, अथवा) का लोप कर दिया जाए।

संशोधन संख्या 196

श्री आर० वेंकटरामन : विधेयक की अनुसूची 11 में दी गई सूची में उन उद्योगों को शामिल किया गया है जो निवेश बढ़ाने के अधिकारी नही हैं। मंत्री महोदय इस सूची में और उद्योगों को शामिल करने और निकालने का अधिकार चाहते हैं। परन्तु इस सूची से यदि वे किसी उद्योग को निकालते हैं तो वह उद्योग जो निवेश में वृद्धि करने की सुविधा उठा रहा था उससे वंचित हो जाएगा। उद्योगों को लाभ या रियायत देने का अधिकार अधिकारियों को दो पर जिन उद्योगों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है उनसे उसे वैंचित करने का अधिकार उन्हें नही होना चाहिए। इससे संबंधित संशोधन खण्ड 9 में किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वेंकटरामन के संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं प्रश्न यह है :

"कि श्री एच० एम० पटेल द्वारा प्रस्तावित संशोधन जो सूची संख्या 16 में संशोधन संख्या 156 के रूप में छपा है में 'add any article or thing so, or

(किसी वस्तु या चीज का, अथवा) का लोप किया जाए"

संशोधन संख्या 196

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 156 को संशोधित रूप में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है कि

पृष्ठ 11--

पंक्ति 19 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

"The official Gazette, omit any article or thing from, the list of articles or things specified in the eleventh schedule:

Provided that the addition of any article or thing shall have effect in relation.

(ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सूची में किसी वस्तु या चीज़ की वृद्धि कर सकती है या उस सूची में से किसी वस्तु या चीज़ का लोप कर सकती है)

संशोधन संख्या 156

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

संशोधन संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ

The amendment, as amended was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 9 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9, as amended was added to the Bill.

श्री जी० एम० बनतवाला (पोशानी) : मैं संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : मैं संशोधन संख्या 107 और 108 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासौर) : मैं संशोधन संख्या 150 प्रस्तुत करता हूं :

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 28 और 29 में 'for 1st day of April 1978 '(अप्रैल 1978') के स्थान पर) '1st day of September, 1977 (सितम्बर, 1977') प्रतिस्थापित किया जाए

संशोधन संख्या 157
श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 11, पंक्ति 30 में
being a company (जो कम्पनी है) के स्थान पर 'being a company or a Cooperative Society'(जो कम्पनी या सहकारी सोसाइटी है) प्रतिस्थापित किया जाए ।

संशोधन संख्या 158
श्री एच० एम० पटेल,

पृष्ठ 11, पंक्ति 31 में ' after the 30th day of June 1977 '
(30 जून 1977 के पश्चात') का लोप कर दिया जाए

संशोधन संख्या 159
श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 12

पंक्ति 5 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

'(b) "rural area" means any area other than—

(i) an area which is comprised within the jurisdiction of a municipality (whether known as a municipality, municipal corporation, notified area committee, town area committee or by any other name) or a cantonment board and which has a population of not less than ten thousand according to the last preceding census of which the relevant figures have been published before the first day of the previous year; or

(ii) an area within such distance, not being more than fifteen kilometres, from the local limits of any municipality or cantonment board referred to in sub-clause (i) as the Central Government may having regard to the stage of development of such area (including the extent of, and scope for, urbanisation of such area) and other relevant considerations, specify in this behalf by notification in the official Gazette'.

'(ख) "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो --

(i) ऐसे क्षेत्र से भिन्न है जो किसी नगरपालिका की (चाहे वह नगरपालिका, नगरपालिका निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहरी समिति या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) या किसी छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर आता है और जिसकी जनसंख्या उक्त अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रथम दिन के पहले प्रकाशित हो चूके हैं, दस हजार से कम नहीं हैं ; या

(ii) ऐसे क्षेत्र से भिन्न हैं जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से इतनी दूरी के भीतर हैं, जो पन्द्रह किलोमीटर से अधिक नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे क्षेत्र के विकास के प्रक्रम को (जिसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के नगरीकरण का विस्तार और उनकी सम्भावनाएं भी हैं) और अन्य सुसंगत वर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।' ।

संशोधन संख्या 160
श्री एच० एम० पटेल

श्री जी० एम० बनतवाला : खण्ड 10 में ग्रामीण विकास भत्ते का उपबंध है। किसी स्वीकृत ग्रामीण विकास योजना पर किए गए व्यय को कर योग्य आय में से घटा दिया जाएगा मैं चाहता हूं कि अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने पर हुए व्यय को भी आय में से घटाया जाए ; इस संबंध में खण्ड में संशोधन किया जाए ;

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : खण्ड 10 का उद्देश्य तब अधिक सिद्ध हो सकेगा जबकि संबंधित अधिकारी सरकारी गजट में विकास के कार्यों को अधिसूचित कर दे जिससे उस क्षेत्र की कम्पनियों को पहले से ही यह जानकारी हो जाए कि वे इन ग्रामीण कार्यक्रमों पर खर्च कर सकते है। इसलिए खण्ड में ऐसा संशोधन किया जाए।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में वे सब कार्यक्रम शामिल है जो सामाजिक आर्थिक कल्याण करते हैं अथवा जिनसे ग्रामीण जनता का उद्धार होता है। यह परिभाषा बहुत व्यापक है हम इसे विशिष्ट बनाना चाहते हैं और यह उल्लेख करना चाहते है कि इन कार्यों पर कम्पनियों को रियायत मिल सकती है अन्य उन सभी पर नही जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हो।

श्री एच० एम० पटेल : मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जहां तक श्री बनातवाला के संशोधन का संबंध है कम्पनियों को अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनवाने पर रियायत नही दी जा सकती

श्री कुन्डु के संशोधनों को भी नही माना जा सकता क्योंकि यह संशोधन उस उद्देश्य के विरुद्ध होगा जो हमने अपने सामने रखा है। जहां तक श्री नथवानी के संशोधन का प्रश्न है यह और भी अधिक बांधने वाला है इसलिए अस्वीकार है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 3 सभा में मतदान के लिए रखी गई और अस्वीकृत हुई

Amendments Nos. 2 and 3 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 107 और 108 और 150 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 107, 108 and 150 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है

पष्ठ 11 पंक्ति 28 और 29 में

1st day of April 1978 (1, अप्रल, 1978) के स्थान

1st day of Sep, 1977 (1 सितम्बर 1977) प्रतिस्थापित किया जाए

संशोधन संख्या (157)

पष्ठ 11 पंक्ति 30 में,

'being of Company' (जो कम्पनी है) के स्थान पर being a Company or a Cooperative (जो कम्पनी या सहकारी सोसाइटी है) प्रतिस्थापित किया जाए

संशोधन संख्या (158)

पृष्ठ 11, पंक्ति 21 में

after the 30th day of June 1977 (30 जून, 1977 के पश्चात्) का लोप कर दिया जाए
संशोधन संख्या (159),

पृष्ठ 12

पंक्ति 5 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

(b) "rural area" means any area other than—

(i) an area which is comprised within the jurisdiction of a municipality (whether known as municipality, municipal corporation, notified area committee town, area committee town committee or by any oher name) or a cantonment board and which has a population of not less than ten thousand according to the last preceding census of which the relevant figures have been published before the first day of the previous year; or

(ii) an area within such distance, not being more than fifteen kilometers from the local limits of any municipality or cantonment board referred to in sub-clause (1) as the central Government may, having regard to the stage of development of such area (including the extent of and scope for urbanisation of such area) and other relevant considerations specify in this behalf by notification, in the official Gazette.

"(ख) "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो——

(i) ऐसे क्षेत्र से भिन्न जो किसी नगरपालिका की (चाहे वह नगरपालिका, नगरपालिका निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहरी समिति या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) या किसी छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर आता है और जिसकी जनसंख्या उक्त अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रथम दिन के पहले प्रकाशित हो चुके हैं दस हजार से कम नहीं है; या

(ii) ऐसे क्षेत्र से भिन्न हैं जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से इतनी दूरी के भीतर हैं, जो पन्द्रह किलोमीटर से अधिक नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे क्षेत्र के विकास के प्रक्रम को (जिसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के नगरीकरण का विस्तार और उसकी सम्भावनाएं भी हैं) और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10, as amended was added to the Bill.

खण्ड 11

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है " कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12

श्री विनोदभाई शेठ : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना संशोधन अब प्रस्तुत कर दिया है अतः वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता । मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड के लिये कुछ संशोधन हैं । सरकार की ओर से संशोधन संख्या 161 भी है ।

संशोधन किया गया

"पृष्ठ 14, पंक्ति 23,—

new assts is transferred अन्तरित की जाती है । "के पश्चात्

"or converted otherwise than by transfer into money या धन में (अंतरण से भिन्न)

संपरिवर्तित की जाती है"

अन्तः स्थापित किया जाए (संशोधन संख्या 161)

(श्री एच० एम० पटेल)

श्री आर० वेंकटरामन : यह संशोधन अर्जित न की गयी आय के करारोपण के विपरीत है । हम इस खंड का विरोध करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड (15)

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी): मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करती हूं।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 28, 29, 30 तथा 31 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : मैं अपने संशोधन संख्या 124 तथा 125 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 126 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): मैं अपना संशोधन संख्या 127 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 15, पंक्ति 4

"industrial undertaking" (औद्योगिक उपक्रम) के बाद "or a ship" (या पोत) अन्तः स्थापित किया जाए

(162)
(श्री एच० एम० पटेल)

पृष्ठ 15

पंक्ति 8 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(a) the amalgamating company was not, immediately before such amalgamation, financially viable by reason of its liabilities, losses and other relevant factors."

(क) समामेलक कम्पनी ऐसे सामेलन के ठीक पहले अपने दायित्व, हानि और अन्य सुसंगत बातों के कारण वित्तीय रूप से जीवनक्षमा नहीं थी)

(163)
(श्री एच० एम० पटेल)

पृष्ठ 15, पंक्ति 15 तथा 16

"(c)" (ग) और "(d)" (घ) **के स्थान पर**

"(b)" (ख) और "(c)" (ग) प्रतिस्थापित किया जाये

(164)
(श्री एच० एम० पटेल)

श्री जी० एम० बनतवाला : खंड 15 में यह व्यवस्था की गई है कि एक रुग्ण फर्म के एक स्वस्थ्य फर्म में विलय होने पर रूग्ण फर्म के मूल्य ह्रास को स्वस्थ फर्म के लाभ में सम्मिलित किया जा सकता है। परन्तु विलय के समय कर्मचारियों के हितों का क्या होगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। मेरा संशोधन उन कर्मचारियों के हित की रक्षा से सम्बन्धित है तथा उसमें कहा गया है कि रुग्ण फर्म के सभी कर्मचारियों को स्वस्थ्य फर्म में खपाया जाए। कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की जाए तथा इसके लिए सांविधिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

श्री एस० आर० दामाणी : 9000 लघु उद्योग इकाइयों तथा 300 अन्य इकाइयों को पुनः जीवित करने की वित्त मंत्री की इच्छा का स्वागत है। परन्तु विधेयक में जो शर्तें लगाई गई हैं, वे इतनी कठिन हैं कि यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उन शर्तों को सरल किया जाये।

श्री के० गोपाल : रुग्ण इकाइयों के स्वस्थ्य इकाइयों के साथ विलय पर रुग्ण इकाइयों के कर्मचारी स्वस्थ इकाई में खपाये जायें। विधेयक में इसका सांविधिक उपबन्ध किया जाये।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : विधेयक के उमबंधों के अनुसार विलय से पहले उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना होगा। उस समय केन्द्रीय सरकार को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। विलय के बाद भी सरकार को कर्मचारियों के हित में शर्तें रखने का अधिकार है। इन सबके उपबंधों के बाद भी सरकार अपना विवेक उपयोग में ला सकती है। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस प्रकार स्वविवेक के अनंत अधिकार न दियेजायें।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी : खंड 15 के अन्तर्गत विलय के बाद किसी भी फेर बदल या पुनर्गठन की अनुमति नहीं है? फिर स्थिति में सुधार कैसे होगा? फेर बदल के लिये पुनः स्वीकृति लेना आवश्यक है। यह खंड निरर्थक है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मेरे संशोधन में विलय करने वाली फर्म में सभी कर्मचारियों को खपाये जाने की व्यवस्था है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : मेरे संशोधन में यह व्यवस्था है कि विलय करने वाली कम्पनी विलय होने वाली कम्पनी के सभी कर्मचारियों को अपने यहां खपाये। उद्योग मंत्री ने कहा है कि सरकार की नीति कर्मचारियों द्वारा रुग्ण मिलों को लेने की है। यदि जनता सरकरा अपनी नीति के बारे में गम्भीर है तो मेरे संशोधन को स्वीकार किया जायें जो कर्मचारियों को खपाये जाने की गारंटी देता है।

श्री एच० एम० पटेल: पिछली सरकार ने रुग्ण मिलों को हाथ में लेने या राष्ट्रीयकरण करने की नीति अपनायी जिसके परिणामस्वरूप देश को बड़ा धन देना पड़ा। राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है तथा चालू वर्ष में 30 करोड़ रुपये का घाटा होगा। **(व्यवधान)**

विपक्ष के नेता को बता होना चाहिए कि विलय की नीति कांग्रेस सरकार की स्वीकार की हुई है। यह उसी प्रकार लागू की जा रही है। **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय आश्वासन दें कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी? **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 6 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 से 31 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment No. 28 to 31 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित अन्तःस्थापति किया जाए :

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 5 **के बाद**

"(iii) the amalgamated company absorbs in full the staff and labours borne on the rolls of the amalgamating company at the time of amalgamation".

(iii) समामेलित कम्पनी समामेलन के समय समामेलक कम्पनी की सूची में दर्ज सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को आमेलित करती है।" (48)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 75 : विपक्ष में 115

Ayes 75 : Noes 115

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 124, 125, 126 तथा 127 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

Amendment No. 124, 125, 126 and 127 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 15, पंक्ति 4

"industrial undertaking" (औद्योगिक उपक्रम) के बाद

"or a ship" (या पोत) **अंतःस्थापित किया जाये** (162)

(श्री एच० एम० पटेल)

पृष्ठ 15, पंक्ति 8 से 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**

"(a) the amalgamating company was not immediately before such amalgamation financially viable by reason of its liabilities, losses and other relevant factors".

"(क) समामेलक कम्पनी ऐसे समामेलन के ठीक पहले अपने दायित्व, हानि और अन्य सुसंगत बातों के कारण वित्तीय रूप से जीवनक्षम नहीं थी]"

(163)

(श्री एच० एम० पटेल)

पृष्ठ 15, पंक्ति 15 तथा 16,

"c" (ग) "d" (घ) **के स्थान पर**

"b" (ख) और "c" (ग) **प्रतिस्थापित किया जाये**

(164)

(श्री एच० एम० पटेल)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 15, as amended was added to the Bill.

खण्ड 16 तथा 17 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 16 and 17 were added to the Bill.

खण्ड 18

संशोधन किया गया

The motion was adopted.

पृष्ठ 17, पंक्ति 14,—

"30th day of June 1977" (30 जून, 1977, **के स्थान पर**

"30th day of September, 1977" 30 सितम्बर, 1977 **प्रतिस्थापित किया जाये।** (165)

(श्री एच० एम० पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 18, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 18क (नया)

श्री एस० आर० दामाणी : मैं अपना संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करता हूं ।

इस संशोधन द्वारा मैं नया खण्ड 18क अन्त:स्थापित करना चाहता हूं । इस समय 1970 के अधिनियम के अधीन बैंक में जमा राशि या सरकारी प्रतिभूतियों पर 3000 की सीमा तक आयकर से छूट है। सीमा निर्धारित करते समय ब्याज की दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत रखी गई थी। अब इसे बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है । इसलिए छूट की सीमा भी 3000 रु० से 5000 रु० तक बढायो जानी चाहिए ।

श्री एच० एम० पटेल : यह संशोधन हमें स्वीकार्य नहीं । अमीर व्यक्तियों को और धन देने का प्रश्न ही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 22 was put and negatived.

खण्ड 19

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 19 was added to the Bill.

खण्ड 20

श्री आर० वेंकटरमन (मद्रास दक्षिण) : खण्ड 20 और 21 का सम्बन्ध ऐसी कम्पनियों से है जो वास्तव में एक परिवार की ही कम्पनियां होती हैं। इनमें लाभ का केवल एक भाग ही वितरित किया जाता है और शेष लाभ परिवार में ही सुरक्षित रहता है। इसका कारण यह है कि यदि लाभ शेयरधारियों में बांटा जायेगा तो उस पर आय कर लग जायेगा । उसे बचाने के लिए कम्पनियां सारे लाभ को वितरित नहीं करतीं । इस प्रकार लाभ की एक बड़ी राशि इकटठी हो जाती है जिसे बाद में बोनसशेयर के रूप में बांट दिया जाता है क्योंकि बोनस शेयर पर कर नहीं लगता ।

इन पारिवारिक कम्पनियों को कोई छूट देने का कोई लाभ नहीं। इसलिए खण्ड 20 और 21 देश के लिए अहितकर हैं।

श्री एच० एम० पटेल : अपने भाषण में मैं ऐसी कम्पनियों से होने वाले लाभ के बारे में बतला चुका हूं। पहली बात तो यह है कि यह केवल औद्योगिक कम्पनियों पर ही लागू होता है। बोनस शेयर देने से भी पूंजी निवेश के लिए अधिक राशि प्राप्त होगी ।

(व्यवधान)

इससे व्यक्ति को नहीं अर्थ-व्यवस्था को लाभ होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 166 : विपक्ष में 77

Ayes 166 : Noes : 77

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 20 was added to the Bill.

खण्ड 21

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 21 was added to the Bill.

खण्ड 22–23

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 और 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 22 and 23 were added to the Bill.

खण्ड 24

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 24 was added to the Bill.

खण्ड 25—27

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 25 से 27 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 25 से 27 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 25 to 27 were added to the Bill.

खण्ड 28

संशोधन किया गया

पृष्ठ 25,—
पंक्ति 8 और 9 का लोप किया जाए (संख्या 166)

(श्री एच० एम० पटेल)

श्री एस० आर० दामाणी : मैं अपना संशोधन संख्या 35 और 36 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 25,—
पंक्ति 17 का लोप किया जाए (संख्या 167)
पृष्ठ 26,—
पंक्ति 13 का लोप किया जाए (संख्या 168)
पृष्ठ 26,—
पंक्ति 16 का लोप किया जाए (सं० 169)
पृष्ठ 26,—
पंक्ति 17 का लोप किया जाए (सं० 170)
पृष्ठ 26, पंक्ति 18—

Latex foam sponge—(लेटेक्स फोम स्पंज) **के पश्चात्** and polyurethane foam (और पौलीयूरेथेन फोम) अन्तःस्थापित किया जाए । (सं० 171)

(श्री एच० एम० पटेल)

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं अपना संशोधन संख्या 99 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 9 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 9 was, by leave, withdrwan

संशोधन संख्या 99 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 99 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 35 और 36 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 35 and 36 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 29

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 29 was added to the Bill.

खण्ड 30

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 10 was put & negatived.

संशोधन किया गया

पृष्ठ 28,--

पंक्ति 5 से 7 **के स्थान** पर

"Finance Act, 1976, the following Part shall be substituted, namely:—"

["वित्तीय अधिनियम, 1976,] निम्नलिखित भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :— " (सं० 172)

(श्री एच० एम० पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 30, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 30, amended, was added to the Bill.

खण्ड 31 से 35 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 31 to 35 were added to the Bill.

खण्ड 36

श्री आर० वेंकटरमन : मैं अपना संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 49 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 49 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 36 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 36 was added to the Bill.

खण्ड 37 से 39 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 37 to 39 were added to the Bill.

खण्ड 39 क

संशोधन किया गया

पृष्ठ 34,—

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये:—

"Power to exempt feature films, etc., from payment of excise duty.

39A. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, exempt retrospectively from a date not earlier than the 18th day of June, 1977, subject to such conditions as may be specified in the notification, cinematograph films, exposed, falling under Item No. 37 in the First Schedule to the Central Excises Act, from the whole or any part of the duty leviable thereon under that Act.

(2) The provisions of the Central Excises Act and the rules made thereunder shall apply in relation to any notification issued under sub-section (1) as they apply in relation to any notification issued under rule 8 of the said rules."

"कथा फिल्मों आदि को उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति।

39क. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37 के अन्तर्गत आने वाली उद्भासित सिनेमा फिल्मों को उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण शुल्क या उसके किसी भाग से किसी तारीख से, जो 18 जून, 1977 से पहले की तारीख नहीं होगी, भूतलक्षी प्रभाव से छूट दे सकेगी ?

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त नियमों के नियम 8 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"।)

संख्या 184

(श्री एच० एम० पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 39 क विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 39 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 39A was added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

खण्ड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 40 was added to the Bill.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 20 से 27 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं अपने संशोधन संख्या 37 से 39 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर० वेंकटरमन : मैं अपने संशोधन संख्या 50 से 58 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आयकर छूट की सीमा को 10,000 रु० से बढ़ा कर 12,500 रु० कर दिया जाये। इसका कारण यह है कि छूट की सीमा 10,000 रु० करने पर भी अधिकर के समय यह 8000 रु० ही होगी। मेरा सुझाव है कि 10,000 रु० तक की आय पर सब प्रकार की छूट दी जाये।

इसके अतिरिक्त अधिकर भी 5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अतः आयकर सीमा बढ़ा कर 12,500 रु० कर दी जाये।

श्री एस० आर० दामाणी : (शोलापुर) : मेरे संशोधनों का तात्पर्य यह है कि बढ़ी हुई छूट की सीमा सब बातों में लागू हो तथा अधिकर 30,000 रु० से ऊपर लगाया जाये। वित्त विधेयक में छूट की सीमा 10,000 रु० बताई गई है जब कि अनुसूची में कहा गया है कि अधिकर 8,000 रु० पर लगाया जायेगा। सब प्रकार की छूट 10,000 रु० तक लागू की जाये।

इसके अतिरिक्त अधिभार, जिसे 15% तक बढ़ा दिया गया उसे 30,000 रु० से ऊपर लागू किया जाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जब सरकार ने आयकर की सीमा 10,000 रु० करने का निर्णय किया है तो यह तर्कसंगत है कि वह सभी पर लागू हो। लेकिन जिनकी आय 10,000 रु० से बढ़ जायेगी उस पर कर 8,000 रु० से लिया जायेगा, यह बात उचित नहीं है। यह तो हिसाब रखना भी बड़ा जटिल हो जायेगा। यह उपाय तो श्रमिक वर्ग विरोधी है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the Amendments were put & negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

"प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।"

The First Schedule was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 58,

पंक्ति 29 से 31 **के स्थान पर**

(2) in sub-heading No. (3), for the entry in column (3), the entry '10 per cent' shall be substitued;

"(2) उपशीर्षक संख्या 3 में स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर 100% प्रविष्टि" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 185)

पृष्ठ, 59,

पंक्ति 1 से 3 **के स्थान पर**

'(xi) in Heading No. 85.14, for the entry in column (3), the entry '100 per cent' shall be substituted;'

"शीर्ष संख्या 85.14 में स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर 100% प्रविष्टि" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 186)

पृष्ठ, 59—

पंक्ति 7 से 9 **के स्थान पर**

'(I) in sub-heading No. (I), for the entry in column (3), the entry '10 per cent shall be substituted;'

(1) उपशीर्ष संख्या (1) में स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर 100% प्रविष्टि" प्रतिस्थापित किया जाए । (संख्या 187)

पृष्ठ, 60—
पंक्ति 34 **के स्थान पर**

"कैपैसिटर हैं (संख्या 188)

(श्री एच० एम० पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि द्वितीय अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक से जोड़ दी गई ।

The Second Scheduled, as amended was added to the Bill

तृतीय अनुसूची

श्री बशीर अहमद : मैं अपने संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विनोदभाई बी० शेठ : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री आर० वेंकटरमन : मैं अपने संशोधन संख्या 59 से 62 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं अपना संशोधन संख्या 131 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : मैं अपने संशोधन संख्या 133 से 139 तक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 151 से 153 प्रस्तुत करता हुं ।

श्री एच० एम पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 68, पंक्ति 15,—

"curis" के स्थान पर "cruls" प्रतिस्थापित किया जाए । (189)

पृष्ठ 71, पंक्ति 13,—

"they apply" **के स्थान पर** "it applies" **प्रतिस्थापित किया जाये** (190)

पृष्ठ, 71, पंक्ति 33,—

"they apply" **के स्थान पर** "it applies" **प्रतिस्थापित किया जाये** (191)

पृष्ठ 80,—

पंक्ति 16 और 17,— **के स्थान पर**

"C. Motors which are capable of operating on alternating current or on direct current.	Twenty per cent. *ad valorem.*

"ग. मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा से चलने में समर्थ हैं मूल्य का 20 प्रतिशत

D. Parts of electric motors. Twenty per cent. *ad valorem*".

घ. विद्युत मोटरों के पुर्जे मुल्य का 20 प्रतिशत"

प्रतिस्थापित किया जाये

(संख्या 192)

(श्री एच० एम० पटेल) :

193 पृष्ठ 82 और 83,—

पक्ति 31 से 38 और 4 से 6 **के स्थान पर** क्रमश:

"(xxv) for Item No. 37, the following Item shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted. with effect from the 18th day of June, 1977, namely:—

"37. CINEMATOGRAPH FILMS—

I Unexposed		Two paise per metre
II Exposed—		
(i) News reels and shorts not exceeding 500 metres:		Fifty pai e per metre
(ii) Feature films—	Rate of duty for films which are of a length	
	not exceeding 4000 metres	exceeding 4000 metres
(a) made wholly in black and white	Twleve pees per thousand r print	Fifteen thousand rupees per print
(b) made wholly or partly in colour	Eighteen thousand rupees per print	Twenty-two thousand and five hundred rupee per print
(iii) Advertisement shorts and films not otherwise specified—		
(a) made wholly in black and white	Four rupees per metre	
(b) made wholly or partly in colour	Six rupees per metre"	

'(XXV) मद संख्या 37 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी और 18 जून 1977 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"37. **सिनेमा फिल्म—**

1 अनुद्भासित दो पैसे प्रति मीटर

2 उद्भासित

(i) समाचार फिल्म (न्यूजरील) और लघु फिल्में जो 500 मीटर से अधिक नहीं हैं। पचास पैसे प्रति मीटर

(संख्या 193)

(श्री एच० एम० पटेल)

(II) कथा फिल्में	उन फिल्मों पर शुल्क की दर जिनकी लम्बाई	
	4000 मीटर से अधिक नहीं हैं	4000 मीटर से अधिक हैं
(क) जो पुर्णतः काली और सफेद बनाई गई हैं।	बारह हजार रुपए प्रति प्रिन्ट	पन्द्रह हजार रुपए प्रति प्रिन्ट
(ख) जो पूर्णतः या भागतः रंगीन बनाई गई हैं।	अठारह हजार रुपये प्रति प्रिन्ट	बाईस हजार पांच सौ रुपये प्रति प्रिन्ट।

(III) लघु विज्ञापन फिल्में और अन्य फिल्में जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं :

(क) जो पूर्णतः काली और सफेद बनाई गई हैं चार रुपये प्रति मीटर

(ख) जो पूर्णतः या भागतः रंगीन बनाई गई हैं छः रुपये प्रति मीटर

(संख्या 189 से 193)

(श्री एच० एम० पटेल)।

श्री बशीर अहमद : बीड़ी पर जो अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया है, उसका गरीब लोगों पर प्रभाव होगा। मंत्री जी को अब नहीं तो बाद में इस पर विचार करना चाहिये।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : फिल्म उद्योग में भारी आन्दोलन चल रहा है। अब फिल्म के पांच प्रिन्टों के मूल्य पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है। वित्त मंत्री ने 12 प्रिन्टों तक छूट देकर बहुत अच्छा किया है। इससे क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की समस्या हल हो गई है। अन्य प्रिन्टों पर कीमत के आधार पर शुल्क नहीं लगाना चाहिये क्योंकि फिल्म बनाने वाले उत्पादन शुल्क दर्शकों पर तो लगा नहीं सकते।

श्री आर० वेंकटरामन : खालिस मक्खन पर भी वित्त मंत्री ने उत्पादन शुल्क लगा दिया है। जो लोग 50 किलोग्राम अथवा उससे अधिक मक्खन तैयार करते हैं। उन्हें कर देना होगा। यह निर्णय करना काफी कठिन होगा कि कौन 50 किलोग्राम या उससे अधिक मक्खन बनाता है और काफी परेशानियां आयेंगी। इस प्रकार के शुल्क से आय भी अधिक नहीं होगी। अतः यह कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

हाथ से बनी प्रति हजार बीड़ियों पर 1.60 रु० का कर बहुत अधिक है। उसे कम किया जाये और वर्तमान दर ही जारी रहनी चाहिए।

तीसरा संशोधन फलों या सब्जियों के रसों के बारे में है। जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में इस धंधे में लगे हैं। इस पर प्रस्तावित 55 प्रतिशत के स्थान पर 25% कर ही लगाया जाये जो कि सोडा वाटर पर है।

हाथ के औजारों पर कर लगाने से गरीब कारीगर पिसेंगे। उव पर तो वर्तमान कर की दर अर्थात 1 प्रतिशत ही काफी है। उसे 10% न किया जाये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मैं श्री वेंकटरामन का समर्थन करता हूं। गैर-पैश्चराइज्ड मक्खन बहुत छोटे एककों द्वारा बनाया जाता है। इस पर उत्पाद शुल्क लगाने के परिणाम बुरे होंगे। निम्न श्रेणी के लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। फिर इस पर केवल 10 लाख रु० आय होगी जो नगण्य है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : वित्त मंत्री ने यह तर्क दिया है कि बीड़ी पर अतिरिक्त कर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगाया गया है। लेकिन जिन्हें यह आदत पड़ गई है वे तो पियेंगे ही। इस से शरीर को आराम मिलता है। आप उन्हें शिक्षित करके आदत छुड़वाइये। अत: यह शुल्क बढ़ाना उचित नहीं।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : सत्तारूढ़ दल के एवं विपक्षी दलों के अनेक सदस्यों ने बीड़ी पर लगाये गए अतिरिक्त शुल्क को हटाने की मांग की है क्योंकि उसका प्रभाव गरीबों पर ही होगा। इसके कारण गरीबों की मजदूरी कम हो जायेगी। अच्छी बात तो यह होगी कि लोगों को उचित स्वास्थ्य शिक्षा दी जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : खेतों और कारखानों में काम करने वाले करोड़ों लोग बीड़ी पीते हैं। अत: उस पर शुल्क न लगाया जाये।

जहां तक फिल्मों पर लगाये गए कर का सम्बन्ध है इस कर का बंगाली, मलयालम, उड़िया और कन्नड़ भाषा की फिल्मों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तेलगु भाषा की फिल्मों को छोड़ दिया गया है। बंगाली फिल्मों ने कई अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इस कर से गरीब तकनीशियन और कलाकार भूखे मरेंगे। अत: प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों पर कर न लगाया जाये।

श्री एच० एम० पटेल : मैं कोई भी संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 और 13 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 12 and 13 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 14 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री आर० वेंकटरामन द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 59 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 59 moved by Sh. R. Venkatraman was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 60 मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 73 विपक्ष में 110

Ayes 73 *Noes* 110

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 61 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 61 *was put & negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 62 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 62 *was put & negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 104 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 104 *was put & negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 131 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 131 *was put & negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 133 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 133 *was put & negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 137, 139, 151, 152 तथा 153 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 137, 139, 151, 152 and 153 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित संशोधन मतदान के लिए रखे गए और स्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 68, पंक्ति 15:—

"curis" के स्थान पर "curls" प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 189)

पृष्ठ 71, पंक्ति 13 :—

"They apply" के स्थान पर "it applies" प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 190)

पृष्ठ 71, पंक्ति 33 :—

"They apply" के स्थान पर "it applies" प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 191)।

पृष्ठ 80, पंक्ति 16 और 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"C. Motors which are capable of operating on alternating current or on direct current.	Twenty per cent *ad valorem*."
"ग. मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा से चलने में समर्थ है।	मूल्य का बीस प्रतिशत"
"D. Parts of electric motors	Twenty per cent *ad valorem*"
"घ. विद्युत मोटरों के पुर्जे	मूल्य का बीस प्रतिशत";

(संख्या 192)

पृष्ठ 82 और 83, पंक्तियां क्रमश : 31 से 38 तथा 4 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये : —

'(xxv) for item No. 37, the following Item shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted, with effect from the 18th day of June, 1977, namely:—

"37 CINEMATOGRAPH FILMS—

I. Unexposed.	Two paise per metre	
II. Exposed.		
(i) News-reels and shorts not exceeding 500 metres.	Fifty paise per metre	
(ii) Feature films—	Rate of duty for films which are of a length	
	not exceeding 4000 metres	exceeding 4000 metres
(a) made wholly in black and white	Twelve thousand rupees per print	Fifteen thousand rupees per print
(b) made wholly or partly in colour	Eighteen thousand rupees per print	Twenty-two thousand and five hundred rupees per print

(iii) Advertisement shorts and films not otherwise specified—	
(a) made wholly in black and white	Four rupees per metre;
(b) made wholly or partly in colour	Six rupees per metre."

'(XXV) मद संख्या 37 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी और 18 जून, 1977 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात :–

"37. **सिनेमा फिल्म—**

I. अनुद्भासित	दो पैसे प्रति मीटर	
II. उदभासित		
(i) समाचार फिल्म (न्यूजरील) और लघु फिल्में जो 500 मीटर से अधिक नहीं हैं।	पचास पैसे प्रति मीटर	
(ii) कथा फिल्में	उन फिल्मों पर शुल्क की दर जिनकी लम्बाई	
	4000 मीटर से अधिक नहीं हैं	4000 मीटर से अधिक है
(क) जो पूर्णत : काली और सफेद बनाई गई हैं।	बारह हजार रुपए प्रति प्रिन्ट	पन्द्रह हजार रुपए प्रति प्रिन्ट
(ख) जो पूर्णत : या भागत : रंगीन बनाई गई हैं।	अठारह हजार रुपए प्रति प्रिन्ट	बाईस हजार पांच सौ रुपए प्रति प्रिन्ट
(iii) लघु विज्ञापन फिल्में और अन्य फिल्में जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं:—		
(क) जो पूर्णत : काली और सफेद बनाई गई हैं	चार रुपए प्रति मीटर	
(ख) जो पूर्णत : या भागत : रंगीन बनाई गई हैं।	छह रुपए प्रति मीटर	

(संख्या 193)—श्री एच० एम० पटेल

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि तीसरी अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

"That the Third Schedule, as amended, stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तीसरी अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि चौथी अनुसूची विधेयक का अंग बने"

"That Fourth Schedule stand part of the Bill".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

चौथी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Fourth Schedule was added to the Bill.

(संशोधन किये गये)

पृष्ठ 89, पंक्ति 15 में

for "in sub-sections (1) and (2)", *substitute*—

'in clause (b) of sub-section (1), *omit* "or section 272A" and in that sub-section and sub-section (2)'

["उपधारा (1) और (2) में" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"उपधारा (1) के खण्ड (ख) में "या धारा 272(क)" का लोप करें और उस उपधारा में और उपधारा (2) में'।]

(संख्या 173)—श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 89, पंक्ति 24 से 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :–

'insert "or to the Commissioner (Appeals)" and after "in the case of an appeal" insert "to the Commissioner (Appeals) or";'

[(क) खण्ड (क) में "सहायक आयुक्त (अपील)" के पश्चात् "या आयुक्त (अपील)" रखें और "समाप्त नहीं हुआ है या" के पश्चात "आयुक्त (अपील) या" अन्तःस्थापित करें;]

(संख्या 174)—श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 90, पंक्ति 33 में, "the" (दि) शब्द का लोप कीजिए।

(संख्या 175) श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 93, पंक्ति 3 में '(अपील)' के बाद यह अंत:स्थापित किया जाये :—
after '(*Appeals*)' *insert*—

'and in the same sub-section' omit "or to an order passed by the Inspecting Assistant Commissioner under section 18A",'

"और उसी उपधारा में 'या धारा 18क के अधीन सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा पारित आदेश पर' का लोप करें"।

(संख्या 176)—श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 93, पंक्ति 11 में—

after '(Appeals)' *insert*—

'and *after* "in the case of an appeal", insert "to the Commissioner (Appeals) or"'

"(अपील)" के बाद—

'और "समाप्त नहीं हुआ है या" के पश्चात "आयुक्त (अपील) या" अन्त:स्थापित करें'।
(सख्या 177) —श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 96, पक्ति 22 में—

after "(Appeals)" *insert*—

'and in the same sub-section *omit* "or to an order passed by the Inspecting Assistant Commissioner under section 17A."'

"रखें" के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

'और उसी उपधारा में "या धारा 17क के अधीन सहायक आयुक्त (निरीक्षण) द्वारा पारित किसी आदेश पर" का लोप करें।"

(सख्या 178)—श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 96, पक्तियां 30 से 32 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'*insert* "or to the Commissioner (Appeals)" and for "in the case of the Appellate Tribunal", *substitute* "in the case of an appeal to the Commissioner (Appeals."'

(b) in clause (b), *after* "subject of an appeal" *insert* "to the Commissioner (Appeals) or".'

(क) खण्ड (क) में "सहायक आयुक्त (अपील)" के पश्चात "आयुक्त (अपील) को" रखें और "समाप्त नहीं हुआ है या" के पश्चात "आयुक्त (अपील) को या" रखें';

(ख) खण्ड (ख) में "लम्बित है या" के पश्चात "आयुक्त (अपील) या "अन्त:स्थापित करें।'।

(संख्या 179)—श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 97, पंक्ति 35 में "Subordinate to him" (उसके अधीनस्थ) शब्द का लोप किया जाए।

(संख्या 180)--श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 98, पंक्ति 1 से 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

(b) in sub-section (4), *for* clauses (a), (b) and (c), *substitute*:—

"(a) where an appeal against the order lies to the Commissioner (Appeals) but has not been made and the time within which such appeal may be made has not expired, or the assessee has not waived his right of appeal; or

(b) where the order has been made the subject of an appeal to the Commissioner (Appeals)."

"(ख) उपधारा (4) में खण्ड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखें--

"(क) जहां उस आदेश के विरुद्ध अपील, आयुक्त (अपील) को हो सकती है किन्तु की नहीं गई है और उस समय का जिसके भीतर ऐसी अपील की जा सकती है, अवास नहीं हुआ अथवा निर्धारिती ने अपील करने के अपने अधिकार का अधित्यजन नहीं किया है ; या

(ख) जहां आदेश, आयुक्त (अपील) को अपील का विषय बनाया गया है।"।'

(संख्या 181)--श्री एच० एम० पटेल

पृष्ठ 98, पंक्ति 32 में "Subordinate to him" (उसके अधीनस्थ) शब्द का लोप किया जाए।

(संख्या 182)—श्री एच० एम० पटेल)

पृष्ठ 98, पंक्ति 33 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापति किया जाए : ---

(a) in sub-section (4), *for* clauses (a), (b) and (c), *substitute*—

"(a) where an appeal against the order lies to the Commissioner (Appeals) but has not been made and the time within which such appeal may be made has not expired, or the assessee has not waived his right of appeal; or

(b) where the order has been made the subject of an appeal to the Commissioner (Appeals)." '

'(ख) उपधारा (4) में खण्ड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"(क) जहां उस आदेश के विरुद्ध अपील, आयुक्त (अपील) को ही सकती है किन्तु की नहीं गई है और वह समय जिसके भीतर ऐसी अपील की जा सकती है, समाप्त नहीं हुआ है या निर्धारिती ने अपील के अपने अधिकार का अधित्यजन नहीं किया है; या

(ख) जहां आदेश, आयुक्त (अपील) को अपील का विषय बनाया गया है।"।'

(संख्या 183)—श्री एच० एम० पटेल

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि पांचवीं अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने "

"That the Fifth Schedule, as amended, stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पांचवीं अनुसूची को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Fifth Schedule, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए ।

स्वीकृत किए गए कुछ संशोधनों के परिणामस्वरूप एक आनुषंगिक सशोधन है। तदनुसार मैं खण्ड 9 में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

Page 11 *Omit* lines 21 to 26.

(पृष्ठ 11, पंक्ति 21 से 26 का लोप किया जाए) ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : वित्त मंत्री ने प्रादेशिक फिल्म निर्माताओं की समस्याओं के प्रति अधिक सहानुभूति का रवैया अपनाया है । मेरा सुझाव है कि उन्हें पहले स्लैब (जिसमें 13वें से 24वां प्रिंट शामिल है) और दसरे स्लैब (जिसमें 25वां और 26वां प्रिंट सम्मिलित है) पर लगाए गए शुल्क को एक तिहाई कर देना चाहिए । इससे प्रादेशिक फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा । पुन: जारी किए गये प्रिंटों पर लगाए गए शुल्क को समाप्त करने के सुझाव पर भी वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए । क्योंकि तमिल, बंगाली, कन्नड़ आदि फिल्मों में 80 प्रतिशत पुन: जारी किए गए प्रिंटों पर निर्भर रहते है ।

वित्त मंत्री को अर्द्ध-स्वचालित तथा मुख-धौंकन शीशा उद्योगों के उत्पादों तथा स्व-चालित एककों के उत्पादों पर समान दर से उत्पाद शुल्क नहीं लगाना चाहिए । कागज, कपड़ा, रबड़ तथा एल्यूमिनियम आदि पर ऐसा ही किया गया है ।

वित्त मंत्री को बीड़ी पर से उत्पाद शुल्क हटा देना चाहिए । मैं जानता हूं कि मंत्री जी इस से प्राप्त होने वाली 42 करोड़ रुपए की राशि की उपेक्षा नहीं करना चाहते । विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बरबादी को रोक कर हम इस राजस्व के बराबर धनराशि को पूरा कर सकते है ।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : जहां तक वित्त का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को रोजमर्रा की जरूरतों तक के लिए भी केन्द्र सरकार की शरण में जाना पड़ता है । सभी राज्य सरकारों को इससे बहुत कठिनाई हो रही है । अब समय आ गया है कि इस मामले को सातवें आयोग पर छोड़ने की बजाय इस पर एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक निकाय द्वारा विचार कराया जाए । भारत सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । यदि केन्द्र चाहता है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में कार्य करें तो वर्तमान ढांचे में आमूल परिवर्तन करने चाहिएं । राजस्व में राज्य सरकारों को मिलने वाला हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए ।

तमिलनाडु सरकार ने यह मामला उठाया था और उन्होंने इसकी जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की है । प्रधान मंत्री को राज्य के नेताओं और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ परामर्श करने के लिए एक उच्चस्तरीय निकाय की स्थापना का कदम उठाना चाहिए ताकि केन्द्र राज्य सम्बन्धों को नया रूप दिया जा सके । अन्यथा स्थिति और अधिक गम्भीर हो जाएगी ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आज केन्द्र में जनता सरकार है । किन्तु हाल के चुनावों से विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें बनी है । समझ में नहीं आता कि केन्द्र सरकार जम्मू काश्मीर, तमिलनाडु, पंजाब और देश के विभिन्न भागों के प्रादेशिक दलों में किस तरह से समन्वय तथा सहयोग कर सकेगी । क्योंकि बड़ी तेजी से कई दलों का निर्माण हो रहा है । प्रादेशिक प्रवृतियों का विकास हो रहा है और हमें ऐसी सरकारों के विचार मालूम नहीं हैं । जहां तक संसाधनों को एकत्र करने और उन्हें विभिन्न राज्यों में वितरित करने का प्रश्न है, केन्द्र सरकार को इसके लिए काफी प्रयास करना होगा । विभिन्न राज्यों को संसाधन देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए । हमें पता नहीं है कि विभिन्न राज्य सरकारों की वित्तीय नीति क्या है तथा उनके क्या-क्या प्रस्ताव है ।

फलों के रस पर शुल्क लगाया गया है । फल अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं और वहां के लोगों की जीविका इसी पर निर्भर है । किन्तु आपने उन्हें भी नहीं छोड़ा । वित्त मंत्री को हर सम्भव ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि देश का अधिकाधिक हित हो ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हममें कोई प्रादेशिक भावनाएं नहीं है, किन्तु हम चाहते हैं कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो और राज्यों को अधिक स्वायत्तता तथा वित्तीय सहायता मिले ।

Shri Shiv Narain (Basti): Efforts should be made to locate black money. The traders should be warned and asked to disclose their black money voluntarily within a stipulated time failing which stern action would be taken against them.

श्री एच० एम० पटेल : मैं उद्योगों के प्रतिनिधियों से मिला हूं और मैंने उन्हें कहा है कि मैं उनकी समस्याओं पर विचार करूंगा ।

वित्त मंत्रालय सभी राज्यों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है । असमान व्यवहार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । जो कुछ भी किया जाता है, वह सब के साथ विचार विमर्श

करके किया जाता है । देश की एकता को बात उठाई गई है । ऐसा लगता है मानो कि बजट में या वित्त विधेयक में कोई ऐसी वात हो जिसका कि देश की अखण्डता पर प्रभाव पड़े ।

योजना आयोग राज्यों से परामर्श करके योजनाएं तैयार करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके बाद लोक सभा मंगलवार, 19 जुलाई, 1977/28 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July **19, 1977**|*Asadha* 28, 1899 (*Saka*).

GMGIPMRND—LS II—2040 LS—12-12-77—200.